सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों में मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

रिपोर्ट 18–07–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT





संघ सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

2014 की संख्या 14
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों
में
मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
2014 की संख्या 14
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

विषय		पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii
अध्याय -1	प्रस्तावना	1
अध्याय -2	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	16
अध्याय -3	लेखापरीक्षा निष्कर्ष • तेल विपणन कम्पनियों पर मूल्य निर्धारण कार्यप्रणाली का प्रभाव • उपभोक्ताओं पर प्रभाव • सरकार और अपस्ट्रीम कम्पनियों पर प्रभाव	19 66 74
अध्याय -4	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	85
	अनुबंध	89

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, तेल विपणन कम्पनियों में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण तंत्र की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा में 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि को कवर किया गया है। यह रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), एमओपीएनजी में पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण सैल (पीपीएसी), वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कम्पनियों अर्थात इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के दस्तावेजों/अभिलेखों की संवीक्षा पर आधारित है। इसके अलावा, छः रिफाइनरियों अर्थात् बीपीसीएल (मुम्बई) और एचपीसीएल (मुम्बई) प्रत्येक से एक रिफाइनरी आईओसीएल से चार रिफाइनरियां (कोयली, पानीपत, हल्दिया और बोगांई गांव) के नमूनों का भी विस्तृत अध्ययन के लिए चयन किया गया था।

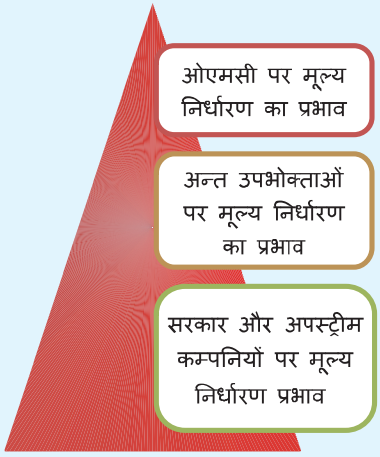
इस रिपोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा सूचना, अभिलेखों, स्पष्टीकरणों और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा को उपलब्ध कराने मे एमओपीएनजी, पीपीएसी, एमओएफ और ओएमसीज़ के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है, जिसने लेखापरीक्षा के समापन को सरल बनाया।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

वर्तमान में, तीन नियंत्रित उत्पाद, अर्थात हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), सार्वजनिक संवितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए बेहतर मिट्टी का तेल (एसकेओ) और घरेलू उपयोग के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) हैं। मोटर स्पिरिट (एमएस) या पेट्रोल को जून 2010 से विनियंत्रित कर दिया गया है। 2007-12 की अवधि को कवर करने वाले मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा पणधारियों-अर्थात ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों (ओएमसीज), अन्त उपभोक्ताओं, सरकार और अपस्ट्रीम कम्पनियों पर इसके प्रभाव को अभिनिश्चित करने के लिए नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण कार्यप्रणाली के संदर्भ में की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:



- रिफाइनरी गेट कीमत (आरजीपी) अपनी एफओबी (पोत पर्यन्त नि: शुल्क) कीमत पर उत्पादों के आयात सहित सम्बद्ध विभिन्न लागत घटकों को जोड़ते हुए निकाली गई है, यद्यपि यह कच्चा माल या कच्चा तेल (और उत्पाद नहीं हैं) जिसे रिफाइनरियों द्वारा आयात किया गया है। ओएमसीज इन खर्चों का अधिकांश वहन नहीं करती हैं क्योंकि इन उत्पादों में से अधिकांश को आयात करने की बजाय ओएमसी रिफाइनरियों में संशोधित किया जाता है। वित्तीय शर्तों में 2007-12 के दौरान एफओबी कीमत के रिफाइनरियों में उत्पादित नियंत्रित उत्पादों पर रिफाइनरी गेट पर प्रभारित आयात संबंधी घटकों की गणना ₹ 50,513 करोड़ की गई थी। कच्चे तेल के आयात पर जो उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 23,887 करोड़ पर अनुमानित था, के आयात संबंधी व्ययों की अनुमति के बाद ओएमसीज कीमत लाभ व्युत्पन्न करने की अपेक्षा करेगीं। तथापि, यह लाभ शोधन मार्जिन, उत्पादन की लागत के इष्टतम उपयोग और उत्पादों में सुधारों में प्रभावी वृद्धि के संबंध में पर्याप्त रूप से परिवर्तित होता हुआ प्रतीत

नहीं होता। यह अधिकतर पीएसयू रिफाइनरियों की अंतर्निहित समस्याओं, अर्थात पुरानी अलाभकारी आकार, समाकृति के सीमाओं आदि के कारण हैं।

(पैरा 3.1.1 एवं 3.1.2)

❖ ओएमसीज ने विद्यमान पुरानी रिफाइनरियों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रति कुछ कदम उठाए हैं। तथापि, विशेष रूप से आईओसीएल की हल्दिया रिफाइनरी और बीपीसीएल और एचपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरियों में अभी सुधार की गुंजाइश है।

(पैरा 3.1.3)

❖ ओएमसीज ने आरजीपी (अर्थात एमएस और एचएसडी के लिए व्यापार समता कीमत या टीटीपी और दूसरे उत्पादों के लिए आयात समता कीमत या आईपीपी) पर उत्पादन और घरेलू आवश्यकता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए एकमात्र/निजी रिफाइनरियों से पेट्रोलियम उत्पादों को उठाया था। निजी शोधकों ने ईपीपी/एफओबी की तुलनीय कीमतों पर, जोकि टीपीपी/आईपीपी से कम हैं, शेष पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। टीपीपी/आईपीपी की खरीद निजी शोधकों को अनुचित लाभ पहुंचाती है (रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि. और एस्सार ऑयल लि.) जोकि केवल एक वर्ष अर्थात 2011-12 में एचएसडी पर ₹ 667 करोड़ अनुमानित किया गया था। समान कारण पर एकमात्र पीएसयू रिफाइनरियों के लिए लाभ 2011-12 के दौरान ₹ 1,428 करोड़ था।

(पैरा 3.1.4)

❖ वास्तविक परिवहन लागत और मालभाड़ा के कारण उत्पाद के मूल्य निर्धारण में दर्शाइ गई राशियां बेमेल हैं। ओएमसीज को वास्तविक लागत मे थोड़ा अधिक क्षतिपूर्ति की गई थी, संगणित क्षतिपूर्ति परिवहन के विभिन्न माध्यमों पर (और परिवहन के वास्तविक माध्यम से नहीं) और पाइपलाइनों की परिचालन लागत पर हुए वास्तविक लागत के आधार पर थी।

(पैरा 3.1.6)

❖ ओएमसीज़ ने सभी वर्षों में सरकार द्वारा निर्धारित अनुज्ञेय दर पर नियंत्रित उत्पादों की बिक्री पर अधिक विपणन लागत वहन की। जबकि, आईओसीएल और बीपीसीएल नियंत्रित उत्पादों पर निर्धारित विपणन मार्जिन पर कुछ बेशी को सृजित कर सका है इसलिए एचपीसीएल वांछित विवरणी को सृजित नहीं कर

सका । इसी प्रकार, खुदरा निवेश पर मार्जिन बीपीसीएल और एचपीसीएल में वांछित स्तर से कम था।

(पैरा 3.1.7)

❖ कम वसूली दावों के विलम्बित निपटान के संदर्भ में कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओएमसीज ने ₹ 3,994 करोड़ की हानि वहन करते हुए सरकार द्वारा जारी ऑयल बॉण्ड को सस्ते दाम पर बेच दिया था। ओएमसीज ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान उधार ली गई कार्यचालन पूंजी पर ब्याज के प्रति ₹ 22,802 करोड़ का भी व्यय किया और क्षतिपूर्ति देने में विलम्ब के कारण ₹ 5,180 करोड़ की ब्याज हानि का वहन किया। नकद क्षतिपूर्ति की घोषणा में विलम्ब के कारण भी ओएमसीज़ द्वारा अग्रिम आयकर के कम भुगतान पर ₹ 381 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैरा 3.1.10)

❖ जबकि केंद्रीय करों का आवधिक रूप से पुनगर्ठन किया गया, फिर भी राज्य कर व्यापक रूप से और यथा मूल्य दरों से भिन्न हैं जिसके कारण बढ़ती उत्पाद कीमतों के साथ ग्राहकों पर अधिक भार पड़ा है। विशेष करों की ओर पारगमन सहित राज्य करों का अभी पुनर्गठन किया जाना है।

(**पैरा 3.2.2**)

❖ ओएमसीज़, अपस्ट्रीम कम्पनियों और सरकारी नामक पणधारकों के मध्य कम वसूलियों के शेयरिंग की कोई एक समान प्रणाली नहीं थीं जिसके कारण अपस्ट्रीम कम्पनियों और ओएमसीज़ दोनों के लिए अनिश्चितता हुई।

(पैरा 3.3.1)

❖ सुपात्र उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता का लक्ष्य बनाने के लिए तंत्र के कार्यान्वयन में विलम्ब से कम वसूलियों में वृद्धि हुई। यद्यपि आर्थिक सहायता युक्त एलपीजी सिलेंडरों के लिए पात्रता बढ़ा दी गई और एलपीजी सिलेंडरों के लिए लाभ के सीधे हस्तांतरण के लिए योजना शुरू की गई है, पीडीएस मिट्टी के तेल की आपूर्तियों के लक्ष्य पर अधिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

(**पैरा 3.3.2**)

❖ सरकार ने गैर-आर्थिक सहायता प्राप्त बाजार अवधारित कीमत का भुगतान करने वाले एचएसडी के थोक उपभोक्ताओं के साथ जनवरी 2013 में एचएसडी पर दोहरी कीमत निर्धारण नीति कार्यान्वित की। इस परिवर्तन के बाद खुदरा

एचएसडी बिक्रियों में वृद्धि हुई है, और कुल एचएसडी बिक्री में थोक एचएसडी के हिस्से में 2011-12 के दौरान 18 प्रतिशत के वार्षिक औसत के प्रति अगस्त 2013 में लगभग 10 प्रतिशत तक गिरावट हुई। सस्ते आर्थिक सहायता युक्त ईंधन के संभावित विचलन को रोकने के लिए उपयुक्त जांच की आवश्यकता है जो कम वसूलियों पर थोक ग्राहकों के लिए बाजार के मूल्य निर्धारण से सकारात्मक प्रभाव को कम करेगा।

(**पैरा 3.3.3**)

अध्याय 1 प्रस्तावना

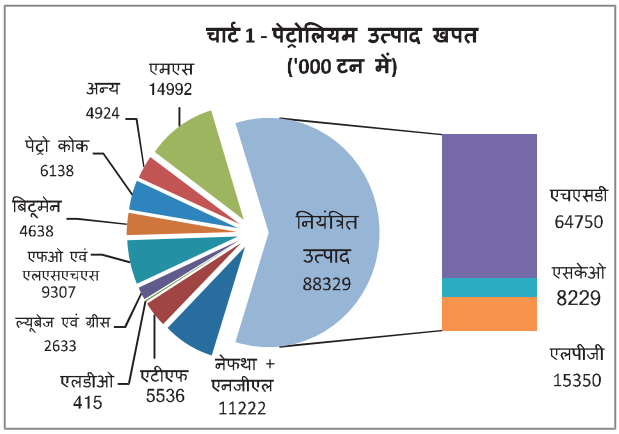
1.1 भारत में पेट्रोलियम परिदृश्य

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देश में सभी प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में तेल और प्राकृतिक गैस की खपत कोयले के बाद सबसे अधिक है। भारत मे ऊर्जा की खपत बढ़ती हुई प्रवृत्ति सहित 1970-71 में 1,203 किलो वाट घंटा (केडब्ल्यूएच) से 2010-11 में 4,816 केडब्ल्यूएच (संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर-सीएजीआर: 3:44 प्रतिशत) तक पहुंच गई जिसमें कोयले और प्राकृतिक गैस की खपत में उच्चतर वृद्धि (सीएजीआर 1970-71 से 2010-11: तेल 6.07 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस 11.25 प्रतिशत) थी। सामान्यत: अधिक खपत किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात हाई-स्पीड डीजल[1] (एचएसडी, सामान्यत: डीजल कहा जाता है), द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी, घरेलू); और बेहतर मिट्टी का तेल (पीडीएस-एसकेओ, सामान्यत: मिट्टी का तेल कहा जाता है) की कीमतें नियंत्रित की जाती है और यें तीनों उत्पाद नियंत्रित उत्पादों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। दूसरे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों, मोटर स्पिरिट[2] (एसएस, सामान्यत: पेट्रोल कहा जाता है), एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ), एलपीजी-वाणिज्यिक,एसकेओ (पीडीएस के अलावा), फर्नेस तेल (एफओ), नेप्था, लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस) आदि की कीमतें नियंत्रित नहीं की जाती है और इन्हें सामान्यत: गैर-नियंत्रित उत्पादों के रूप में संदर्भित किया गया है।

1.1.1 पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और आपूर्ति

खपत

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 2007-08 के दौरान 1,28,946 हजार मीट्रिक टन (टीएमटीज़) थीं। इसमें 2011-12 के दौरान 1,48,132 टीएमटीज तक प्रगामी रूप से वृद्धि हुई। नियंत्रित और गैर-नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के



[1] *डीजल: एचएसडी की कीमत जनवरी 2013 से थोक उपभोक्ताओं के लिए विनियंत्रित थीं।*

[2] *पेट्रोल की कीमत 25 जून 2010 से विनियंत्रित थी।*

वर्षवार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए है। 2011-12 के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादो की खपत को चार्ट 1 में दर्शाया गया है। नियंत्रित उत्पादों अर्थात एचएसडी (जनवरी 2013) में आंशिक रूप से विनियंत्रित), घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी या सार्वजनिक संवितरण प्रणाली (पीडीएस एसकेओ)के माध्यम से आपूरित घरेलू एलपीजी एवं एसकेओ पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का 60 प्रतिशत बनता है। 2011-12 के दौरान एमएस की खपत (जिसे 25 जून 2010 से विनियंत्रित कर दिया गया है) 10 प्रतिशत थी। दूसरे गैर-नियंत्रित उत्पाद कुल खपत के का शेष 30 प्रतिशत बनता है।

देश मे विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य उपयोगकर्ताओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।:

तालिका 1

भारत में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोगकर्ता

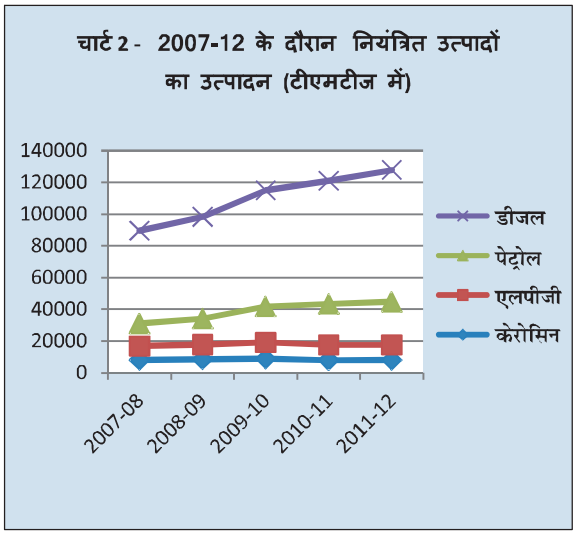
प्रमुख उत्पाद	उपयोगकर्ता
एचएसडी	सार्वजनिक परिवहन, कार उपभोक्ता, कृषक, जेनसेट उपभोक्ता, उद्योग
एलपीजी	घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता
एसकेओ	घरेलू उपभोक्ता, जेनसेट उपभोक्ता, उद्योग
नेप्था	उद्योग (उर्वरक एवं अन्य)
एमएस	कार उपभोक्ता
एटीएफ	एयर लाईन्स
एलडीओ (लाइट डीजल तेल)	उद्योग (ईधंन के रूप में)
ल्यूबेज	कार उपभोक्ता, सार्वजनिक परिवहन, किसान
एफओ	उद्योग, वाणिज्यिक उपभोक्ता (ईंधन के रूप में)
एलएसएचएस	उद्योग (ईंधन के रूप में)
बिटूमन	सार्वजनिक कार्य, उद्योग

स्रोत : पेट्रोलियम एवं रसायनों पर स्थायी समिति (2001)

कुछ क्षेत्रों में एचएसडी इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है और थोक कीमत सुचकांक (डब्ल्यूपीआई) में इसकी भारिता 4.67 प्रतिशत है, जो 670 पण्यों में सबसे अधिक है। एचएसडी कीमत में प्रत्येक रूपए की वृद्धि के लिए डब्ल्यूपीआई की अनुमानित वृद्धि 0.11 प्रतिशत तक है। एसकेओ एवं एमएस कीमतों पर एक रूपए की वृद्धि का डब्ल्यूपीआई पर प्रभाव क्रमश: 0.05 प्रतिशत और 0.02 प्रतिशत होगा जबकि घरेलू एलपीजी की ₹ 10/सिलेंडर की वृद्धि डब्ल्यूपीआई को 0.02 प्रतिशत[3] तक प्रभावित करेगी। इस प्रकार, नियंत्रित उत्पादों की कीमतों का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

[3] ***स्रोत: पीपीएसी, एमओपीएनजी जनवरी 2013 के सहायकों के लिए टिप्पणियां***

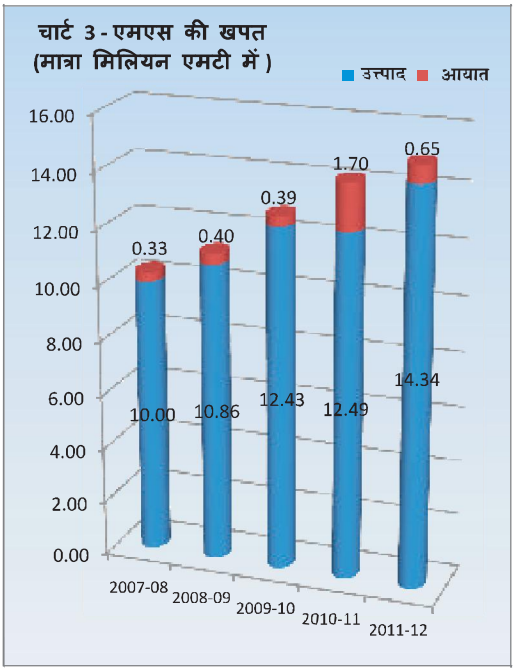
आपूर्ति

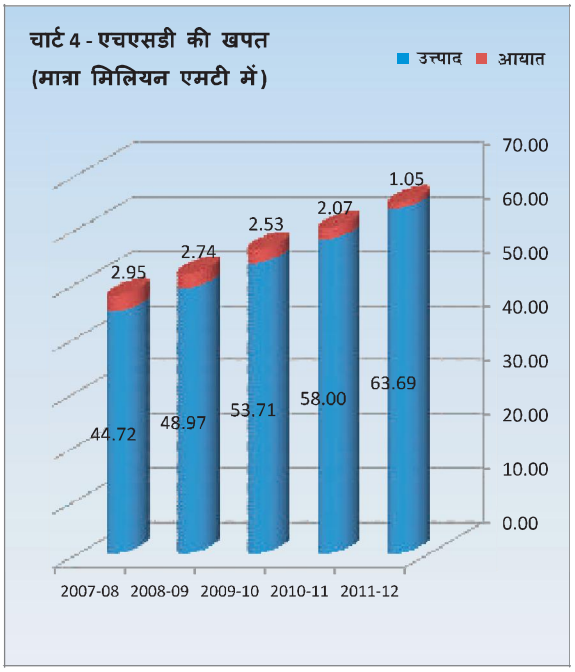


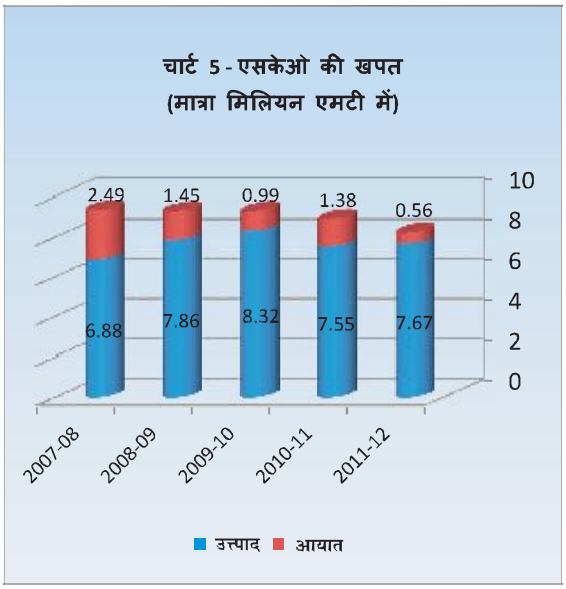
मांग को देशज उत्पाद एवं आयातों द्वारा पूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाता है। 2007-12 के दौरान पेट्रोलियाम उत्पादों के उत्पादन एवं आयात/निर्यात के ब्यौरें को **अनुबंध-II और III** में दिया गया है।

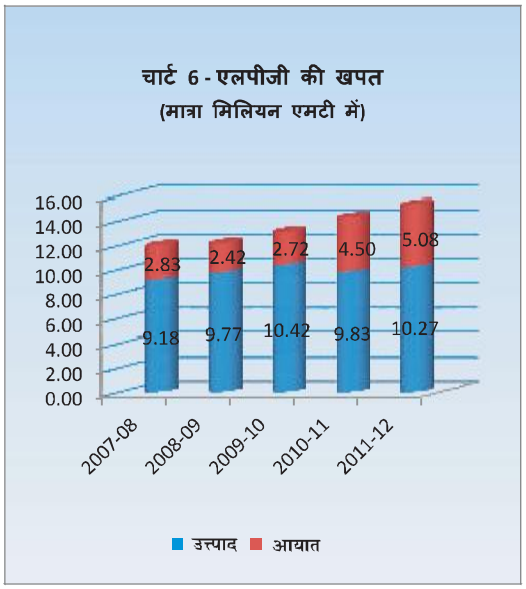
एसकेओ, लाइट डीजल तेल (एलडीओ) और एलएसएचएस को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन ने 2007-12 के दौरान बढ़ती हुई प्रवृति दर्शाई थी। तथापि, एलपीजी और एसकेओ का उत्पादन उपरोक्त अवधि के दौरान घरेलू मांग से कम रहा और इसलिए इसे आयात करना पड़ा था। यद्यपि एमएस और एचएसडी का घरेलू उत्पादन मांग से अधिक था फिर भी ओएमसीज़ को गुणवता मानकों को पूरा करने के लिए इन उत्पादों की आवश्यकता के 2.14 प्रतिशत का आयात करना पड़ा था। 2007-08 से 2011-12 के दौरान नियंत्रित उत्पादों अर्थात एचएसडी, एमएस, एसकेओ और एलपीजी के उत्पादन को चार्ट 2 में दर्शाया गया है।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात ने 2007-08 में 22,462 टीएमटी से 2011-12 में 14,997 टीएमटी तक की गिरावट की प्रवृति दर्शाई। नियंत्रित उत्पादों अर्थात एचएसडी, एमएस, एलपीजी और एसकेओ की आपूर्ति की स्थिति को स्व: उत्पादन के माध्यम से पूरा किया गया था और 2007-08 से 2011-12 के दौरान आयात को नीचे चार्ट 3 से 6 में दिया गया है:







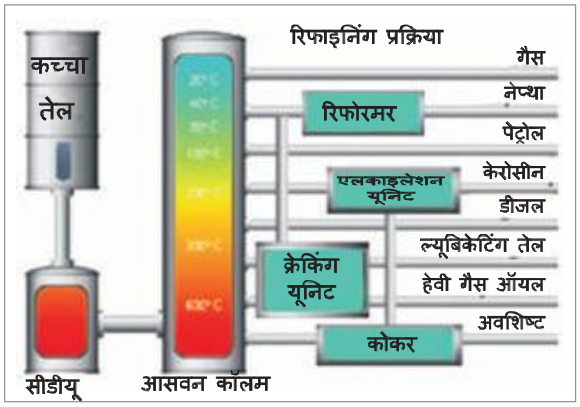


सरकार ने कच्चे तेल के आयात की अनुमति नहीं दी। तथापि, भारतीय रिफाइनरियों की कच्चे तेल की शोधन क्षमता घरेलू मांग से अधिक है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र देशों द्वारा किए गए पेट्रोलियम उत्पादों के कुल निर्यातों में से, अकेले भारत द्वारा इन उत्पादों का निर्यात 13(2008) और 21 प्रतिशत (2012) के मध्य था।

1.2 भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन

1.2.1 शोधन प्रक्रिया

कच्चे तेल को शोधित पेट्रोलियम उत्पादों की श्रेणी के उत्पादन के लिए आंशिक आसवन की प्रक्रिया द्वारा शोधित किया जाता है। शोधन प्रक्रिया में चार मूल चरण अर्थात आसवन, क्रैकिंग, उपचार एवं सुधार शामिल है।



आसवन *: आसवन अधिक वाष्पीय घटकों को हटाने के लिए पर्यावरणीय दबाव पर आसवन टावरों में (सीडीयू-कच्चा तेल आसवन यूनिट) कच्चे तेल के शोधन का पहला चरण है। प्रक्रिया के दौरान प्रोपेन एवं बूटेन जैसे हल्के पदार्थ (हल्के आसवनों के रूप में भी जाने जाते हैं) वाष्प बनकर और ऊपर उठकर कॉलम के शीर्ष पर आ जाते हैं। मध्यम भार के पदार्थ अर्थात गैसोलीन, जेट और एचएसडी ईंधन सहित मध्यम आसव, बीच में संघनित हो जाते है। कमस्तरीय तेल नामक भारी पदार्थ (भारी तलछट्ट) वायुमण्डलीय कॉलम के निचले हिस्से में संघनित हो जाते हैं।*

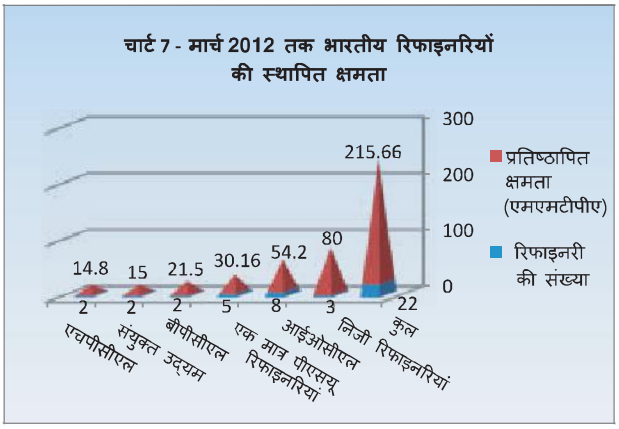
क्रैकिंग : *एक प्रक्रिया जो भारी (उच्चतर क्वथनांक) पेट्रोलियम अंशों को गैसोलीन, ईंधन तेल और गैस तेलों जैसे अधिक मूल्यवान उत्पादों में तोड़ती या खंडित करती है और अवशेषों की मात्रा को कम करती है।*

सुधार : *यह ज्वलनशील पदार्थ को उच्च ओक्टेन पेट्रोल एवं पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक में उन्नयन हेतु रसायन क्रिया करने के लिए ताप, दबाव और उत्प्रेरक (सामान्यत: प्लेटिनम वाला) का उपयोग करता है।*

हाइड्रो उपचार *: यह अर्धनिर्मित या अन्तिम उत्पादों से संदूषकों/अशुद्धताओं को हटाने का माध्यम है।*

1.2.2 देश में शोधन क्षमता

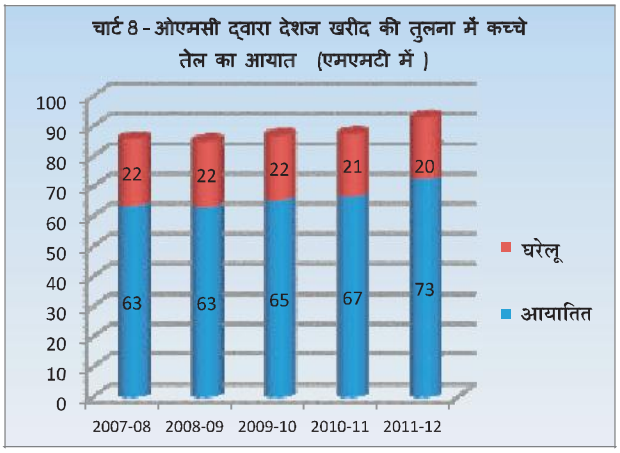
31 मार्च 2012 तक देश में 215.66 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की संयुक्त शोधन क्षमता वाली 22 रिफाईनरियां हैं। रिफाईनरियों की प्रतिष्ठापित क्षमताओं के ब्यौरों को **चार्ट 7** में दिया गया है।



इनमे से 135 एमएमटीपीए की संयुक्त क्षमता के वाली 19 रिफाइनरियां सार्वजनिक क्षेत्र में है (संयुक्त उद्यमों-जेवीज़ सहित) जबकि 80 एमएमटीपीए की संयुक्त क्षमता के साथ 3 निजी क्षेत्र में (रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड-2 एवं एस्सार ऑयल-1)।

1.2.3 कच्चे तेल के स्रोत

देश कच्चे तेल के उत्पादन में स्वयं सक्षम नहीं है और मुख्यत: आयात पर निर्भर करता है। कच्चे तेल का आयात 2007-08 में 1,21,672 टीएमटीज से 2011-12 के दौरान 1,71,729 टीएमटीज़ तक बढ़ गया था जबकि कच्चे तेल के देशज उत्पादन मे 2007-08 में 34,130 टीएमटीज़ से 2011-12 में 38,080 टीएमटीज तक केवल सीमांत रूप से वृद्धि हुई। 2011-12 में आयातित और देशज कच्चे तेल का अनुपात 4.50:1 था। जैसाकि **चार्ट 8** में देखा जा सकता है, तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा आयातित कच्चे तेल के स्रोत में वर्षों से वृद्धि हो रही हैं।



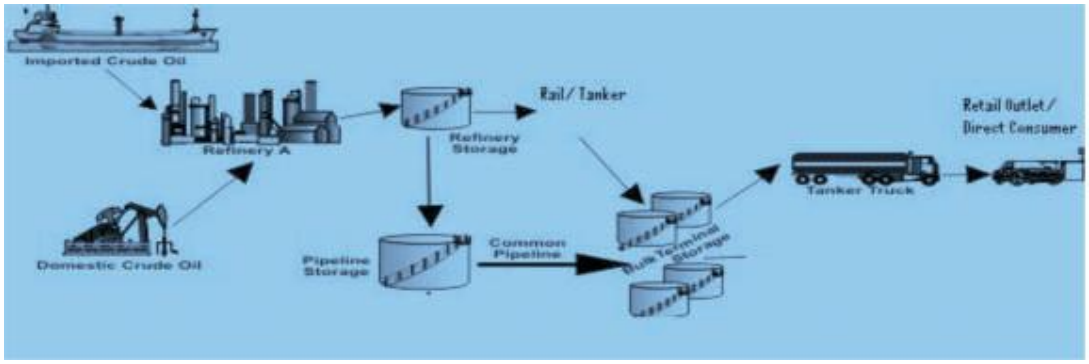
1.3 पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन

1.3.1 विपणन कार्यकलाप

विपणन कार्यकलापों मे भंडारण टर्मिनलों/डिपुओं तक पाइपलाइनों/रेल/पोत/सड़क के माध्यम से रिफाइनरी या पत्तन से उत्पादों के संचालन और खुदरा बिक्री केंद्र/ सीधे उपभोक्ताओं तक संवितरण शामिल है। जबकि एलपीज को अलग भंडारण यूनिट और बोटलिंग संयत्र की आवश्यकता होती है जहां उत्पाद को सिलेंडरों मे भरा जाता है, ओएमसीज 'स्वयं के'/ भाड़े के टैंक ट्रकों के माध्यम से एमएस एवं एचएसडी को खुदरा बिक्री केंद्रो तक डिलवर करती हैं। पीडीएस केरोसीन के संबंध में ओएमसीज उत्पाद को भंडारण टर्मिनलों/डिपुओं पर उपलब्ध कराती है जहां से राज्य सरकारों (नागर आपूर्ति विभाग) पीडीएस केरोसीन सुपुर्दगी केंद्रो तक इसे पहुंचने की व्यवस्था करती हैं।

ओएमसीज के विपणन कार्यकलाओं को **चार्ट 9** में दर्शाया गया है।

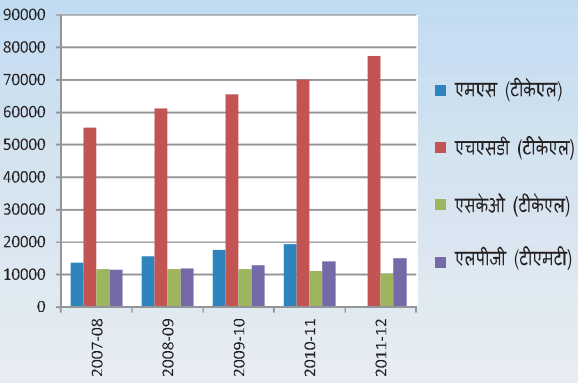
चार्ट 9 - ओएमसीज द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन



1.3.2 तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसीज़)

नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में तीन प्रमुख ओएमसीज हैं, अर्थात ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)। सार्वजनिक क्षेत्र में रिफाइनरियां ओएमसीज़ को पहले नियंत्रित उत्पादों की आपूर्ति करती हैं और फिर शेष मात्रा का निर्यात करती है। ओएमसीज़ निजी रिफाइनरियों से भी नियंत्रित उत्पादों को खरीदती है और मांग को पूरा करने के लिए शेष का आयात करती हैं। निजी कम्पनियां, अर्थात रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), एस्सार ऑयल लिमिटेड और शैल इंडिया के पास एमएस और एचएसडी के संवितरण के लिए खुदरा बिक्री केंद्र भी है। तथापि, उत्तरवर्ती 1 अप्रैल 2012 तक ओएमसीज़ द्वारा प्रचालित 42138 खुदरा बिक्री केंद्रो के प्रति केवल 2966 बिक्री केंद्रों (7 प्रतिशत) के लिए जवाबदेह है। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान ओएमसीज़ द्वारा नियंत्रित उत्पादों अर्थात एचएसडी, एमएस, घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरोसीन की वर्षवार बिक्री के ब्यौरें **चार्ट 10** में दिए गए है।

चार्ट 10 - ओएमसीज द्वारा नियंत्रित उत्पादों की बिक्री



1.3.3 नियंत्रित उत्पादों की मूल्य ढांचा में आवश्यक तत्व

इसके विपरीत तेल पीएसयूज़ अर्थात ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) अपने परिचालनों के माध्यम से कच्चे

तेल का उत्पादन करते है जिसे पेट्रोलियम उत्पादो में संसाधन के लिए पीएसयू रिफाइनरियों को बेचा जाता है। तथापि कच्चे तेल की मुख्य: आवश्यकता को पीएसयू रिफाइनरियों द्वारा आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। कच्चे माल 'कच्चे तेल' को रिफाइनरियों में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों में संसाधित किया जाता हैं। यह पाया गया कि कच्चे तेल की लागत उत्पाद लागत के 90 प्रतिशत से अधिक बनती है। उत्पादन प्रक्रिया की सन्निहित प्रवृति और जटिलता के कारण रिफाइनरियों ने तर्क दिया कि एक विशेष उत्पाद को एक विशेष प्रक्रिया से आवश्यक रूप से पहचाना नहीं जा सकता। प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन की लागत तक पहुँचने के लिए संयुक्त लागत को रिफाइनरियों मे उनकी बिक्री उगाहियों (उत्पादित मात्रा x यूनिट बिक्री कीमत) के आधार पर सभी उत्पादों को संविभाजित किया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत निर्धारण हेतु अनुपालन की जा रही प्रणाली में कुछ आवश्यक घटक या विशेषताए हैं, जोकि निम्नानुसार है :

- **आयात समता कीमत (आईपीपी)** : यह उस कीमत का प्रतिनिधित्व करती है जो संबंधित भारतीय पत्तनों पर एचएसडी, एमएस, और एसकेओ के वास्तविक आयात के मामले मे आयातकर्ता भुगतान करेगा और इसमे एफओबी (पोत पर्यन्त नि:शुल्क) कीमत के तत्व, समुद्री माल भाड़ा,बीमा, सीमा शुल्क, एवं पत्तन देय आदि शामिल हैं।

- **निर्यात समता कीमत (ईपीपी):** यह उस कीमत का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी तेल कम्पनियां पेट्रोलियम उत्पादों, अर्थात एफओबी कीमत+अग्रिम लाईसेंस लाभ के निर्यातों पर उगाही करेगीं।

- **व्यापार समता कीमत (टीपीपी):** टीपीपी में आईपीपी का 80 प्रतिशत और ईपीपी का 20 प्रतिशत शामिल हैं।

- **रिफाइनरी गेट कीमत**: ओएमसीज की रिफाइनरियों, एक मात्र पीएसयूज़(वें रिफाइनरियां जिनके पास विपणन बिक्री केंद्र नहीं हैं जैसे सीपीसीएल, एमआरपीएल आदि) और निजी रिफाइनरियों को ओएमसीज़ द्वारा क्रमश: एमएस और एचएसडी/घरेलू एलपीजी एवं पीडीएस केरोसीन की खरीद के लिए टीपीपी/आईपीपी को भुगतान किया जाता है और जिसे सामान्यत: रिफाइनरी गेट कीमत (आरटीपी) के रूप में जाना जाता है।

- **विपणन प्रभार:** विपणन प्रभारों में विपणन लागत, विपणन मार्जिन राशि, अंतर्देशीय भाड़ा, सुपुर्दगी प्रभार आदि शामिल हैं।

- **वांछित बिक्री कीमत (डीएसपी) :** इसमें आरजीपी का भारित औसत, मालभाड़ा, टर्मिनलिंग प्रभार, विपणन लागत, विपणन मार्जिन राशि, कार्यचालन पूंजी पर रिटर्न और निवेश पर रिटर्न सहित खुदरा पम्प बिक्री केंद्र प्रभार शामिल हैं।

- **डिपो कीमत :** पूर्व भंडारण केंद्र कीमत के रूप मे भी जाने जानी वाली डिपो कीमत को भारत सरकार द्वारा नियंत्रित उत्पादों के लिए नियत किया जाता है, जोकि डीएसपी से कम हैं।

- **कम-वसूली :** नियंत्रित उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा यथानियत डिपु कीमत और मूल्य ढांचा अनुसार डीएसपी के बीच अंतर है (करों एवं डीलर के कमीशन को छोड़कर)।

- **कर :** करों में केंद्र सरकार द्वारा उत्पादों पर उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्क, राज्य द्वारा उद्ग्रहीत अर्थात मूल्य वर्धित कर/बिक्रीकर, प्रवेश कर और अधिक प्रभार एवं स्थानीय निकायों की चूंगी शामिल है। वर्तमान रूप से, ये सभी कर और स्थानीय निकायों की चुंगी उत्पादों की खुदरा बिक्री कीमत का भाग बनती हैं।

- **डीलर का कमीशन** : यह उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा अवधारित दर हैं और जिसे ग्राहकों द्वारा अदा किया जाता है।

- **खुदरा बिक्री कीमत (आरएसपी):** उत्पाद शुल्क, वेट और डीलर के कमीशन सहित भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के रूप में वह कीमत जिस पर ओएमसीज़ नियंत्रित उत्पादों को बेचती हैं।

1.4 पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण तंत्र का विकास

वर्तमान रूप से पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात एचएसडी, पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी का मूल्य निर्धारण भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रिफाइनरी गेट पर एचएसडी की कीमत व्यापार समता कीमत (टीपीपी) पर नियंत्रित की जा रही है जबकि पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी का मूल्य निर्धारण आयात समता कीमत (आईपीपी) स्तर पर किया जाता है। इन तीन उत्पादों के लिए उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली आरएसपी भी भारत सरकार द्वारा नियत की जाती है। एमएस की कीमत 25 जून 2010 से रिफाइनरी और खुदरा स्तर दोनों पर बाजार द्वारा अवधारित है।

भारत सरकार ने 1948 से तेल कीमतों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए मुख्य कारण विश्व बाजार में पेट्रोलियम कीमतों की वाष्पशीलता से घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाना है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने में भारत सरकार के निर्णयों के कालक्रम को नीचे दिया गया है:

1.4.1 मूल्य निर्धारण निर्णय (1948-1977)

इस अवधि के दौरान सभी पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रणाधीन रखा गया था।

1948- बर्मा शैल के साथ सहमति से मूल्य स्टॉक लेखा प्रक्रिया के माध्यम से तेल कीमतों पर नियंत्रण किया गया

1961-1969-दामले समिति (1961), तालुकदार समिति (1965) और शान्तिलाल शाह समिति (1969) की सिफारिशों के आधार पर आयात समता कीमत (आईपीपी) को अपनाया गया।

1974- तेल कीमत समिति (ओपीसी) की सिफारिशों के आधार पर प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र(एपीएम) के रूप में सामान्यत: जानी जाने वाली 'कोस्ट पल्स बेसिज' के रूप में परिवर्तित।

1984-निवल कीमत पर 12 प्रतिशत पश्च कर रिटर्न में लगाई गई पूंजी पर समान दर से परिवर्तित ओएमसीज के लिए मुआवजा और तेल लागत समीक्षा समिति (1984) की सिफारिशों के आधार पर उधारियों की भारित औसत लागत

1997- जनवरी 1995 और जून 1996 में स्थापित क्रमश: तेल उद्योग की पुन संरचना (आर-ग्रुप) और विशेषज्ञ तकनीकी ग्रुप पर नीतिगत योजना ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से एपीएम को विघटित करने का निर्णय लिया गया।

1.4.2 मूल्य निर्धारण निर्णय (1997-आज तक)

1997-2006 तेल उद्योगों की पुनर्संरचना (आर ग्रुप) पर नीतिगत योजना ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1997 से 2002 तक चरणबद्ध तरीके से पेट्रोलियम उत्पादों के एपीएम को विघटित किया क्योंकि आर ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार मूल्य निर्धारण का एपीएम मॉडल प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेशों के लिए अपेक्षित पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का सृजन नहीं कर सका और लागत को न्यूनतम करने के लिए सुदृढ़ प्रेरक उपलब्ध नही कराए जा सके क्योंकि लागत प्लस फॉरमुला अक्षमताओं को बढ़ावा देता है। पहले उपाय के रूप में भारत सरकार ने उत्पादों अर्थात अप्रैल 1998 में ईंधन तेल, एलएसएचएस एवं नेप्था और अप्रैल 2001 में एविएशन टर्बाईन फ्यूल को विनियंत्रित किया था, अर्थात ओएमसीज़ को बाजार की परिस्थितियों के आधार पर इन उत्पादों की कीमतों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। अप्रैल 2002 से

एमएस और एचएसडी की कीमतें भी बाजार द्वारा अवधारित कर दी गई थी। तथापि, एचएसडी और एमएस कीमतों का विनियंत्रण केवल दो वर्षों की लघु अवधि के लिए किया गया था। भारत सरकार ने 2004 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के मद्देनजर इन दो उत्पादों की खुदरा कीमत पर नियंत्रण को दोबारा शुरू कर दिया था। अप्रैल 2002 से सभी पेट्रोलियम उत्पादों की आरजीपी की गणना आयात समता कीमत (आईपीपी[4]) के आधार पर की गई थी। यह जून 2006 तक जारी रही।

2006-2010: तत्पश्चात, डॉ रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति (फरवरी 2006) ने एमएस ओर एचएसडी के लिए आईपीपी के स्थान पर व्यापार समता कीमत (टीपीपी[5]) को आरजीपी के रूप में लागू करने की सिफारिश की थी। परिवर्तन के लिए तर्क यह था कि देश के एमएस और एचएसडी उत्पादन के 20 प्रतिशत का निर्यात किया जा रहा था। भारत सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और जून 2006 से कार्यान्वित कर दिया था। घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरिसीन का मूल्य निर्धारण आईपीपी के अन्तर्गत जारी रहा।

डॉ. रंगराजन समिति की सिफारिशें स्वीकृत की गई

- जून 2006 से रिफाइनरी गेट कीमतों के रूप में एमएस और एचएसडी के लिए व्यापार समता कीमत (80 प्रतिशत आयात समता कीमत और 20 प्रतिशत निर्यात समता कीमतका अपनाना
- मात्र बीपीएल परिवारों के लिए पीडीएस केरोसीन लेकिन लागू नहीं किया गया।

भारत सरकार ने सिफारिश के आधार पर जून 2006 से आवधिक रूप से एमएस और एचएसडी पर सीमा शुल्क को कम किया और मार्च 2008 से विशेष दरों पर (पहले यथा मूल्य दरों के स्थान पर) एमएस और एचएसडी पर उत्पाद शुल्क प्रभारित किया था। भारत सरकार ने आर्थिक सहायता युक्त पीडीएस केरोसीन की उपलब्धता केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों तक सिमित करने की सिफारिश को भी स्वीकार किया था, जिसे कार्यान्वित नहीं किया गया था।

[4] ***आईपीपी: यह उस कीमत का प्रतिनिधित्व करता है जिसका भुगतान आयातक संबंधित भारतीय पत्तनों पर एचएसडी, एमएस, एलपीजी और एसकेओ के वास्तविक आयात के मामले में किया जाएगा और इसमें एफओबी (पोत पर्यन्त नि:शुल्क) कीमत, समुद्री माल भाड़ा, बीमा, सीमा शुल्क एवं पत्तन देय आदि शामिल हैं।***

[5] ***टीपीपी: टीपीपी में आईपीपी का 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत निर्यात समता कीमत (ईपीपी) शामिल है***

2010-2012: डॉ किरिट एस पारीख की अध्यक्षता के अन्तर्गत विशेष दल ने एमएस और एचएसडी के लिए रिफाईनरी गेट और खुदरा स्तर दोनों पर बाजार द्वारा अवधारित कीमत को शुरू करने की सिफारिश की (अगस्त 2009)। भारत सरकार ने निर्णय लिया (जून 2010) कि एमएस और एचएसडी की कीमत रिफाइनरी गेट और खुदरा स्तर दोनों पर बाजार द्वारा अवधारित की जाएगी। तथापि, एचएसडी 17 जनवरी 2013 तक नियंत्रणाधीन रहीं।

किरिट पारीख समिति की स्वीकार की गई सिफारिशें

- एमएस की कीमत जून 2010 से बाजार द्वारा अवधारित की जाती है
- एचएसडी के लिए बाजार द्वारा अवधारित कीमत के लिए प्रमुख अनुमोदन

जनवरी 2013: भारत सरकार ने थोक उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए एचएसडी की कीमत को मुक्त कर दिया था (जनवरी 2013) और ओएमसीज़ ने इसके अधिष्ठापन से सीधे की गई थोक आपूर्तियों के लिए ₹ 9.25 प्रति लीटर तक की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। थोक उपभोक्ताओं को एचएसडी की बिक्री 2011-12 के दौरान 18 प्रतिशत की औसत बिक्री के प्रति अगस्त 2013 में कुल एचएसडी बिक्रियों के 10 प्रतिशत तक कम हुई है। भारत सरकार ने ओएमसीज़ को जनवरी 2013 से ₹ 0.45 प्रति लीटर तक खुदरा उपभोक्ताओं को एचएसडी की कीमत में बढ़ोतरी करने के भी निर्देश दिए; 2013-14 से प्रति उपभोक्ता 9 (नौ) आर्थिक सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की हकदारी नियत की, फिर भी फरवरी 2014 में प्रति उपभोक्ता 12 सिलेंडरों तक वृद्धि की गई थी।

डाउनस्ट्रीम सैक्टर और टेरिफ तथा मूल्य निर्धारण नीति के लिए सरकार का विजन

शोधन और विपणन के संबंध में भारत सरकार की दीर्घावधि नीति को हाइड्रोकार्बन विजन-2025 में दर्शाया गया है जो कतिपय दूरवर्ती क्षेत्रों , जिनकी समय-समय पर पहचान और समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, में कुछ उत्पादों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कीमतों को जारी रखते हुए उत्पादों के स्वतंत्र मूल्य निर्धारण की प्राप्ति पर विचार करता हैं।

हाईड्राकार्बन विजन ने उचित टेरिफ और मूल्य निर्धारण नीति को स्पष्ट किया जो हाइड्रोकार्बन सैक्टर की हित कर बढ़ोतरी और साथ ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित

करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मध्यमावधि में की जाने वाली निम्नलिखित कार्रवाई को निर्धारित करता है:

i) जितना जल्दी हो सके विद्यमान आर्थिक सहायता को हटाना।

ii) यथाशीघ्र चरणबद्ध ढंग में शुरूआत के लिए टेरिफ एवं शुल्कों के उपयुक्त स्तर निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों का दल गठित करना।

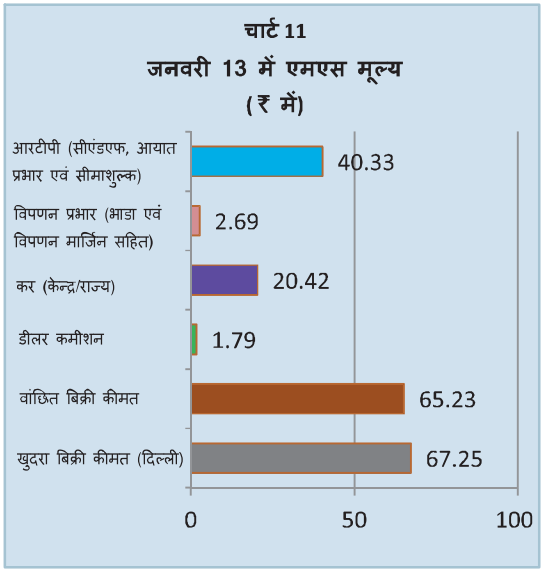
iii) दूरदराज के क्षेत्रों को आपूर्ति करने पर मालभाड़ा आर्थिक सहायता का तथा उत्पादों पर आर्थिक सहायता को राजकोषीय बजट में स्थानान्तरण करना। विपणन के विनियंत्रण के पश्चात पहाड़ी एवं दूरदराज के क्षेत्रों के लिए आपूर्ति लाईन के अनुरक्षण हेतु छूट के लिए आवश्यकता है।

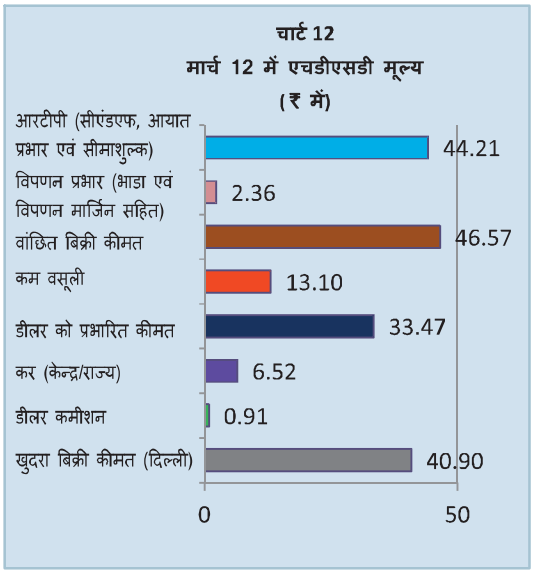
हाईड्रोकार्बन परिदृश्य – 2025

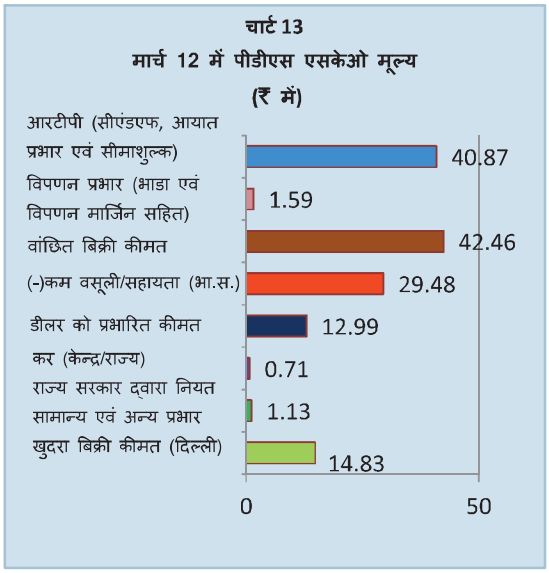
- यथाशीघ्र वर्तमान आर्थिक सहायताओं को चरणबद्ध करना।
- टेरिफ तथा शुल्क का उपयुक्त स्तर निर्धारित करना
- आर्थिक सहायताअें को राजकोषीय बजट में हस्तांतरित करना

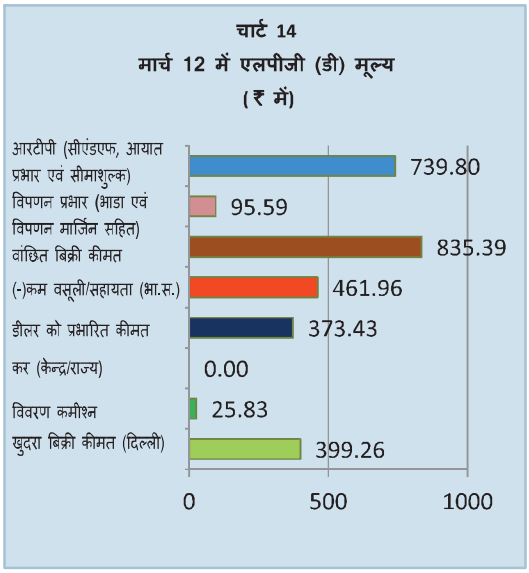
1.5 विनियमित उत्पादों की मूल्य वृद्धि

मार्च 2012 जनवरी 2013 में नई दिल्ली में एमएस, एचएसडी, घरेलू एलपीजी तथा पीडीएस केरोसीन के लिए मूल्य वृद्धि की संरचना नीचे चार्ट 11 से 14 में दी गई है:









1.6 ओएमसीज को कम वसूलियों की क्षतिपूर्ति

2002 में प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) के विखंडन के साथ, एमएस तथा एचएसडी के मूल्यों को विनियंत्रित किया गया था। तथापि, पीडीएस केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी के मूल्यों को उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ा/संरेखित नहीं किया जा सका था, जिसके परिणामस्वरूप ओएमसीज को कम वसूली हुई। अन्तिम उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता प्राप्त दर (वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं) पर पीएसडी केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी के वितरण के लिए, भारत सरकार ने निर्णय किया (अक्टूबर 2003) कि

ओएमसी एमएस तथा एचएसडी पर सृर्जित अधिशेषों से इन दो उत्पादों पर वहन की गई हानियों के लगभग एक तिहाई को अवशोषित करेगा जबकि शेष हानियां एक तरफ अपस्ट्रीम कम्पनियों यथा ओएनजीसी, ओआईएल तथा गेल तथा दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा समान रूप से साझा की जाएँगी। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल तथा उत्पादों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण एमएस तथा एचएसडी के मूल्यों को पुन: 2004 में विनियम (नियंत्रण) के तहत लाया गया था तथा इन उत्पादों की कम-वसूली की भी अक्टूबर 2003 मे निर्णीत ढ़ंग से प्रतिपूर्ति की गई थी।

किरिट पारेख समिति (फरवरी 2010) की सिफारिशों के आधार पर, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल था, 'पैट्रोल के अन्तिम खपत का उत्पाद होने के नाते, पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि मोटरयुक्त वाहन स्वामियों द्वारा वहन की जा सकती है', भारत सरकार ने जून 2010 में एमएस को पूर्णत: विनियंत्रित कर दिया। अत: भारत सरकार द्वारा भार सहभाजन तंत्र इन तीन उत्पादों नामत: - एचएसडी, पीडीएस केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी पर जारी है।

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने एमओपीएनजी के परामर्श से कम-वसूली पर क्षतिपूर्ति की राशि को एक वर्ष में दुगुना से तीन गुणा करके तथा प्रणाली का अनुमोदन किया। क्षतिपूर्ति की मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, देश में संवेदनशील पैट्रोलियम उत्पादों (एमएस-जून 2010 तक, एचएसडी, पीडीएस केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी) की मांग तथा खपत, कच्चे तेल पर छूट के रूप में हानियों के एक हिस्से को अवशोषित करने की अपस्ट्रीम कम्पनियों तथा ओएमसीज़ की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण (एमओएफ द्वारा) करने के पश्चात निर्धारित किया जाता है, ताकि ओएमसीज़ अपने त्रैमासिक परिणाम घोषित करने में सक्षम हो सकें।

अध्याय 2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

देश में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 1987-88 तक की अवधि को कवर करते हुए संघ सरकार की 1989 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) सं 7 में तथा पुन: समीक्षा 1988-89 से 1993-94 तक की अवधि को कवर करते हुए 1995 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) सं 19 में की गई थी।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के विचार से की गई थी:

- ओएमसीज, उपभोक्ताओं, भारत सरकार तथा अपस्ट्रीम कम्पनियों पर मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रभाव; एवं
- वह सीमा जिस तक ओएमसीज में प्रचालनों की वास्तविक लागत मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किये जाने वाले निर्धारित प्रतिमानों से मेल खाती है तथा भारत सरकार द्वारा गठित हानि सहभाजन तंत्र की प्रभावशीलता।

2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने विनियमित उत्पादों के मूल्य निर्धारण तंत्र के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों तथा ओएमसीज यथा इन्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के परिणामी कम वसूली दावों की जॉच शामिल है। सभी तीन ओएमसीज़ के छह चयनित रिफाइनरियों (एचपीसीएल रिफाइनरी, मुम्बई, स्थापना-1954; बीपीसीएल रिफाइनरी, मुम्बई, स्थापना-1955; आईओसीएल रिफाइनरी, गुजरात, स्थापना-1965; आईओसीएल रिफाइनरी, हल्दिया, स्थापना-1974; आईओसीएल रिफाइनरी, बोगॉइगॉव, स्थापना-1979; आईओसीएल रिफाइनरी, पानीपत, स्थापना-1998); के निष्पादन से संबंधित दस्तावेजों तथा क्षतिपूर्ति की कम वसूली से संबंधित दस्तावेजों जो उपलब्ध कराए गए थे, की भी जॉच एमओपीएनजी/पेट्रोलियम प्लांनिंग एण्ड एनासिसिस सेल (पीपीएसी) तथा एमओएफ में की गई थी। लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि 2007-08 से 2011-12 तक है।

2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्त्रोत निम्नलिखित थे:

- मूल्य निर्धारण सूत्र के निर्धारण हेतु विचार किये जाने वाले प्रतिमानों में दर्शाये गए लागत के तत्त्व, पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के संबंध में पीपीएसी द्वारा समय-समय पर ओएमसीज को अनुदेश।
- पैट्रोलियम उत्पादों को विनियंत्रित करने के लिए दीर्घावधि योजना में गठित किये गए मील के पत्थर
- पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पर संसदीय स्थाई समिति सहित विभिन्न समितियों की सिफारिशें।
- सार्वजनिक क्षेत्र अपस्ट्रीम कम्पनियों, ओएमसीज तथा सरकार के बीच हानि सहभाजन के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देश।
- एमओपीएनजी के साथ ओएमसीज द्वारा किये गए एमओयूज में निर्धारित मुख्य निष्पादन लक्ष्य।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

एमओपीएनजी, एमओएफ, पीपीएसी तथा ओएमसीज के साथ 6 सितम्बर 2012 को एक एन्ट्री कान्फ्रेस आयोजित किया गया था जहॉ लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति पर चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा सितम्बर, 2012 से फरवरी, 2013 तक की गई थी। पैट्रोलियम उत्पादन के मूल्य निर्धारण से संबंधित दस्तावेज जो उपलब्ध कराए गए थे, जैसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों की सिफारिशें, एमओपीएनजी/पीपीएसी तथा एमओएम में इन सिफारिशों का अनुमोदन तथा कार्यान्वयन, एमओपीएनजी द्वारा अपनाया गया कम वसूलियों का भार सहभाजन तंत्र,कम वसूलियों के अनुमोदन की प्रणाली तथा पीपीएसी में किये जाने वाले नियंत्रणों की जॉच की गई थी। ओएमसीज में विनियमित उत्पादों के मूल्य निर्धारण के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों, रिफाइनरियों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा विपणन की लागत, एमओपीएनजी के साथ समझौता ज्ञापन, ओएमसीज द्वारा प्रस्तुत किए गए कम वसूली के दावे तथा ओएनसीज के बोर्ड कार्यवृत्तों की भी समीक्षा की गई थी। विस्तृत अध्ययन के लिए छह रिफाईनरियों अर्थात बीपीसीएल (मुम्बई) तथा एचपीसीएल (मुम्बई) प्रत्येक में से एक रिफाईनरी तथा आईओसीएल (कोयाली, पानीपत, हल्दिया तथा बोगॉइगॉव) से चार रिफाईनरियों, का एक नमूना चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहले जुलाई, 2013 में हुई पूर्व एग्ज़िट कांफ्रेस में तथा उसके पश्चात् 21 फरवरी 2014 को हुई एग्ज़िट कांफ्रेस में ओएमसीज़, पीपीएसी एवं एमओपीएनजी के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

2.5 अभिस्वीकृति

हम सूचना, अभिलेख, स्पष्टीकरण तथा संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चाएँ उपलब्ध कराने के लिए एमओपीएनजी, पीपीएसी, एमओएफ तथा ओएमसीज द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं जिसने लेखापरीक्षा पूरा करना सरल बनाया।

2.6 लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संरचना

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को तीन व्यापक शीर्षकों के अन्तर्गत अध्याय 3 में सारांशीकृत किया गया है:

- अध्याय 3.1-तेल विपणन कम्पनियों पर मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रभाव;
- अध्याय 3.2 उपभोक्ताओं पर मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रभाव;
- अध्याय 3.3 अपस्ट्रीम कम्पनियों और भारत सरकार पर मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रभाव।

अध्याय 3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विनियमित पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य निर्धारण पद्धति, जो 2007 से और 2012 के बीच प्रभाव में थी, की जॉच की गई थी ताकि तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज), उपभोक्ताओं तथा सरकार/अप-स्ट्रीम कम्पनियों पर इसके प्रभाव का पता लगाया जा सके। इन क्षेत्र में मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.1 तेल विपणन कम्पनियों पर मूल्य निर्धारण कार्यप्रणाली का प्रभाव

3.1.1 रिफाईनरी गेट पर मूल्य निर्धारण

विनियमित पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण आयात समता आधार पर किया जाता है अर्थात उत्पादों का मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया जाता है जैसे उन्हें देश में आयात किया जाता है, तथापि, यह आवश्यक रूप से कच्चा माल (कच्चा तेल) होता है जिसे आयात किया जाता है। विपणन कम्पनियों को रिफाईनरियों द्वारा उत्पादों का हस्तातंरण जून 2006 तक आयात समता मूल्य (आईपीपी) पर किया गया था। तथापि, डा. रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर एमएस तथा एचएसडी के मूल्य जिस पर ये तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के विपणन अधिकार में हस्तांरण किये जाते थे, को व्यापार समता मूल्य (टीपीपी) में परिवर्तित किया गया था। जून 2006 से प्रभावी टीपीपी आईपीपी को 80 प्रतिशत तथा निर्यात समता कीमत (ईपीपी) को 20 प्रतिशत भारिता प्रदान करता है।

- **आयात समता मूल्य (आईपीपी)** उस मूल्य को दर्शाता है जो आयातकों को संबंधित पत्तनों पर उत्पाद के वास्तविक आयात के मामले में भुगतान करेगा तथा जिसमें एफओबी, समुद्री माल भाड़ा, बीमा, सीमा शुल्क तथा पत्तन देय राशियॉ शामिल हैं।
- **निर्यात समता मूल्य (ईपीपी)** उस मूल्य को दर्शाता है जो तेल कम्पनियों की पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर वसूल करेगा तथा जिसमें एफओबी एवं अग्रिम लाइसेंस लाभ शामिल है।
- **व्यापार समता मूल्य (टीपीपी)** आईपीपी के 80% तथा ईपीपी के 20% के बराबर है।

मूल्य निर्धारण पद्धति रिफाइनरी गेट पर एक पूर्व-निर्धारित स्थान पर उत्पाद के पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारित करती है तथा उस उत्पाद को उस स्थान से देश में गंतव्य स्थान तक लाने के अनुमानित व्ययों के समूह को जोड़ती है। रिफाईनरी गेट मूल्य (आरजीपी) निकालने के लिए एमएस के लिए सिंगापुर में एफओबी मूल्य पर विचार किया जाता है जबकि अन्य विनियमित उत्पादों (एचएसडी, एसकेओ तथा एलपीजी) के लिए अरब की खाड़ी पर एफओबी आधार मूल्य के रूप में लिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उत्पादों के प्रति दिन के भाव को प्लाट्स एण्ड

अर्गस[6] 'में प्रकाशित होता है जिनके पाक्षिक/मासिक औसत पर विचार किया जाता है'। एफओबी मूल्य में जोड़े गए तत्त्वों तथा उनके अनुमान के ढंग को नीचे तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2

आरजीपी के निर्धारण के लिए एफओबी में जोड़े गए तत्व

i.	**अरब की खाड़ी से भारत तक भाड़ा:** रिफाइनरी पत्तनों (हल्दिया से अलग) के लिए एमएस तथा एचएसडी के लिए लागू भाड़ा दर मध्यम दर्जे के आकार के पोत के लिए औसत भाड़ा दर निर्धारण (एफआए) पर आधारित है। इस प्रकार व्युत्पन्न निर्धारण का प्रयोग सेक्टर सितरा (बाहरेन) से गंतव्य पत्तन तक मूल भाड़े को समायोजित करने के लिए किया जाता है। हल्दिया रिफाइनरी के लिए, 50 मूल बिन्दु जोड़े जाते हैं। पीडीएस केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी के मामले में मूल्य वृद्धि के लिए पदनामित लदान पत्तन रासतनूरा है।
ii.	**बीमा प्रभार:** लागत तथा भाड़ा मूल्य (एफओबी जमा भाड़ा) पर 0.1 प्रतिशत के बीमा प्रभार एमएस तथा एचएसडी के लिए जोड़े जाएगें। अन्य दो उत्पादों के मामलों में, यह जनरल इन्श्योरेंस कारपारेशन (जीआईसी) द्वारा गठित वास्तविक टैरिफ दर है।
iii.	**एलसी प्रभार:** सी एण्ड एम मूल्य के 0.225 प्रतिशत को साख-पत्र प्रभार एफओबी मूल्य में जोड़ा जाता है।
iv.	**समुद्र हानि:** यह एमएस तथा एचएसडी के लिए उत्पाद के सी एण्ड एफ मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर है। पीडीएस केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी के मामले में, यह सी एण्ड एफ मूल्य पर क्रमश 0.212 प्रतिशत तथा 0.305 प्रतिशत है।
v.	**घाट शुल्क:** यथा लागू सेवा कर जमा गंतव्य पत्तन पर घाट प्रभार पर विचार किया जाता है।
vi.	**शुल्क तथा उगाही:** उत्पाद के आयात के लिए सीआईएफ मूल्य पर यथा लागू आधारभूत सीमाशुल्क पर विचार किया जाता है।

देश में विनियमित पेट्रोलियम उत्पाद (एमएस, एचएसडी, एसकेओ, एलपीजी) व्यापक रूप से (57 प्रतिशत) ओएमसीज की 12 रिफाईनरियों में उत्पादित किये जाते थे। शेष आवश्यकता या तो भारतीय निजी एवं स्टैण्ड एलोन (वे जिनके अपने विपणन प्रतिष्ठान नहीं होते) पीएसयू रिफाईनरियों (34 प्रतिशत) से खरीदी जाती है अथवा ओएमसीज द्वारा देश में आयात (9 प्रतिशत) की जाती है और बेची जाती है।

ओएमसी रिफाईनरियों से उत्पाद

एफओबी मूल्य में जोड़े जाने वाले, उपरोक्त तालिका 2 में वर्णित, लागत के तत्व नामत: भाड़ा, बीमा, सीमाशुल्क इत्यादि, वास्तव में ओएमसी रिफाईनरियों में रिफाईन्ड उत्पादों के उत्पादन में वहन नहीं किये जाते हैं। तथापि, मूल्य निर्धारण पद्धति अथवा मूल्य वृद्धि में शामिल किये जाने की वजह से, वे रिफाईनरी गेट मूल्य (आरजीपी) का हिस्सा होते हैं,

[6] *प्लाटस एवं अर्गस पैट्रोलियम उत्पाद कीमतों को निकालने के लिए दो वैश्विक स्वीकृत प्रकाशन हैं।*

जिनके लिए रिफाईनरी को क्षतिपूर्ति की जाती है। क्योंकि आरजीपी खुदरा ब्रिकी मूल्य (आरएसपी) तथा कम-वसूली के निर्धारण के लिए आधार है, इसलिए एक उच्चतर आरजीपी खुदरा मूल्य पर के साथ-साथ कम-वसूली की मात्रा को भी प्रभावित करता है।

इन अनुमानित तत्वों को जोड़ने से ओएमसी रिफाईनरियों में संसाधित रिफाईन्ड विनियमित उत्पादों के लिए आरजीपी में ₹ 50,513 करोड़ तक बढ़ोतरी का प्रभाव पड़ा जैसा नीचे तालिका 3 में दर्शाया गया है। यह राशि विनियमित उत्पादों (एमएस जून 2010 तक, एचएसडी, एलपीजी घरेलू तथा पीडीएस करोसीन) की बिक्री पर ओएमसी के कम वसूली दावों में दर्शाये गए अनुमानित तत्वों पर आधारित है। निजी/ स्टेण्ड एलोन रिफाईनरियों से विनियमित उत्पादों की खरीद तथा इन उत्पादों के आयात पर व्यय को अलग करने को ध्यान में रखा गया है क्योंकि दोनों मामलों में, ओएमसीज़ ने ये व्यय (निजी तथा स्टैण्डएलोन रिफाइनरियों से इन उत्पादों की खरीद तथा टीपीपी/आईपीपी (एफओबी + अन्य तत्व) पर आयात) वहन किये हैं, जैसाकि तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3

2007-08 से 2011-12 के दौरान विनियमित उत्पादों की मूल्य वृद्धि में जोड़े गए अनुमानित तत्व

(₹ करोड़ में)

लागत का तत्व	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	जोड़
एलसी प्रभार	988	384	256	1,628
बीमा प्रभार	388	154	101	643
माल भाड़ा	9,335	3,444	2,380	15,159
घाट प्रभार	817	315	211	1,343
सीमा शुल्क	17,101	6,982	4,461	28,544
समुद्रीय हानि	1,928	766	502	3,196
जोड़	**30,557**	**12,045**	**7,911**	**50,513**

स्रोत: एफओबी में जोड़े गए अनुमानित तत्वों का डाटा ओएमसीज द्वारा उपलब्ध कराया गया

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व सीमा शुल्क है जो कुल प्रभाव के 56 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है।

एक उत्पाद के लिए एफओबी मूल्य निर्दिष्ट पत्तन पर उत्पाद का वास्तविक मूल्य हैं एवं इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बैंचमार्क मूल्य के रूप में माना जा सकता है। एक मूल्य के रूप में, इसमें सभी लागतों के साथ-साथ निर्ष्दिट पत्त्न पर रिफाइनरी के लिए लाभ का

तत्त्व भी शामिल होता है। यदि भारतीय रिफाइनरियों के कार्य निष्पादन का ऐसी रिफाइनरियों के कार्य निष्पादन के साथ मिलान किया जाए, तो उपरोक्त तालिका 3 में निकाली गई राशि ओएमसी रिफाईनरियों के लिए लाभ का स्त्रोत होगी।

एमओपीएनजी ने बताया (जून 2013/जनवरी 2014) कि भारतीय रिफाईनरियों में उत्पादन की वास्तविक लागत मूल्य वृद्धि में निर्धारित किये गए रिफाईनरी गेट मूल्य (एफओबी+अतिरिक्त तत्व) के समरूप है तथा इस प्रकार मूल्य निर्धारण पद्धति ओएमसी रिफाईनरियों के लिए लाभ का स्त्रोत नहीं है। एक्जिट कान्फ्रेंस (फरवरी 2014), में एमओपीएनजी ने दोहराया कि लेखापरीक्षा द्वारा निकाले गए ₹ 50,513 करोड़ के अनुमानित लाभ में ₹ 28544 करोड़ सीमाशुल्क है जो कच्चे तेल तथा उत्पाद आयात से संबंधित है जिसकी सिफारिश डा. रंगराजन समिति द्वारा की गई थी। इस दावे को इन तथ्यों के मद्देनजर देखे जाने की आवश्यकता है कि:

(i) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा एमओएफ की लागत लेखा शाखा, द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, एमओपीएनजी द्वारा संदर्भित उत्पादन की 'वास्तविक लागत' रिफाइनिंग प्रक्रिया की मिश्रित प्रवृत्ति के मद्देनजर रिफाईनरियों की विक्री वसूली (विक्री मूल्य X बेची गई मात्रा) के आधार पर उनके द्वारा उत्पाद पर वहन की गई लागतों का निर्धारण है। वास्तव में, रिफाइनिंग प्रक्रिया की मिश्रित प्रवृति को रिफाईनरियों द्वारा उत्पादन की वास्तविक लागत निर्धारित करने में अक्षम होने के लिए कारणों में से एक के रूप में दर्शाया गया है।

(ii) यदि एक रिफाईन्ड उत्पाद की बिक्री वसूली उच्च है, तो इसकी उच्चतर लागत निर्धारित की जाती है एवं विलोमत:। चूँकि विनियमित रिफाइन्ड उत्पाद रिफाईनरियों की विक्री वसूली का अधिकतर भाग होते हैं, इसलिए लागतों का अधिकतम भाग इन उत्पादों को आवंटित हो जाता है। इस प्रकार उत्पादन लागत उत्पाद के प्रत्येक चरण पर उत्पाद में हुए वास्तविक मूल्य वर्धन पर आधारित नहीं है, बल्कि उत्पादों की बिक्री वसूली पर आधारित है।

(iii) घरेलू रिफाईनरियों को कुछ प्रभावशाली सुरक्षा अनुमत करने के लिए डा. रंगराजन समिति की सिफारिश का उद्धरण करते हुए, एमओपीएनजी ने वर्तमान रिफाईनरियों के विस्तारण तथा आधुनिकीकरण में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त रिफाइनिंग मार्जिन उपलब्ध कराने के लिए टीपीपी/आईपीपी आधारित मूल्य निर्धारण को जारी रखने के लिए तर्क दिया। यह एमओपीएनजी द्वारा एक स्वीकारोक्ति के समान है कि आईपीपी/टीपीपी आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति भारतीय रिफाइनरियों के अन्तर्गत एक मूल्य सुरक्षा प्राप्त करती है।

एमओपीएनजी तथा ओएमसीज ने यह भी बताया कि एफओबी -अरब खाड़ी बाजार परिस्थितियों को वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं करता तथा इसे भारतीय रिफाइनरी मूल्य के निर्धारण हेतु एक बैंचमार्क के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यह बताया गया कि अरब की खाड़ी एक कच्चा तेल उत्पादन क्षेत्र है एवं इसकी मूल्य दरें भारत जैसे एक कच्चे तेल आयातक राष्ट्र के लिए पूरा लागत मूल्य प्रदर्शित नहीं करती।

इस संबंध में, यह समझने की आवश्यकता है कि एफओबी-अरब खाड़ी मूल्य, जैसा कि प्लाट्स एण्ड अर्गस (जो मूल्य वृद्धि के लिए आधार होते हैं) द्वारा प्रस्तुत किया गया है, क्षेत्र (सिंगापुर-अरब की खाड़ी) के लिए अनुमानित भाड़ा को वापस निर्धारित करने के पश्चात एफओबी सिंगापुर पर आधारित निर्मित मूल्य हैं। इस प्रकाशन (प्लाट्स एण्ड अर्जस) की 'कार्यपद्धति एवं विनिर्देशन गाईड' बताती है कि इस प्रकार का गठन अरब की खाड़ी के लिए एक खुला बाजार मूल्य न होने की परिस्थिति में किया गया है।

एफओबी - पश्चिमी भारत एफओबी सिंगापुर से लिये जाने के नाते पश्चिमी भारत के लिए सुसंगत भाड़ा लागतों में कटौती करते हुए एक सदृश बैचमार्क मूल्य प्लाट्स प्रकाशन (जून 2009 से) में दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि प्लाट्स द्वारा इसके प्रकाशन में दर्शाये गए एफओबी पश्चिमी भारत एफओबी-अरब की खाड़ी से लगभग मिलते जुलते हैं। इस प्रकार, वास्तव में उत्पादों के मूल्य सिंगापुर में उनके वास्तविक मूल्य के साथ बैचमार्क किये जाते हैं (अरब की खाड़ी के बजाए) जो एक कच्चा तेल उत्पादन क्षेत्र नहीं हैं तथा कच्चे तेल के आयात में अनुवर्ती लागत भी वहन करता है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी भारत में निर्मित मूल्य अरब की खाड़ी के समान रूप से निर्मित मूल्यों के लगभग निरूपक माना जाता है। इसके अतिरिक्त, रिफाइन्ड उत्पाद वास्तव में एफओबी-पश्चिमी भारत के तुलनीय मूल्यों पर पश्चिमी भारत से निर्यात किये जाते हैं।

यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा श्री बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता के अन्तर्गत गठित की गई उच्च अधिकार समिति ने मुख्य पैट्रोलियम व्यापार केन्द्रों पर प्रचलित एफओबी स्तर पर रिफाईनरी गेट पर उत्पादों के मूल्य निर्धारण की सिफारिश की (जुलाई 2008)। इस समिति का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रिफाइन्ड उत्पादों के लिए उद्धृत मूल्यों (एफओबी मूल्य) में कच्चे तेल पर लागत के मद जैसे समुद्रीय भाड़ा, एलसी प्रभार इत्यादि शामिल होते हैं जो भारतीय रिफाईनर्स भी वहन कर रहे थे। वास्तव में, समिति ने माना कि सिंगापुर की तुलना में भारतीय तटीय रिफाईनर्स एक लाभदायक स्थिति में थे क्योंकि सिंगापुर रिफाइनर्स कच्चे तेल की कुछ

मात्रा मलेशिया तथा मध्य पूर्व से मंगवा रहे थे, जिसमें शामिल दूरी भारतीय तटीय रिफाईनर्स की तुलना में ज्यादा थी।

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पर स्थाई समिति ने भी (2011-12) पेट्रोलियम उत्पादों की कम-वसूली की चुनौतियों की समीक्षा करते समय सिफारिश की कि सिंगापुर/अरब की खाड़ी में पेट्रोलियम उत्पादों के एफओबी मूल्य से अलग घटकों को रिफाइनरी गेट मूल्य (आरजीपी) में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। समिति ने राय दी थी कि इससे पेट्रोलियम उत्पादों की लागत में कमी आएगी तथा परिणामस्वरूप, कम वसूली भार कम होगा। समिति का विचार था कि जब मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के समान है, तो अन्य अतिरिक्त लागतों को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है।

पॉच वर्षों की अवधि (2007-08 से 2011-12) के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, निर्यात तथा आयात पर डॉटा की जॉच से पता चला कि पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी (**अनुबंध II तथा III**) के साथ-साथ स्थाई रूप से बढ़ रहा था। 2007-12 की अवधि के दौरान सभी विनियमित उत्पादों (एसकेओ को छोड़कर) का उत्पादन बढ़ा था। वास्तव में, देश अब अतिरिक्त रिफाइनिंग क्षमता के स्तर तक पहुँच चुका है, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एमएस तथा एचएसडी, (देश में उत्पादित एचएसडी का 24 प्रतिशत तथा एमएस का 53 प्रतिशत 2011-12 में निर्यात किया गया था) की काफी बड़ी मात्रा का निर्यात हुआ, जबकि देश में एलपीजी तथा एसकेओ का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा आयात करना जारी है। उत्पाद जैसे एमएस तथा एचएसडी अधिकतर निजी रिफाइनर्स द्वारा एफओबी/ईपीपी की तुलना योग्य कीमतों पर लाभदायक रूप से निर्यात किये जाते हैं। अत: एफओबी/ईपीपी के लिए आरजीपी की बैंचमार्किंग व्यापार सांख्यिकी द्वारा भी प्रोत्साहित की गई है, जिसकी एमओपीएनजी द्वारा जॉच किये जाने की आवश्यकता है।

कच्चे तेल के आयात पर संबद्ध लागत

पीएसयू रिफाइनरियां पश्चिमी तट तक ही सीमित नहीं है तथा ओएमसीज द्वारा कच्चे तेल के आयात के लिए अनुषगिक लागत वहन करते हुए कच्चे तेल का लगभग 78 प्रतिशत आयात किया जाता है। पीएसयू रिफाइनरियों में विनियमित उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे तेल के आयात के लिए ओएमजी द्वारा वहन किये गए व्ययों का अनुमान लगाने के लिए, लेखापरीक्षा ने ओएमसी रिफाइनरियों द्वारा परिणाम अनुपात (अर्थात; उत्पादन के कुल परिणाम के लिए विनियमित उत्पादों के परिणाम पर आधारित)

में कच्चे तेल का आयात करते समय 2007-12 के दौरान ओएमसीज द्वारा वहन किये गए वास्तविक व्यय को विभाजित किया, जिसे तालिका 4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4

कच्चे तेल के आयात पर वहन की गई अनुमानित लागत

(₹ करोड़ में)

लागत का तत्त्व	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	जोड़
एलसी प्रभार	29	26	21	76
बीमा प्रभार	18	6	4	28
भाड़ा	5,580	2,043	1,359	8,982
घाट प्रभार	439	184	172	795
सीमा शुल्क	7,990	2,587	1,633	12,210
समुद्रीय हानि	1,050	511	235	1796
जोड़	**15,106**	**5,357**	**3,424**	**23,887**

इस प्रकार, 2007-12 के दौरान कच्चे तेल के आयात में वहन किये गए सुसंगत व्ययों को घटाने के बाद भी, ओएमसीज को ₹ 26,626 करोड़ (तालिका 3 से ₹ 50,513 करोड़ घटा तालिका 4 से ₹ 23,887) का लाभ होना चाहिए।

यह तथ्य कि ओएमसीज को मूल्य निर्धारण पद्धति से लाभ हो रहा है, 2007-08 के दौरान 'संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की कम वसूली' पर किये गए एक अध्ययन में एमओएफ की लागत लेखापरीक्षा शाखा द्वारा भी बताया गया था। यह अध्ययन अप्रैल से सितम्बर 2007 के दौरान छह माह के लिए आईओसीएल द्वारा बाड़ीनार पत्तन (जो गुजरात, पानीपत तथा मथुरा रिफाइरियों की आवश्यकता पूर्ति करता है), हल्दिया पत्तन (जो बरौनी तथा हल्दिया रिफाइनरियों की आवश्यकता पूर्ति करता है) तथा एचपीएल द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन (जो विशाखापत्तनम रिफाइनरी की आवश्यकता पूर्ति करता है) पर कच्चे तेल आयात के डाटा पर आधारित था। इस अवधि के दौरान आयात की वास्तविक अनुषंगिक लागत की तुलना आरजीपी में दर्शाये गए तत्त्वों के साथ की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, भाड़े पर वहन की गई वास्तविक लागत आरजीपी निर्धारित निकालने के लिए अपनाए गए बैंचमार्क से 70 प्रतिशत की सीमा (वाड़ीनार में, 53 प्रतिशत (हल्दिया में) तथा 58 प्रतिशत (विशाखापत्तनम में) तक कम थी। वाड़ीनार में उच्चतर बचत मुख्यत: वाड़ीनार में वेहतर पत्तन सुविधाओं के कारण थी, जो वीएलसीसी[7] के अनुरूप हो सकती थी जिससे औसत भाड़ा व्यय कम हो रहे थे। जहॉ तक समुद्रीय

[7] *वीएलसीसी-कच्चे तेल के बहुत बड़े कंटेनर*

हानि का संबंध है, वहॉ अध्ययन से पता चला कि वास्तविक लागत 32 प्रतिशत तक कम थी तथा बीमा 98 प्रतिशत तक कम था।

यह नोट किया जाना उपयुक्त है कि कच्चे तेल का लगभग 20-22 प्रतिशत ओएमसीज द्वारा देशज रूप से खरीदा जाता है। देशज रूप से कच्चे तेल की खरीद के लिए संबंधित लागत आयात की लागत से कम थीं। जैसाकि आईओसीएल द्वारा निकाला गया, 2007-08 से 2011-12 की अवधि में आयात की तुलना में देशज कच्चे तेल का उपयोग करने में लाभ ₹ 1854.85 करोड़ था।

इसके अतिरिक्त, अपस्ट्रीम कम्पनियों तथा ओएमसीज के बीच कच्चा तेल विक्री अनुबंध (सीओएसए) के अनुसार, ओएमसीज़ सकल कच्चे तेल के मूल्य पर चूँगी/वैट/सीएसटी के 50 प्रतिशत के भुगतान के लिए दायी थी (पीपीएसी परिपत्र दिनांक 1 अप्रैल 2004)। इसे अब कच्चे तेल मूल्य पर निवल कटौती (एमओपीएनजी परिपत्र दिनांक 31 मई 2012) के रूप में परिवर्तित किया गया है। चूँकि ओएमसीज को अपस्ट्रीम कम्पनियों से भारी छूट प्राप्त थी (2012-13 में कच्चे तेल के मूल्य का 56.8 प्रतिशत), इसलिए इससे ओएमसीज को अधिक लाभ हुआ 2012-13 में अकेले ओएनजीसी से खरीद के लिए ₹ 1,584.67 करोड़ लाभ हुआ था (जैसा कि ओएनजीसी के लेखाओं से देखा गया)।

आयात समता आधारित मूल्य निर्धारण को जारी रखने के लिए ओएमसीज द्वारा पेश किया गया अन्य तर्क यह है कि ओएमसीज व्यय वहन करती है, जिन्हें विनियमित उत्पादों की मूल्य निर्धारण संरचना में नहीं दर्शाया जाता। ओएमसी रिफाइनरियां कच्चे तेल की खरीद पर प्रवेश कर तथा चूँगी के रूप में अतिरिक्त व्यय कर रही थी जिन्हें समस्त रूप से अन्तिम उपभोक्ता को हस्तांतरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल को 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान क्रमश: ₹ 6,310 करोड़, ₹ 3,349 तथा ₹ 1,228 करोड़ की निवल राशि अवशोषित करनी पड़ी थी।

एमओपीएनजी ने अपने (दिनांक 24.07.2012 के पत्र द्वारा ओएमसीज़ को प्रत्याशित प्रभाव से ऐसी राज्य विशिष्ट उगाहियॉ उपभोक्ताओं को हस्तांतरित करने की अनुमति दी। इस प्रकार राज्य विशिष्ट लागतों का मुद्दा जुलाई 2012 से सुलझा लिया गया था। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में कच्चे तेल पर प्रवेश कर के संबंध में, एमओपीएनजी ने ओएमसीज़ को तीन वर्षों के दौरान (2014-17) पिछले प्राप्यों को अतिरिक्त राज्य विशिष्ट लागत के रूप में वसूल करने की अनुमति देते हुए एक आदेश जारी किया। अत:, वर्तमान में रिफाइनरियों द्वारा वहन किये जाने वाले कोई मुख्य व्यय नहीं है जिन्हें विनियमित उत्पादों के आरजीपी में सम्मिलित नहीं किया गया हो।

एमओपीएनजी ने बताया (जून 2013/जनवरी 2014) कि आईओसीएल ने वैश्विक निविदाओं के माध्यम से डीजल का आयात किया तथा 2010-12 के दौरान उत्पाद के लिए टीपीपी दर (मूल्यनिर्धारण पद्धति के अनुसार) पर अतिरिक्त लागत वहन की। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज ने 2011-12 में आरजीपी की तुलना में विभेदक आयात लागत के कारण एलपीजी के आयात पर ₹ 1397 करोड़ की हानि उठाई। एमओपीएनजी ने आगे बताया कि ओएमसीज की प्रतिपूर्ति विनियमित उत्पादों की वास्तविक विक्री मात्रा पर आईपीपी/टीपीपी के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वर्तमान मूल्य निर्धारण तंत्र के आधार पर की जाती है तथा आयातित कच्चे तेल के लिए वहन किये गए लागत तत्त्वों की तुलना में उत्पादों के बीच अंतर की तुलना करते हुए यह कहना गलत है कि ओएमसीज को आईपीपी/टीपीपी मूल्य निर्धारण तंत्र के उपयोग के कारण अधिक क्षतिपूर्ति की गई है। एमओपीएनजी के अनुसार, इस तर्क में रिफाइनरियों द्वारा वहन किये गए आयातित/देशज कच्चे तेल की खरीद पर कुल लागत, परिष्करण लागत तथा अशोध्य करों इत्यादि सहित विभिन्न अन्य लागत तत्त्वों की अवहेलना की गई है।

एमओपीएनजी ने आगे बताया (जनवरी 2014) कि ओएमसीज को संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर ₹ 28,680 करोड़ की अतृप्त कम-वसूली, कम वसूलियों के भुगतान में विलम्ब के कारण ₹ 18,349 करोड़ राशि की ब्याज लागत, ₹ 4927 करोड़ की आयात हानि तथा ₹ 5030 करोड़ की विदेशी विनिमय हानि वहन करनी पड़ी थी।

डीजल के आयात पर अतिरिक्त लागत पर एमओपीएनजी की चिंता स्वीकार करते समय (टीपीपी पर आधारित होने के नाते एचएसडी पर कम वसूली जो आईपीपी दरों से कम है), यह नोट किये जाने की आवश्यकता है कि डीजल का आयात देश में गुणवत्ता मानकों को लागू किये जाने के कारण आवश्यक हो गया था एवं ऐसा आयात 2011-12 के दौरान कुल आवश्यकता के 2 प्रतिशत से कम था। इसके अतिरिक्त, आयात की मात्रा कम हो रही है तथा पीएसयू रिफाईनरियों में उच्च गुणवत्ता डीजल के बढ़ते उत्पादन के कारण आने वाले वर्षों में और घट सकती है। चूँकि घरेलू एलपीजी तथा पीडीएस केरोसीन के मूल्य आईपीपी से जुड़े हैं, इसलिए इन उत्पादों के आयात के प्रभाव को पहले ही मूल्य निर्धारण पद्धति में जोड़ा गया है। यह भी नोट किये जाने की आवश्यकता है कि जबकि ओएमसीज ने 2011-12 में एलपीजी के आयात में हानि उठाई थी, समान अवधि के दौरान एसकेओ (केरोसीन) के आयात पर उन्हें लाभ हुआ था। यह तर्क कि कच्चे तेल की लागत तथा परिष्करण लागतों पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उत्पाद का एफओबी मूल्य अपनी विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण यथोचित रिफाइनिंग मार्जिन के साथ-साथ कच्चे तेल तथा रिफाईनिंग लागतों सहित सभी लागतों का ध्यान रखता है।

जैसा कि एमओपीएनजी द्वारा बताया गया है, उत्पादों के उत्पादन की वास्तविक लागत पता करना संभव नहीं है। अतः, लेखापरीक्षा ने उत्पादों के आयात की लागतों के आधार पर ओएमसीज को प्रतिपूरित की गई अधिक क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाया जो उन्होंने वास्तव में वहन नहीं की थी। तथापि, चूंकि रिफाइनरियों, विशेषकर वे रिफाइनरियां जो तट पर स्थित नहीं हैं, कच्चे तेल के लिए समान आयात संबंधी लागत वहन करती है, इसलिए लेखापरीक्षा ने इस तत्त्व को समायोजित करते हुए निवल अधिक-क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाया।

एमओपीएनजी द्वारा दर्शायी गई अतृप्त कम वसूलियों के संबंध में, विनिमय दर अस्थिरता तथा आयात हानियॉ बाजार परिस्थितियों पर निर्भर होने के नाते, अनिश्चित हैं। पॉच (2007-12) में से तीन वर्षों में, विनिमय दर अस्थिरता पर लाभ हुआ था। उत्पादों के आयात के मामले में भी, 2011-12) में *एसकेओ के आयात में सीमान्त लाभ हुए थे। जबकि समीक्षा के अधीन अवधि में,* इस कारण हानियॉ हुई थी, तथापि ये कारण समान रूप से लाभप्रद भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आयात हानियॉ आयात की उच्च मात्रा का परिणाम है, विशेष रूप से बढ़ती मांगों के प्रति एलपीजी के घटते हुए उत्पादन (2009-10 में) द्वारा कुछ हद तक एलपीजी का आयात आवश्यक किया गया। जैसाकि आगामी पैरा 3.1.3 (iii) में दर्शाया गया है, रिफाईनरियों की दक्षता को बढ़ाने के साथ आयात निर्भरता को कम करने के लिए आसव उत्पाद (जैसे एलपीजी) के उत्पादन को बढ़ावा देना महत्तवपूर्ण है। कम वसूलियों के निपटान में विलम्ब के कारण ओएमसीज के व्याज भार से संबंधित मुद्दे पर अलग से पैरा 3.1.10 (बी) में चर्चा की गई है।

एमओपीएनजी ने यह बताया कि पीएएसयू रिफाइनरियॉ स्थान, आकार और पुराना होने की अंतर्निहित असुविधाओं, से प्रभावित थीं। पीएसयू रिफाइनरियां (दो के अपवाद के साथ) 1901-1985 की अवधि के दौरान बनाई गई थी और इस प्रकार देश में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली जटिल रिफाइनरियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनमें काफी परिचालन लचीलापन नहीं था। एमओपीएनजी ने यह भी कहा कि 'शुल्क संरक्षण' को अप्रैल 2002 में 10 प्रतिशतसे घटा कर 2006 में केवल 2.5 प्रतिशत कर दिया गया और पेट्रोल और डीज़ल के लिए टीपीपी पर विचार करते हुए,पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी पर 'शून्य' शुल्क, देशज कच्चे तेल पर व्यय किया गया सीएसटी/वैट और कच्चे तेल पर प्रदत्त ₹ 51.50 प्रति एमटी पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिम शुल्क (एनसीसीडी), रिफाइनरियों पर निवल संरक्षण 1 प्रतिशत से कम था।

इसके अलावा, यह बताया गया था कि पिछले पांच वर्षों मे ओएमसीज़ ने आटो फ्यूल उन्नयन के लिए परियोजनाओं पर ₹ 28,000 करोड़ और रिफाइनरियों के उन्नयन पर

₹ 10,886 करोड़ निवेश किए थे। पीएसयू ओएमसीज़, जिन्होने XII पंच वर्षीय योजना (2012-17) के दौरान लगभग ₹1,20,000 करोड़ के केपेक्स' की योजना बनाई थी, के पास इन परियोजनाओं के लिए निधियां जुटाने के लिए कोई आन्तरिक संसाधन नहीं होगा।

जबकि,यह स्वीकार किया जाता है कि ओएमसीज़ ने आटो ईंधन उन्नयन परियोजनाओं में निवेश किया है, फिर भी यह भी नोट किया जाए कि ऐसे उन्नत ईंधन (यूरो III एवं IV उत्पादों जैसे) के लिए कीमत सरंचना की भी गारंटी होती है जो कुछ हद तक ऐसी परियोजनाओं में निवेश की जरूरत को पूरा करेगा।

एमओपीएनजी ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा श्री किरीट पारिख की अध्यक्षता में एचएसडी पीडीएस केरोसिन और घरेलू एलपीजी की मौजूदा कीमत निर्धारण पद्धति पर दोबारा विचार के लिए और एक न्यायसंगत तरीको से कम-वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति हेतु एक फार्मूला सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है (मई, 2013)। चूंकि विशेषज्ञ समूह ने भारत सरकार को अपनी सिफारिशें (अक्तूबर, 2013) प्रस्तुत कर दी हैं। समूह ने नोट किया कि "*ऐसा कोई एकल या अनोखा फार्मूला नहीं है जो भारत में घरेलू कीमतों के लिए सही विधि का प्रतिनिधित्व कर सकता जो कि विकृतियोंसे अर्थव्यवस्था के उपस्थित बुरे प्रभाव के साथ विकृत नहीं करेगा*" और यह सिफारिश भी की कि बाजार को जल्दी से जल्दी कीमत नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ डीज़ल के लिए टीपीपी और पीडीएस केरोसिन और घरेलू एलपीजी के लिए आईपीपी विनियमित उत्पादों के लिए मौजूदा मूल्य निर्धारण फार्मूला अंतरिम अवधि में अपरिवर्तित रखा जाए। इससे पहले कि कीमतें वास्तविक रूप से विनियंत्रित की जाएं विशेषज्ञ समूह ने उत्पादवार अन्तरिम व्यवस्था की सलाह दी। विशेषज्ञ समूह ने अपस्ट्रीम कम्पनियों, जिनका कच्चे तेल की कीमत पर योगदान 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच हो, के लिए एक प्रतिशतता योगदान फार्मूला की भी सिफारिश की।

तथापि, टीपीपी/आईपीपी के उपयोग के कारण ओएमसीज़ के साथ-साथ निजी रिफाइनरस को अधिक क्षतिपूर्ति के संबंध में चिन्ता को वित्त मंत्रालय द्वारा ईपीपी के उपयोग को मूल्य निर्धारण पद्धति के रूप में तर्कसंगतता के साथ विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में उदभूत किया था।

मूल्य निर्धारण तंत्र पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें वर्तमान रूप से भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

3.1.2 प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु रिफाइनरियों में निवेश

विशेषज्ञ समूह द्वारा पहचाने गए के रूप में मूल्य निर्धारण तंत्र का एक उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र की दीर्घाकालिक स्थिरता के लिए रिफाइनरियों को पर्याप्त रिर्टन और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चूंकि कई मौजूदा ओएमसी रिफाइनरियां काफी पुरानी, आकार में अभितव्ययी और उनमें विन्यास की सीमाएं हैं, रंगराजन समिति (जून 2006) ने पैट्रोलियम उत्पादों (रिफाइनरी गेट मूल्य के रूप में आईपीपी/टीपीपी मूल्य के रूप में) की कीमतों की सुरक्षा जारी रखने का सुझाव दिया था जिससे प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश के लिए बेहतर मार्जिन सृजित किया जा सके। यह ध्यान में रखते हुए कि 2002 से ओएमसी रिफाइनरियॉ मे कीमत बनाने के लिए सुरक्षा की एक डिग्री उपलब्ध है जिससे रिफाइनरियों में ईंधन प्रौद्योगिकी उन्नयन बढ़ाना प्रत्याशित था, 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान ओएमसी द्वारा रिफाइनरियों में किए गए निवेश और उसी अवधि के दौरान छः ओएमसी रिफाइनरियों के एक नमूना के परिचालनात्मक निष्पादन की जांच की गई थी।

2007-12 के दौरान ओएमसी द्वारा सभी गतिविधियों पर किए गए पूंजीगत निवेश का एक विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5

ओएमसी द्वारा 2007-08 से 2011-12 के दौरान मौजूदा रिफाइनरियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश की तुलना में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

ओएमसी (i)	कुल पूंजीगत विशेष (ii)	मौजूदा रिफाइनरियों में निवेश		रिफाइनरियों में कुल निवेश (iv)	मार्केटिंग क्षेत्र सहित अन्य निवेश (vi)	कुल निवेश के प्रति रिफाइनरी निवेश का प्रतिशत (viii)=(v)/(ii)	कुल निवेश के प्रति उन्नयन एवं क्षमता संवर्धन का प्रतिशत (viii)=(iii)/(ii)
		प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता संवर्धन (iii)	ग्रीन फ्यूल/सांविधिक आवश्यकता (iii)				
ओआईसीएल	46,270	7,520	10,825	18,345	27,925*	40	16
बीपीसीएल	13,169	3,012	2,246	5,258	7,910	40	23
एचपीसीएल	18,537	4,896	2,237	7,133	11,405	38	26
जोड़	**77,976**	**15,428**	**15,308**	**30,736**	**47,240***	**39**	**20**

* ***इसमें आईओसीएल द्वारा विविधीकरण पर व्यय किया गया ₹ 15197 करोड़ सम्मिलित है जिसमें से ₹ 15070 करोड़ पानीपत रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परियोजना पर किया गया व्यय था।***

जब ओएमसीज़ (मार्केटिंग क्षेत्र मे निवेश सहित) द्वारा कुल निवेश की तुलना की गई तब प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ मौजूदा रिफाइनरियों में निवेश 38 से 40 प्रतिशत है जो कि समीक्षाधीन पांच वर्षों की अवधि के दौरान केवल 16-26 प्रतिशत था। मौजूदा रिफाइनरियों में निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वच्छ ईंधन के निर्माण के लिए किया गया जो एक सांविधिक आवश्यकता थी।

एमओपीएनजी ने कहा (जून 2013) कि प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाएं मंजूर की गई जिसके कारण डिस्टिलेट यील्ड में सुधार और विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी हुई और ऐसे पूंजीगत व्यय के परिणामस्वरूप पीएसयू रिफाइनिरयेां में डिस्टिलेट यील्ड मे 2007-08 में 74 प्रतिशत से 2011-12 में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उच्च सल्फर और भारी कच्चे तेल की संसाधन क्षमता 2006-07 में 49.9 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 54.6 प्रतिशत हो गई। एमओपीएनजी ने तीन ओएमसीज़ में विभिन्न दक्षता प्राचलों में सुधार के लिए पहले से कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं के विवरण भी प्रस्तुत किए।

लेखापरीक्षा ओएमसी द्वारा रिफाइनरियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन की पहल की सराहना करती है। तथापि, इन निवेशों ने दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार या रिफाइनरियों में लागत में कमी में योगदान नहीं दिया है जैसा कि छः ओएमसी रिफाइनरियों (आईओसीएल की चार और बीपीसीएल और एचपीसीएल प्रत्येक की एक-एक) के लेखापरीक्षा नमूने के अध्ययन

से स्पष्ट है। उच्च तकनीकी केन्द्र के आदेश पर सोलोमोन एसोशिएट्स (2010-11) द्वारा 15 सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के निष्पादन निर्देश चिन्ह अध्ययन के अलावा एमओपीएनजी सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियों (ऊर्जा दक्षता, कार्मिक दक्षता, निवेश पर प्रतिदाय और प्रति बैरल शुद्ध नकदी मार्जिन) में अक्षमताओं को आगे लाया। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पीएसयू रिफाइनरियॉं दुनिया भर में अपने साथियों की तुलना में अपने निवेश पर सबसे कम रिर्टन पा रही हैं।

पूर्व में सी एवं एजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मौजूदा पीएसयू रिफाइनरियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन में अपर्याप्त निवेश और ऐसे निवेश जो वांछित परिणाम नहीं दे रहे थे के बारे में टिप्पणी की गई थी। 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पानीपत रिफाइनरी की रेज़िड्यू फ्लूइडाइज़्ड केटालिटिक यूनिट (आरएफसीसीयू) की मरम्मत के लिए ₹ 190 करोड़ और पीएक्स-पीटीए काम्पलैक्स में ₹ 2,630 करोड़ से संबंधित निवेश जो प्रत्याशित प्रतिफल सृजित करने में विफल रहे का संदर्भ आमंत्रित है। इसी प्रतिवेदन में मथुरा रिफाइनरी से विलम्बित कोकर यूनिट (डीसीयू) के अभाव के कारण कम डिस्टिलेट यील्ड पर भी टिप्पणी की गई थी।

3.1.3 पीएसयू रिफाइनरियों का परिचालन

छः रिफाइनरियों के निष्पादन के एक नमूने जिसे ओओसीएल (गुजरात रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी और बोंगइगांव रिफाइनरी) की चार और बीपीसीएल और एचपीसीएल की प्रत्येक रिफाइनरी (मुम्बई रिफाइनरियां) का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया था। प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रभाव की जांच (i) सकल रिफाइनरी मार्जिन में सुधार (ii) उच्च सल्फर वाले कच्चे तेल का प्रोसेस करने की क्षमता में सुधार (इनपुट लागत को कम करने के लिए), (iii) उत्पाद प्राप्ति पैटर्न में वृद्धि (उन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि जो उच्च मार्जिन देते हैं) और (iv) ईंधन और हानि में कमी,के संबंध में की गई है।

i. सकल रिफाइनरी मार्जिन (जीआरएम)

किसी भी रिफाइनरी का निष्पादन सामान्यतया उसके सकल रिफाइनरी मार्जिन (जीआएम) के संबंध मापा जाता है। जीआरएम एक विशेष अवधि के लिए एक रिफाइनरी के उत्पादों की बिक्री वसूली और और इनपुट लागत (ईंधन और हानि सहित) के बीच अन्तर है। यह सामान्यता डालर प्रति बैरल के संदर्भ में बताया जाता है। 2007-12 की अवधि के लिए देश में चयनित छः रिफाइनरियों और स्टेंडअलोन और निजी रिफाइनरियों और बेंचमार्कड सिंगापुर रिफाइनरियों सहित पीएसयू रिफाइनरियों के जीआरएम तालिका 6 में दिए गए है:

तालिका 6

पीएसयू और निजी रिफाइनरियों में जीआरएम

($/बैरल)

कम्पनी	रिफाइनरी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आईओसीएल	बरौनी	6.16	(0.83)	3.57	3.91	0.39
	गुजरात	8.12	5.22	3.91	6.42	5.07
	हल्दिया	5.41	0.24	5.42	4.03	2.38
	मथुरा	12.12	5.19	5.62	7.40	0.59
	पानीपत	10.36	2.31	3.35	5.68	4.39
	गुवाहाटी	8.61	18.23	7.44	10.04	11.94
	दिगबोई	21.90	26.46	18.61	16.98	14.85
	बोंगइगांव	12.16	4.70	5.23	5.23	6.25
बीपीसीएल	कोच्ची	7.18	6.27	4.87	4.83	3.20
	मुम्बई	4.60	4.48	1.78	4.23	3.12
एचपीसीएल	मुम्बई	5.98	6.11	2.80	4.65	2.82
	विज़ाद	6.98	2.42	2.59	5.81	2.95
स्टेंडअलोन रिफाइनरियां	सीपीसीएल	8.47	1.22	4.75	5.02	4.16
	एमआरपीएल	6.93	5.33	5.46	5.96	5.60
	एनआरएल	15.92	14.43	11.19	15.39	11.97
निजी रिफाइनरियां	आरआईएल, जामनगर	15.0	12.20	6.60	8.40	8.60
	एस्सार, वाडिनार	--	8.89	4.38	6.91	4.23
सिंगापुर		7.64	5.78	3.53	5.20	8.27

सिंगापुर : पीपीएसी

पीएसयू रिफाइनरियों की जीआरएम निजी और बैंचमार्क्ड सिंगापुर रिफाइनरियों की तुलना में कम है। पूर्वोत्तर राज्यों में रिफाइनरियों (गुवाहाटी, दिगबोई, बोंगाइगांव और एनआरएल) ने उन्हें अनुमत महत्वपूर्ण कर छूटों के कारण उच्च जीआरएम दर्शाया है। एमआरपीएल रिफाइनरी, आईओसीएल की गुजरात रिफाइनरी और बीपीसीएल की कोच्ची

रिफाइनरी ने पॉच वर्षों की अवधि के दौरान निजी और अन्तर्राष्ट्रीय (सिंगापुर) रिफाइनरियों की तुलना में स्थिर जीआरएम सूचित किया है।

एमओपीएनजी ने कहा (जनवरी 2014) कि विभिन्न रिफाइनरियों में जीआरएम की तुलना करना उसकी संगणना में विचार किए जाने वाले घटकों और उनकी कार्य प्रणाली में अन्तर के कारण कठिन था। इसके अलावा,बीपीसीएल और एचपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरियों के जीआरएम, रिफाइनरियों द्वारा प्रोसेसड कच्चे तेल पर चुँगी जुलाई 2012 तक अवसूली योग्य था के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित थी। इसने आगे इंगित किया कि पीएसयू रिफाइनरियां पुरानी थीं और संरूपण में परिवर्तन या क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि का सीमीत अवसर था।

लेखापरीक्षा इस तथ्य की सराहना करता है कि कई पीएसयू रिफाइनरियां पुरानी रिफाइनरियां हैं, आकार में छोटी हैं और देश के अन्दर स्थित थी (बंदरगाहों से दूर जिसके कारण परिवहन पर अतिरिक्त व्यय हुआ), उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। लेखापरीक्षा इस बात को भी स्वीकारती है कि विशिष्ट रिफाइनरी मुद्दों, जैसे मुम्बई नगर निगम द्वारा कच्चे तेल पर चुँगी, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों द्वारा कच्चे तेल पर उद्ग्रहीत किए जाने वाले प्रवेश कर जिससे बीपीसीएल और एचपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरियों और आईओसीएल की मथुरा रिफाइनरी के जीआरएम प्रभावित हुए, के कारण रिफाइनरियों के बीच तुलना करना और कठिन हो गया। लेखापरीक्षा ने ओएमसीज़ द्वारा नियंत्रण योग्य प्राचलों के संबंध में किए गए प्रयासों का विश्लेषण किया जो निष्पादन को प्रभावित करेंगे जैसे इनपुट लागत में कमी, बेहतर उत्पादन सहित उत्पादित उत्पादों द्वारा बिक्री उगाही में सुधार और ईंधन और हानि खर्चों में कमी। इस विश्लेषण के परिणामों को नीचे सारांशीकृत किया गया है।

ii. उच्च सल्फर कच्चे तेल को संसाधित करने की क्षमता

एक रिफाइनरी की जीआरएम सुधारने का एक तरीका है रिफाइनरियों में अपेक्षित संशोधनों को करते हुए भारी/उच्च सल्फर वाले कच्चे तेल का अधिकतम संसाधन करना। अधिक उच्च सल्फर वाले कच्चे तेल का प्रयोग इनपुट लागत को कम करता है किन्तु भारी अन्तिम उप्पादों के उत्पादन को बढ़ाता है जो कम या शून्य मार्जिन देते हैं। यदि इन भारी अन्तिम उत्पादों को अतिरिक्त माध्यमिक यूनिट जैसे डिलेड कोकर यूनिट (डीसीयू) या ऐसी किसी तरह के संसाधन संशोधन जो मूल्य संवर्धित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाते हैं, के माध्यम से संसाधित किया जाए तो रिफाइनरी की क्षतिपूर्ति हो जाएगी,

आगे की गई प्रोसेसिंग पर व्यय की अतिरिक्त लागत की क्षतिपूर्ति उत्पादित शुद्ध तरल द्रव्य की उच्चतम मात्रा से अर्जित बेहतर मार्जिन द्वारा की जा सकती है।

उच्च सल्फर (एचएस) कच्चा तेल कम सल्फर (एलएस) कच्चे तेल की तुलना में सस्ता है। एलएस कच्चे तेल के लिए बेंचमार्क 'ब्रेंट' कच्चा तेल और एचएस कच्चे तेल का 'दुबई' है। एचएस पर एलएस कच्चे तेल का लागत लाभ 2011 और 2012 के दौरान क्रमश: यूएस $ 4.9 और 2.6 प्रति बैरल था (दुबई और ब्रेंट कच्चे तेल के बीच औसत कीमत अन्तर)। इस प्रकार, रिफाइनरी की एचएस कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता में सुधार से कच्चे तेल की कम लागत के माध्यम से उन्नत जीआरएम होगा। अध्ययन की गई छ: रिफाइनरियों में संसाधित उच्च सल्फर कच्चे तेल की प्रतिशतता तालिका 7 में दी गई है।

तालिका 7

चयनित छ: रिफाइनरियों में संसाधित उच्च सल्फर कच्चे तेल का प्रतिशत

(प्रतिशत)

रिफाइनरी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
हल्दिया (आईओसीएल)	70.8	72.4	69.2	67.3	56.5
बोंगाईगांव (आईओसीएल)	0	0	0	0	0
एमआर (बीपीसीएल)	50.0	52.0	49.0	41.0	48.0
एमआर (एचपीसीएल)	61.7	57.0	61.5	67.2	71.5
पानीपत (आईओसीएल)	78.3	74.4	73.7	72.5	72.0
गुजरात (आईओसीएल)	26.6	23.0	25.6	27.5	40.6

- हल्दिया रिफाईनरी केवल आयातित कच्चे माल को प्रोसेस करती थी और कुछ वर्षों में 2007-08 से 2011-12 में एचएस कच्चे तेल की प्रमात्रा 70.8 प्रतिशत से घटकर 56.5 प्रतिशत हो गई।

- बोंगईगांव रिफाइनरी ने मुख्य रूप से देशज उत्पादन से 2007-12 की अवधि के दौरान के एलएस कच्चे तेल को संसाधन किया। 2011-12 के दौरान, रिफाईनरी को अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता के लिए 13 प्रतिशत आयात करना पड़ा था, जो कि महंगा एलएस कच्चा तेल था। बीपीसीएल की मुम्बई रिफाईनरी ने 2007-10 की अवधि में मिश्रित कच्चे तेल का 50:50 का स्थायी अनुपात बनाए रखा, जो कि 2010-11 में बदल कर 41:59 और दोबारा 2011-12 में 48:52 हो गया था।

- एचपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरी ने अधिक एचएस कच्चा तेल संसाधित किया जो 2007-08 में 61.7 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 71.5 प्रतिशत हो गया।

- पानीपत रिफाईनरी आईओसीएल की आधुनिक रिफाइनरियों में से एक है। इसने 2007-12 की अवधि में एचएस और एलएस का स्थायी अनुपात बनाए रखा, जोकि 72:28 (2011-12) से 78:22 (2007-08) के बीच रहा।

- गुजरात रिफाईनरी में, डीसीयू सहित रेसिडुअल उन्नयन परियोजना को अप्रैल 2011 में स्थापित किया गया था। कोकर यूनिट एक अतिरिक्त माध्यमिक यूनिट है जो भारी आन्तिम उत्पादों को हल्के तरल पदार्थों मे परिवर्तित करती है। इसके परिणामस्वरूप रिफाईनरी 2011-12 (40.6 प्रतिशत) से 2010-11 (27.5 प्रतिशत) में अधिक एचएस कच्चा तेल प्रोसेस कर सकी।

एचएस कच्चे तेल के उच्चतम समानुपात की संसाधन द्वारा मूल्य संवर्धन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने वाले परियोजनाओं/प्रोसेसिंग सुविधाओं को आईओसीएल की हल्दिया रिफाईनरी और बीपीसीएल और एचपीसीएल की मुम्बई रिफाईनरियों में लागू नहीं किया गया है। आईओसीएल की गुजरात रिफाइनरी ने रेजिडयू उन्नयन परियोजना लागू करते हुए अपने निष्पादन में सुधार किया जिसकी अन्य तीन रिफाइनरियों में कोशिश नहीं की गई। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के लिए चयनियत पीएसयू रिफाईनरियों के बीच भी, एचएस कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भिन्नता थी। जबकि पानीपत रिफाइनरी में आवश्यक क्षमताएं थी, इसलिए गुजरात रिफाईनरी ने लागत कम करने के लिए एचएस कच्चे तेल को अधिक प्रोसेस करने की दिशा में आवश्यक संशोधन किए थे। हल्दिया और मुम्बई रिफाईनरियों ने एचएस कच्चे तेल की प्रोसेसिंग के लिए अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए कोई परियोजनाएं नहीं ली।

एमओपीएनजी ने बताया (जून 2013/जनवरी 2014) कि कच्चे तेल मिश्रण की प्रतिशतता के रूप में एचएस कच्चे तेल को प्रोसस करने वाली पीएसयू रिफाईनरियों की क्षमता में 2006-07 में 49.9 प्रतिशत से 2011-12 में 54.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उसने आगे बताया कि हल्दिया रिफाईनरी की कच्चे तेल की प्रोसेसिंग क्षमता में जनवरी 2010 में 6 एमएमटीपीए से 7.5 एमएमटीपीए वृद्धि हुई थी और तब से संसाधित एचएस कच्चे तेल की वास्तविक टनेज में बढ़ोतरी हुई, जबकि इन वर्षों में एचएस कच्चे तेल की प्रतिशतता में कमी आई थी। रिफाइनरी की एचएस कच्चे तेल की संसाधन क्षमता में बाजार में काले तेल के उत्पादों की मांग द्वारा बाधाएं आईं थी। यह भी बताया गया कि आईओसी मूल्य संवर्धित उत्पादों में काले तेल के उन्नयन के लिए हल्दिया रिफाईनरी में

विलम्बित कोकर यूनिट लगाने पर विचार कर रही है जिससे वह अधिक एचएस कच्चे तेल का संसाधन करने में समर्थ हो सकेगी। एलएस कच्चे तेल के प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन मेटलर्जी के कारण बोंगइगांव रिफाईनरी एचएस कच्चे तेल की प्रोसेस नहीं कर सकी। एचपीसीएल मुम्बई रिफाईनरी ने लूब यूनिटों से भारी स्ट्रीमों को बदलने और कम सल्फर बोटम को मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे एलपीजी, पेट्रोल और डीज़ल में परिवर्तित करने के लिए रेसिड फ्लूलेइड केटालिटिक क्रेकिंग यूनिट (आरएफसीसीयू) परियोजना का कार्यान्वयन किया। बीपीसीएल और एचपीसीएल मुम्बई रिफाईनरियों में माध्यमिक प्रोसेसिंग यूनिटों को आगे बाटम उन्नयन हेतु प्रतिष्ठापित करने के लिए जगह की सीमाएं थी और इस प्रकार उच्च सल्फर कच्चे तेल के स्त्रोतों से बचत प्रभावित नहीं कर सकी। एमओपीएनजी ने बताया कि बीपीसीएल और एचपीसीएल की रिफाईनरियों में दक्षता के संदर्भ के साथ पहचाने गए अन्तराल को संबोधित करने के लिए कई परियोजनाएं लागू की गई थीं और रिफाईनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग क्षमता, डिस्टिलेट उत्पाद सुधार, विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी इत्यादि जैसी परियोजनाओं सहित कई का विस्तारण और उन्नयन प्रगति पर था।

एमओपीएनजी द्वारा स्वीकार करते हुए, जब तक विलम्बित कोकर इकाई/यूनिट आरंभ नहीं होती तब तक हल्दिया रिफायनरी कच्चे एच एस का अनुपात बढ़ाने योग्य नहीं होगी, उस समय तक बढ़ी हुई कच्चे तेल की क्षमता बेहतर जीआरएम में परिवर्तित नहीं होगी। अत: यह आवश्यक है कि रिफायनरी कच्चे एचएस के प्रक्रमण को सक्षम करने के लिए उचित परियोजना पर ध्यान देने हेतु उचित कार्यवाही करनी होगी, जोकि बढ़े हुए मार्जिन की लागत को घटाएगा।

iii. आसुत उत्पादन, हैवी इंड्स

एक रिफायनरी में कच्चे तेल के आउटपुट में आसुत उत्पादन (हल्का और मध्यम आसुत) और हैवी अंतिम उत्पाद शामिल है; शेष (जोकि आउटपुट और इनपुट का अंतर है) ईंधन और हानि है। एलपीजी, एमएस, नैफ्था, बेंनजीन, एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), एसकेओ, एचएसडी, एलडीओ आदि जैसे आसुत उत्पादन उच्च मार्जिन उत्पाद हैं। एक रिफायनरी में भट्टी का तेल, एलएसएचएस, बिटुमन, गन्धक आदि जैसे हैवी अंतिम उत्पाद निम्न अथवा शून्य मार्जिन/उत्पाद होते हैं। हैवी अंतिम उत्पाद का बिक्री मूल्य सामन्यत: कच्चे तेल की लागत से कम होता है एवं इसलिए पैदावार के तरीके में कोई भी सुधार जैसे कि हल्का और मध्यम आसुत की पैदावार बढ़ाना और हैवी अंतिम उत्पाद घटाना रिफायनरियों के जीआरएम मे सुधार करेगा। छ: चयनित रिफायनियों में आसुत पैदावार उत्पाद का विवरण नीचे दी गई तालिका 8 में दिया गया है।

तालिका 8

छः चयनित रिफायनियों में आसुत पैदावार उत्पाद

(प्रतिशत)

रिफायनरी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
हल्दिया (आईओसीएल)	61.50	62.97	60.20	64.44	66.50
बोन्गाईगांव (आईओसीएल)	86.03	85.96	85.29	82.25	81.82
एमआर (बोपीसीएल)	74.64	73.94	76.25	80.64	79.57
एमआर (एचपीसीएल)	68.44	68.97	71.03	68.33	73.46
पानीपत (आईओसीएल)	76.25	78.94	79.11	79.63	80.37
गुजरात (आईओसीएल)	71.14	71.34	70.39	70.50	77.80

- पिछले कुछ वर्षों में हल्दिया रिफायनरी में आसुत उत्पाद में सुधार था, जो कि 2007-08 में 61.5 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 66.5 प्रतिशत हो गया। आसुत उत्पाद में कम गंधक वाले कच्चे तेल के संसाधन में बढ़ोतरी और फरवरी 2010 में हाइड्रोकैकर के प्रारंभ के कारण भी हुई थी। हालांकि रिफायनरी को बेहतर आसुत उत्पाद में लाभ हुआ, इससे एलएस इनपुट फीड की उच्च लागत में हानि हुई।

- पानीपत रिफाइनरी एक नई रिफायनरी होने की वजह से (1998), पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बेहतर आसुत उत्पाद दर्ज करती रही जो कि 2007-08 में 76.25 से 2011-12 में 80.37 प्रतिशत तक हुआ।

- बोंगाईगाँव रिफायनरी में आसुत उत्पाद 2007-08 में 86 प्रतिशत से घट कर 2011-12 में 81.8 प्रतिशत हो गया, हालांकि रिफायनरी ने इस पूरी अवधि के दौरान केवल कच्चे एलएस का ही प्रक्रमण किया था।

- बीपीसीएल मुम्बई रिफायनरी का आसुत उत्पाद पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है, जो कि 73.9 प्रतिशत (2008-09) से 80.7 प्रतिशत (2010-11) तक हो गया।

- एचपीसीएल की मुम्बई रिफायनरी के मामले में, (2007-08) आसुत उत्पाद 68.4 पर कम था जो कि (2011-12) 73.5 प्रतिशत तक बढ़ गया। एचपीसीएल मुम्बई रिफायनरी में आसुत उत्पाद में बढ़ोतरी 2011 में एफसीसीयू के आरंभ होने के कारण हुई है।

- आईओसीएल की गुजरात रिफायनरी ने हल्की और मध्यम आसुतों की 2007-08 में 71.14 प्रतिशत से 2011-12 के दौरान 77.8 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की है।

2007-11 से 2011-12 की अवधि तक आसुत उत्पाद के उत्पाद में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी मुख्यत: रिफायनरी में डीसीयू सहित अतिरिक्त माध्यमिक इकाई की शुरूआत के कारण हुई थी। इस प्रकार, रिफायनरी 2011-12 में यहाँ तक कि कच्चे एचएस से उच्च अनुपात के प्रयोग से भी हल्के और माध्यम आसुत का उत्पाद बढ़ा सकती थी।

एमओपीएनजी ने कहा कि (जून 2013/जनवरी 2014) असम कच्चे तेल के घटे हुए आवंटन के कारण कच्चे एलएस से बढ़े हुए आयात के साथ बोंगाईगाँव रिफायनरी का आसुत उत्पाद घटा है। इसके अलावा, अप्रैल2010 से बीएस III गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन के कारण आसुत उत्पाद में आगे कमी हुई। तथापि, यह माना गया कि हल्दिया रिफायनरी में अवशेष उन्नयन इकाईयों के संस्थापन को आसुत उत्पाद और कच्चा एचएस प्रक्रमण दोनों में प्रगति आवश्यक है।

यघपि आसुत उत्पाद में प्रगति के कुछ प्रयत्न देखे गए, मुख्यत: आईओसीएल की गुजरात रिफायनरी में पीएसयू रिफायनरी के बीच बेंचमार्क होने पर भी वहाँ रिफायनरी के बीच एक अंतर रहता है। हालांकि हल्दिया रिफायनरी के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्धारित कर लिया गया है, इस संदर्भ में विशेष कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

iv. ईंधन एवं हानि

रिफायनरी के 'ईंधन एवं हानि' (एफ एंड एल) व्यय में कमी/नियंत्रण से भी जीआरएम में प्रगति हो सकती है। चुँकि अधिकतम पीएसयू रिफायनरियाँ पुरानी हो चुकी थीं और चरणबद्ध तरीके से पिछले कुछ वर्षों में नईं इकाइयाँ जोड़ने के द्वारा उनकी प्रक्रमण क्षमता बढ़ाई जा चुकी थी, एक एकीकृत नई रिफायनरी की तुलना में ईंधन और हानि अधिक थे। इसके अलावा, दूसरी ईकाइयों का संवर्धन रिफायनरी के एफ एवं एल को बढ़ाता है। पाँच वर्षों की अवधि के दौरान छ: चयनित रिफायनरी में सूचित एफ एवं एल का विवरण तालिका 9 में दिया गया है।

तालिका 9

छ: चयनित रिफायनरी में सूचित ईंधन एवं हानि का प्रतिशत

(प्रतिशत)

रिफायनरी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
हल्दिया (आईओसीएल)	8.9	9.1	9.1	10	9.4
बोंगॉइगाँव (आईओसीएल)	बीआरपीएल एक पृथक कम्पनी थी	5.2	6.6	6.9	8.9
एमआर (बीपीसीएल)	6.77	6.73	5.64	4.72	4.71
एमआर (एचपीसीएल)	6.86	6.64	7.64	7.60	7.88
पानीपत (आईओसीएल)	9.8	9.6	8.7	9.6	8.7
गुजरात (आईओसीएल)	6.7	6.5	6.6	7.8	9.4

हल्दिया रिफायनरी ने एफ एवं एल व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई जोकि 2007-12 की अवधि के दौरान लगभग 9 प्रतिशत थी। पानीपत रिफायनरी ने 2007-08 में 9.8 प्रतिशत एफ एवं एल को 2011-12 में 8.7 प्रतिशत तक घटाया था। एफ एवं एल में कमी ने पानीपत रिफायनरी के जीआरएम को 2010-11 से 2011-12 तक ₹ 466 करोड़ तक प्रभावित किया। यह कमी मुख्यत: रिफायनरी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न उर्जा संरक्षण योजनाओं और क्षमता के विस्तारण द्वारा हुई थी। गुजरात रिफायनरी ने 2011-12 में लगभग 9.4 प्रतिशत एफ एवं एल सूचित किया था और पिछले वर्ष से 2011-12 में ₹ 764 करोड़ का नकारात्मक प्रभाव था। बोन्गाईगाँव रिफायनरी के मामले में, यह 2008-09 में 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 8.9 प्रतिशत हो गया।

बीपीसीएल की मुम्बई रिफायनरी ने ईंधन के रूप में पुन: गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की खपत के कारण एफ एवं एल में कमी (2007-08 में 6.8 से 2011-12 में 4.7 प्रतिशत) सूचित की थी। तथापि, एचपीसीएल की मुम्बई रिफायनरी पर एफ एवं एल में 2007-08 में 6.8 प्रतिशत से 2011-12 में 7.8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

आकस्मिक रूप से पीएसयू रिफायनरी में निष्पादन मानदण्ड पर 'सोलोमन' रिपोर्ट ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में पीएसयू रिफायनरी की तुलना समान आकार की पीयर रिफायनरी से की थी और सभी पीएसयू रिफायनरियों को ऊर्जा क्षमता में (लेखापरीक्षा में जाँची गई छ: रिफायनरियों सहित) सबसे नीचे रखा था।

एमओपीएनजी ने (जून 2013/जनवरी 2014) में कहा कि 1998-99 में, विभिन्न ईंधन गुणवत्ता प्रगति परियोजनाएं जो कि रिफायनरी विन्यास में जोड़ी गई थीं, नई द्वितीयक प्रक्रमण इकाईयों और हाईड्रोजन इकाईयों का जुड़ाव के कारण पीएसयू रिफायनरियों में एफ एवं एल में वृद्धि हुई थी। आगे यह भी कहा गया था कि 'ईंधन एवं हानि' में वृद्धि के बावजूद उर्जा क्षमता में उन्नति हुई है। हालांकि निष्पादन मापदंड पर सोलोमन रिपोर्ट ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में पीएसयू रिफायनरियों को सबसे नीचे रखता है, सभी आईओसी रिफायनरी के लिए एमबीएन[8] के संबंध में मापी गई ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण ढंग से 2007-08 में 67 से 2011-12 में 57 तक बढ़ गई है।

पूर्व पैराग्राफ 3.1.3(i) से (iv) तक में चर्चा के अनुसार, किसी भी रिफायनरी का निष्पादन जीआरएम में मापा जाता है, जो कि मुख्यत: इनपुट लागत घटाकर, मूल्य वर्घित उत्पादों में वृद्धि द्वारा ब्रिक्री प्राप्ति बढ़ाकर और ईंधन एवं हानि व्यय घटाते हुए बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में तकनीकी उन्नयन रिफाइनरियों का जीआरएम में सुधार होगा। एमबीएन में मापी गई ऊर्जा क्षमता ने विशेष रूप से आईओसीएल रिफायनरी में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। तथापि यह सुधार आईओसीएल की बहुत सी रिफायरनी में एफ एवं एल अथवा बेहतर जीआरएम में कमी के अनुसार घटाव परिवर्तित नहीं हुई है।

हालांकि, जैसा कि गुजरात जैसी पुरानी रिफायनरी में तकनीकी उन्नयन के परिणाम से प्रमाणित है, ओएमसीज़ ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए है, अन्य रिफायनरियों, मुख्यत: बीपीसीएल और एचपीसीएल की मुम्बई और आईओसीएल की हल्दिया रिफायनरी, में सुधार की गुजांइश है। ओएमसी रिफायनरी का बेहतर निष्पादन 'हाईड्रोकार्बन विज़न-2025' में परिकल्पित अविनियमति और प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु अनिवार्य है।

3.1.4 निजी/एकमात्र रिफायनरियों से उत्पादों की खरीद

ओएमसीज़ निजी/पीएसयू एकल रिफायनरियों से पेट्रोलियम उत्पादों को अपनी रिफायनरियों में उत्पादन और वाणिज्यिक शर्तों पर घरेलू आवश्यकताओं के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सुधार करती हैं। यद्यपि, रिफाइनरी में पेट्रोलियम उत्पादों की

[8] ***एमबीटीयू/बीबीएल/एनआरजीएफ (एमबीएन) जहां शब्द एमबीटीयू को संदर्भ फ्यूल की कुल ताप मूल्य और हजार बीटीयू में हानि, बीबीएल का संदर्भ संसाधित कच्चे तेल के बैरल, और एनआरजीएफ एक व्युत्पन्न घटक है जो औद्योगिक मानक के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक यूनिटों दोनों में वास्तविक अन्तर्ग्रहण पर निर्भर है।***

कीमतें अविनियमित होती थी, यह पाया गया कि पीएसयू ओएमसीज़ टीपीपी की निजी/एकल रिफाइनरियों (एमएस और एचएसडी) और सुपुर्दगी के नामित बदंरगाह के लिए आईपीपी (एसकेओ और एलपीजी के लिए) रिफाइंड उत्पाद की खरीद कर रहे थे। उस मामले में यदि उत्पादों का राज्य (स्त्रोत के स्थान) से बाहर आपूर्ति कर रहे हों, रिफाइनरियाँ सीएसटी वहन करती हैं (2 प्रतिशत की दर से)।

निजी रिफाइनरियां शेष पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात ईपीपी से तुलनीय कीमत पर करते हैं जो ओएमसीज़ को आपूर्ति पर प्राप्त टीपीपी/आईपीपी से कम हो। उदाहरण के लिए 2011-12 के दौरान जामनगर में औसत एचएसडी की टीपीपी (बीएस III) ₹ 40,031 प्रति के एल थी और उसी स्थान पर एचएसडी (बीएस III) की औसत ईपीपी ₹ 38,625 प्रति के एल थी। 2011-12 के दौरान एचएसडी (बीएस III) पर रिलाइन्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड (आरआईएल) की वास्तविक निर्यात प्राप्ति केवल ₹ 38,823 प्रति केएल था जो औसत ईपीपी से थोडा अधिक था। इस प्रकार, टीपीपी/आईपीपी पर निजी और एकल रिफाइनरियों से उत्पादों की अधिप्राप्ति से उन्हें अनुचित लाभ मिला। एक एकल वर्ष के लिए निजी रिफाइनरियों को (केवल एचएसडी पर) अनुमानित ₹ 667 करोड़ का अनुमानित लाभ मिला जैसा कि तालिका 10 में दर्शाता गया है। इसकी गणना 2011-12 के लिए एचएसडी की औसत डीपीपी और ईपीपी के बीच अन्तर के आधार पर वास्तविक सीएसटी और निजी रिफाइनरियों द्वारा वहन किए गए तटीय भाड़े के समायोजन के बाद की गई है।

तालिका 10

वर्ष 2011-12 के लिए एचएसडी के संबंध में आरआईएल और एस्सार ऑयल को उपार्जित लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरआईएल	ईओएल
टीपीपी और ईपीपी का अन्तर	1423	766
निजी रिफाइनरों द्वारा वहन की गई सीएसटी	808	304
निजी रिफाइनरों द्वारा वहन किया गया तटीय भाड़ा[9]	311	99
निजि रिफाइनरियों को निवल लाभ	**304**	**363**

टिप्पणी: गुजरात मे बिक्री के लिए काई सीएसटी उद्ग्राहय नहीं है। इसके अलावा इस तरह के लेन देन में लागू बिक्री कर खरीददार द्वारा वहन किया जाता है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा का मत है कि अनुबंधित बिक्री कीमत को युक्तिसगंत बनाने के लिए निजी रिफाइनरों के साथ बातचीत की गुजांइश है, जो ओएमसी को लाभ देगा।

[9] *रिफाइनरियों द्वारा वहन की गई एनसीएफ और सीएसटी ओएमसीज़ द्वारा प्रस्तुती के अनुसार है।*

ओएमसी द्वारा एकल पीएसयू रिफाइनरियों द्वारा किए गए बिक्री समझौतों में भी ऐसे प्रावधान है जो निजी रिफाइनरों के समान है। इस प्रकार, एकल पीएसयू रिफाइनरियाँ अर्थात एमआरपीएल, सीपीसीएल और एनआरएल को भी उसी गणना में 2011-12 के दौरान ओएमसीज़ को एचएसडी की बिक्री के माध्यम से क्रमश: ₹ 601 करोड़, ₹ 500 करोड़ और ₹ 327 करोड़ का लाभ हुआ।

एमओपीएनजी ने अपने जून 13, 2006 के पत्र में बताया कि ओएमसीज़ को एक ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें वह कम वसूली का भार निजी क्षेत्र सहित रिफाइनरियों पर पारदर्शी तरीके से डाल सकें जैसा कि 2005-06 में किया गया था और ओएमसीज़ को 2006-07 के लिए आपूर्ति निविदा को अन्तिम रूप देते समय आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी। निजी और एकल रिफाइनरियों से बोझ साझा करने की उम्मीद 2006-07 में - ₹ 2500 करोड़ से ₹ 3000 करोड़ थी, जबकि पीएसयू ओएमसी की छूटों की एमओपीएनजी द्वारा सूचना दी गई थी (जून 2006)।

मामले पर विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न पर, आईओसीएल ने पुष्टि की कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए निजी/एकल रिफाइनरियों से उत्पादों की खरीद पर कोई छूट प्राप्त नहीं की गई थी और बताया गया कि 2005-06 के लिए प्राप्त छूटों के विवरण का पता नहीं लगाया जा सका। ओएमसी और निजी/एकल रिफाइनरों के बीच बिक्री समझौते में कीमत खण्ड में आपसी सहमति की शर्त पर संशोधन की गुजांइश प्रदान की गई थी। इस प्रकार, ओएमसी के लिए बातचीत करना और इन इकाईयों से उत्पादों पर छूट प्राप्त करना संभव था।

एमओपीएनजी ने बताया (जून 2013) कि आईओसीएल के अनुसार निजी रिफाइनरियां सीएसटी और ओएमसी स्थानों पर उत्पाद के परिवहन हेतु तटीय भाड़ा वहन कर रही थीं। यदि निजी रिफाइनरियों को ईपीपी आधारित कीमत का भुगतान करना है तो सीएसटी और तटीय भाड़ा खरीददार ओएमसी द्वारा वहन किया जाएगा। यह भी बताया गया कि आरआईएल द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि (जामनगर पर एचएसडी की डीपीपी और ईपीपी के बीच अन्तर) अनिवार्य रूप से तटीय भाड़े और सीएसटी के बराबर थी। यह भी बताया गया कि ईपीपी पर उत्पाद की कीमत से निजी रिफाइनरियों निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री से कम प्राप्ति होगी। इससे निजी रिफाइनरियाँ निर्यात बाजार में बेचने को प्रेरित होंगी जिसके परिणामस्वरूप ओएमसीज़ द्वारा उत्पादों की घरेलू उपलब्धता और आयात होगा।

उपरोक्त तर्क इस तथ्य को नज़रअंदाज करता है कि एचएसटी/एलपीजी/एसकेओ की आपूर्ति पर आधारित टीपीपी/आईपीपी स्त्रोत स्थान (अर्थात् जामनगर) पर लागू दर नहीं है किन्तु सुपुर्दगी स्थल की है (यानि मैंगलोर, कोच्ची, चैन्नई, हल्दिया इत्यादि)। देश में सभी बदंरगाह स्थलों (कांडला को छोड़कर) पर उत्पादों की आईपीपी/टीपीपी जामनगर बदंरगाह से अधिक है। टीपीपी और एचएसडी के स्त्रोत स्थल (जामनगर) और सुपुर्दगी स्थल के बीच का अन्तर, खरीददार द्वारा वहन किए जाने वाले तटीय भाड़े घटक (₹ 450 प्रति केएल के औसत का) की यथोचित क्षतिपूर्ति करता है। 2011-12 में एचएसडी (बीएस III) के टीपीपी में अन्तर ₹ 51 प्रति केएल (मुम्बई बदंरगाह) से ₹ 552 प्रति के एल (हल्दिया बदंरगाह) के बीच था, जो जामनगर से बदंरगाह स्थल की दूरी पर निर्भर करता था। 2011-12 के दौरान निजी रिफाइनरियों द्वारा वहन किया जाने वाला तटीय भाड़ा ₹ 208 प्रति के एल (मुम्बई बदंरगाह) से ₹ 644 प्रति के एल (हल्दिया बदंरगाह) के भाड़ा के बीच था। इसके अलावा ऐसे शुल्क केवल गुजरात के बाहर लागू हैं और इस प्रकार, टीपीपी और ईपीपी (या वास्तविक निर्यात उगाही की दर) के बीच का पूरा अन्तर निजी रिफाइनरियों को लाभ है। निजी रिफाइनर्स द्वारा वहन किये गए सीएसटी पर विचार करने के बाद भी, 2011-12 के लिए एचएसडी पर ₹ 667 करोड़ का लाभ था जो उन्होंने प्राप्त किया, जैसा कि तालिका 10 में दर्शाया गया है जो निजी रिफाइनर्स के साथ ओएमसीज़ द्वारा मूल्य मोल-भाव के लिए गुंजाईश छोड़ता है।

एमओपीएनजी ने बताया (जनवरी 2014) कि यदि निजी रिफाइनरियों को ईपीपी आधारित मूल्य का भुगतान किया जाता है, तो सीसीएसटी एवं तटीय भाड़ा ओएमसीज़ को वहन करना पडेगा। इसने आगे बताया कि सीएसटी तथा तटीय भाड़े के अतिरिक्त, निजी रिफाइनरियों ने बीएस III तथा बीएस IV डीजल के लिए अधिक कठोर विनिर्देशनों के लिए प्रति बीबीएल एक डॉलर अतिरिक्त की मांग की। यह भी बताया गया कि यदि निजी रिफाइनरियों द्वारा मांगे गए 1 यूएसडी प्रति बैरल की अतिरिक्त राशि पर भी विचार किया जाए तो भुगतान किया जाने योग्य मूल्य वर्तमान टीपीपी के बहुत निकट होगा। एक्जिट कान्फ्रेंस में (फरवरी 2014), एमओपीएनजी ने दोहराया कि यदि गुणवत्ता समायोजन के लिए अतिरिक्त एक डालर की मांग पर भी विचार किया जाता है तो, निजी रिफाइनरियों के लिए लाभ, जैसा कि उपर बताया गया है, 2011-12 के दौरान एचएसडी की आपूर्ति पर केवल ₹ 190 करोड़ बनेगा।

गुणवत्ता के लिए प्रति बैरल एक अतिरिक्त डॉलर की आवश्यकता को दर्शाता उत्तर प्रत्यायक नही है क्योंकि निजी रिफाइनरियों से खरीद मूल्य में यूरो III/यूरो IV उत्पादों के लिए (जो पीपीएसी द्वारा शामिल मानदण्डों पर विचार करते हुए एक विस्तृत पद्धति का

प्रयोग करके निर्धारित किया गया है) अन्य बातों के साथ पहले से ही एक गुणवत्ता प्रीमियम शामिल है।

मूल्य निर्धारण तंत्र में निरंतर संरक्षण का उद्देश्य क्षमताओं में सुधार और पीएसयू रिफाइनरियों रिकायतरियों में तकनीकी अपग्रेडेशन में उचित निवेश को प्रोत्साहित करना था जिसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि एमओपीएनजी ने मूल्य निर्धारण तंत्र द्वारा इन रिफायनरियों की निरंतर मदद की वकालत की है, रिफायनरियों की क्षमताओं के सुधार में सीमित प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह इस तंत्र की समीक्षा का एक मजबूत मामला है (जैसे कि लेखापरीक्षा की जांच से स्पष्ट है) और खराब निष्पादन कर रही रिफायनरियों के मामले में एक वैकल्पिक पारदर्शी, लक्ष्य उन्मुख तंत्र पर विचार करना।

3.1.5 विपणन संबंधित व्यय

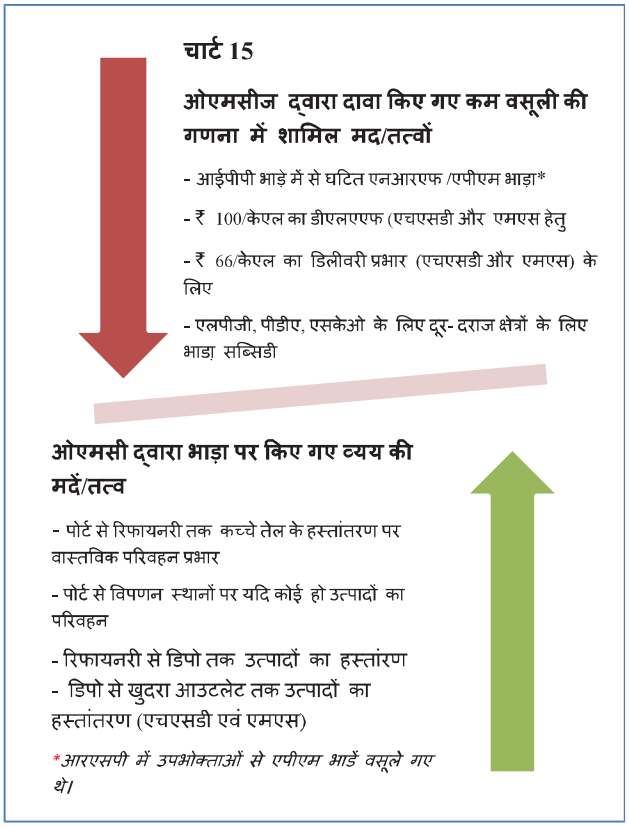
ओएमसी के लिए वांछित बिक्री मूल्य (डीएसपी) को निाकलने के लिए विपणन संबंधी व्यय उत्पादों को आरजीपी में जोड़ा गया हैं। जोड़े गए व्यय में विपणन भाड़ा, विपणन लागत, स्टॉक हानि पर मुआवजा़ आदि शामिल है। विपणन मार्जिन द्वारा विपणन गतिविधि हेतु डीएसपी में ओएमसी में प्रतिफल में भी वृद्धि हुई। लागत और प्रतिफल के यह तत्व, मूल्य वृद्धि में पूर्व निर्धारित दरों पर डीएसपी पर पहुँचने के लिए निश्चित किए जाते हैं। तथापि, ओएमसी विनियमित उत्पादों को विक्रेताओं को डीएसपी से कम मूल्य पर हस्तांतरित करती है जोकि जीओआई द्वारा नियत अंतिम ग्राहकों को अलग करने हेतू डिपो मूल्य (डीपी) अथवा पूर्व-भण्डारण इंगित कीमत (ईएसपीपी) हैं। डीएसपी और डीपी के बीच का अंतर ओएमसीज़ को कम वसूलियों के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार, ओएमसी ने विक्रेताओं द्वारा प्रदत्त डीपीके माध्यम से आंशिक रूप से अपना डीएसपी (जोकि अतत: अंत उपभोक्ताओं से और कम वसूलियों (भारत सरकार और अपस्ट्रीम कम्पनियों द्वारा शेयर किया गया) के माध्यम से आंशिक रूप से वसूल किया जाता है।

वांछित बिक्री मूल्य (डीएसपी) में शामिल तत्व

3.1.6 मालभाड़ा लागत

ओएमसीज़ ने रेल/सड़क तटवर्ती संचालन के साथ-साथ पाइपलाइनों के माध्यम से रिफाइनरीज/पोर्टो से उत्पादों के परिवहन के कारण मालभाड़ा पर व्यय किया। विनियमित उत्पादों के निर्मित कीमत में शामिल मालभाड़ा तत्व और ओएमसीज़ को प्रतिपूर्ति के ब्यौरें निम्न रूप से दर्शाए गए है:

क) आईपीपी माल भाड़ा : एक ओएमसी को हकदारी मालभाड़ा आयात अनुरूपता के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है; जैसाकि यदि उत्पाद उपलब्ध परिवहन के सबसे अधिक सस्ते तरीका का उपयोग करते हुए पदनामित टर्मिनल/डिपो के द्वारा बाजार में लाया जा रहा है और आयात किया जा रहा है। अखिल भारतीय उद्योग देश में सभी स्थानों के लिए बराबर आधार पर इन संबंधों पर आधारित औसत मालभाड़ा तौल अपनाया जाता है तथा ऐसे मालभाड़ों को डिपो कीमत में शामिल किया जाता है। आईपीपी मालभाड़ा उपभोक्ताओं से ओएमसी द्वारा वसूली जा रही मालभाड़ा तत्व कटौती करने के पश्चात ओएमसी के दावे की कम वसूली तैयार करने के लिए विचार किया जाता है। वास्तव में, यद्यपि, विनियमित उत्पादों (परिमाण द्वारा) का केवल 6-8 प्रतिशत आयात किया जाता है, शेष भारतीय रिफाइनरीज में उत्पादित किया जा रहा है। अत: घरेलू रूप से उत्पादित 92-94 प्रतिशत विनियमित उत्पादों के लिए परिवहन मार्गो और तरीका मार्गो से निम्न है और मालभाड़ा के लिए हकदारी उत्पाद कीमतों में निर्मित हैं।



ख) अनुमानित रेलवे मालभाड़ा (एनआरएफ) अथवा एपीएम मालभाड़ा : यह अधिक आर्थिक आपूर्ति जोन कम भाड़ालागत पर आधारित रिफाइनरीज से संबंद्ध बाजारों के अंदर पड़ने वाले विभिन्न बाजारों के लिए रिफाइनरी गेट से उस रिफाइनरी के मालभाड़ा दर्शाता है। 2002 में विखंडण के समय मालभाड़ा पर आधारित अवरूद्ध था। खुदरा बिक्री कीमत (आरएसपी) द्वारा उपभोक्ताओं से ओएमसीज द्वारा एनआरएफ वसूली की जाती है। आइपीपी मालभाड़ा और एनआरएफ का अंतर कम वसूली के एक अंश के रूप में सरकार से लिया जाता है।

ग) घरेलू संभार-तंत्र समायोजन घटक (डीएलएएफ) : सामान्य संबंध के अलावा अन्य द्वारा विनियमित उत्पादों के संचालन की लागत के लिए ओएमसीज की प्रतिपूर्ति के क्रम में और उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एचएसडी और एमएस के प्वांइट अपेक्षित पूर्व भंडारण कीमत में शामिल किए जाने वाले डीएलएएफ के रूप में ₹ 100/ केएल अनुमत किया।

घ) सुपुर्दगी प्रभार : ओएमसी टर्मिनलों/डिपों से उत्पाद की सुपुर्दगी के लिए सड़क परिवहन पर सुपुर्दगी प्रभार उठाया। सरकार ने एमएस और एचएसडी की कम वसूली सुपुर्दगी प्रभार की ओर ₹ 66/केएल अनुमत किया। इसे 2009-10 से ₹ 56/केएल घटा दिया गया था। शेष सुपुर्दगी प्रभारों को आरएसपी में शामिल करने के लिए अनुमति दी गई थी और उपभोक्ताओं से संग्रहीत किया जाना था। 01/8/2012 से सम्पूर्ण सुपुर्दगी प्रभार आरएसपी में सम्मिलित किया गया।

ड़) दूरदराज क्षेत्र के लिए मालभाड़ा आर्थिक सहायता - ओएमसीज दूरदराज आर्थिक सहायता योजना, 2002 के अंतर्गत दूर दराज क्षेत्र में पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी बिक्री के लिए मालभाड़ा आर्थिक सहायता प्राप्त करता है जिसमे डीलर/वितरण इंड तक मालभाड़ा लागत के भाग को कवर किया जाता हैं। मालभाड़ा आर्थिक सहायता को 2002 के स्तर पर स्थिर कर दिए गए और उच्चतर वास्तविक खर्च, यदि कोई हों, उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर दिए जाते है।

एमओपीएनजी ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए लेखापरीक्षित ऑकड़े पर आधारित एमएस और एचएसडी की वृद्धि कीमत की जांच करने के लिए कार्यालय, मुख्यालय सलाहकार (लागत) और निदेशक (एफ एंड ए), पीपीएसी के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समूह गठित किया (जुलाई 2006)। इनके रिपोर्ट पर आधारित, एमओपीएनजी ने दरें निर्धारित की जो विनियमित उत्पादों विपणन में किए गए खर्च मूल्य ढांचें में प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि मूल्य ढांचा में निर्धारित दरें और किए गए वास्तविक खर्च के बीच अंतर था। विशेष रूप से, यह देखा गया कि एनआरएफ के संशोधन न होने के कारण मालभाड़ा लागत (2002 से पूर्व) आरएसपी में उपभोक्ताओं को पारित किया गया था और कम-वसूली के रूप में उत्पन्न किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त 2002 में निर्धारित आईपीपी लिंकेज नए स्थानों और नई चालू पाइपलाइन पर विचार करने के लिए नियमति रूप से संशोधित नहीं किया गया था। वांछित संशोधन केवल 2011 में किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 2010-11 तक उच्चतर कम वसूली भार हुआ।

आईओसीएल बीपीसीएल और एचपीसीएल की तुलना में उपभोक्ताओं से आरएसपी द्वारा और कम वसूली दावा के द्वारा वसूली की गई मालभाड़ा लागत के लिए 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान विनियमित उत्पादों अर्थात एमएस (जून 2010 तक) एचएसडी, पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी के परिवहन पर किए गए वास्तविक मालभाड़ा लागत[10] से संबंधित डाटा की तुलना तालिका 11 में दर्शाए गए स्थिति का पता चला। विनियमित उत्पादों के रेल, सड़क और तटवर्ती संचालन के वास्तविक परिवहन लागत और पाइपलाइनों की परिचालन लागत विश्लेषण के लिए विचार किया गया था।

तालिका 11

दावा कियागया/वसूल किया गया भाड़ा और ओएमसीज़ द्वारा वास्तविक रूप से किया गया भाड़ा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आईओसीएल			बीपीसीएल			एचपीसीएल		
	दावा किया गया/ वसूल किया गया भाड़ा	वहन किया गया भाड़ा मूल्य	अंतर	दावा कियागया/ वसूल किया गया भाड़ा	वहन किया गया भाड़ा मूल्य	अंतर	दावा कियागया/ वसूल किया गया भाड़ा	वहन किया गया भाड़ा मूल्य	अंतर
2008-09	5,641	4,767	874	2,470	2,074	396	2,240	1,840	400
2009-10	6,017	5,158	859	2,717	2,346	371	2,437	2,077	360
2010-11	5,914	5,700	214	2,662	2,420	242	2,413	2,261	152
कुल	**17,572**	**15,625**	**1,947**	**7,849**	**6,840**	**1,009**	**7,090**	**6,178**	**912**

[10] *पाइप लाइन मालभाड़ा लागत पाइपलाइनों की वास्तविक परिचालन लागत के आधार पर तैयार किया गया था। रेल तटवर्ती और सड़क मालभाड़ा वास्तविक आधार पर शामिल किया गया है।*

इस प्रकार, ओएमसीज़ उनके द्वारा वहन किए गए वास्तविक मूल्य की अपेक्षा कुछ अधिक भाड़ों की प्रतिपूर्ति की गई और 2008-09 से 2010-11 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 3,868 करोड़ का कुल प्रभाव पड़ा:

एमओपीएनजी ने कहा (जून 2013/जनवरी 2014) कि:

- आईपीपी तंत्र के तहत इनलैंड भाड़े की गणना संबंधित स्थापना/एलपीजी संयंत्र तक परिवहन के लिए उपलब्ध सबसे सस्ते माध्यम द्वारा नजदीकी गंतत्य पत्तन से जोड़कर किया जाता है।

- ओएमसीज़ को केवल सबसे सस्ते साधनों द्वारा अंतर्देशीय परिवहन दरों और खुदरा बिक्री मूल्यों द्वारा कम भाड़े के बीच के अंतर का मुआवजा दिया गया है और अत: ओएमसीज़ को भाड़े का कोई अधिक मुआवजा नहीं दिया गया है।

- पाइपलाइन के उपयोग की अधिकतम सीमातक प्रोत्साहित करने हेतु, पाइपलाइन से जुड़े स्थानों के लिए टैरिफ को रेल भाड़े पर 75 प्रतिशत की छूट तक मानदण्डित किया गया है। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती गई मॉग को पूरा करने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क के भविष्य में विस्तारण के लिए ओएमसीज़ को पर्याप्त प्रतिगम और अधिशेष उत्पन्न करना होगा।

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) नियम 2010, पाइपलाइन परिवहन टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की सूचना देता है, जिसके अनुसार टैरिफ को वैकल्पिक साधन (रेल) के 75 प्रतिशत पर बैंचमार्किंग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। ओएमसीज़ इस प्रकार केवल पीएनजीआरबी द्वारा सूचित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

एमओपीएनजी का उत्तर निम्न के संदर्भ में देखने की आवश्यवता है:

(i) उत्पाद गतिविधि के लिए मूल्य ढांचें के अनुसार प्रयुक्त मार्ग निकटतम पोर्ट से बाजार तक है जिसका ओएमसीज़ द्वारा रिफायनरी से बाजार तक वहन किये गए वास्तविक परिवहन लागत से बहुत कम या कोई संबंध नहीं है।

(ii) इस प्रकार मूल्य ढांचा में अनुमानित लागत ओएमसीज़ द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से भिन्न है।

(iii) इसके अलावा, मूल्य निर्धारण यंत्र को पाइपलाइन परिचालन में एक भारी अधिशेष सहना पढ़ता है। आईओसीएल का पाइपलाइन विभाजन को 2008-11 के मूल्य वृद्धि द्वारा तीन अंतर्देशीय रिफायनरियों को कच्चे तेल के परिवहन हेतु ₹ 5,982 करोड़ द्वारा प्रतिकारित किया जाता है जो कि उस अवधि के दौरान परिचालन लागत[11] का ₹ 1,519 करोड़ का लगभग चार गुना है। यह मूल्य वृद्धि में रेल भाड़े के 75 प्रतिशत पर प्रतिपूर्ति पर उत्पाद के पाइपलाइन द्वारा परिवहन के कारण है।

(iv) दिसम्बर 2010 में पीएनजीआरबी की टैरिफ अधिसूचना तक, पाइपलाइन विभाजन की केवल परिचालन लागत को मूल्य ढ़ांचें हेतु ध्यान में रखा गया था।

(v) जब कि पाइपलाइन ढांचे में निवेष मे उचित वापसी उत्पन्न करने की आवश्यकता की सराहना की गई है, इसके कम वसूली की वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए मूल्य वृद्धि में निरंतर इस तत्व की समीक्षा करने का मामला है।

3.1.7 विपणन क्षेत्र में निवेश और ओएमसी को इसकी वापसी

ओएमसीज ने खुदरा, एलपीजी,विमानन, नई-पाइपलाइन,टर्मिनल एवं डिपो, ल्यूब आदि जैसी विपणन गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे की विभिन्न संरचना पर निवेष किया है। 2007-12 में ओएमसीज़ द्वारा इन क्षेत्रों पर किए गए निवेष तालिका 12 में दिया गया है।

तालिका 12

2007-12 के दौरान विभिन्न विपणन क्षेत्रों में ओएमसीज़ द्वारा निवेष

(₹ करोड़ में)

ओएमसी	खुदरा	एलपीजी	पाइपलाइन	विमनन ल्यूब एंव अन्य	कुल
आईओसीएल	3,770	4,973	1,509	342	10,594
बीपीसीएल	3,646	2,966	408	879	7,899
एचपीसीएल	3,631	3,451	1,025	3,297	11,404
कुल	**11,047**	**11,390**	**2,942**	**4,518**	**29,897**

[11] *परिचालन लागतों में अंतर्देशीय रिफायनरियों (मथुरा,पानीपत एवं कोयली) द्वारा बेचे गए विनियमित उत्पादों के प्रमात्रा से आईओसीएल से प्राप्त हुई प्रति किलो परिचालन लागतों को आवंटित करके निकालते हुए उपयोगिताओं (विद्युत एवं ईंधन), प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत मरम्मत एवं रख-रखाव मूल्यह्रास और प्रशानिक उपरिव्ययों को शामिल किया जाता है।*

विपणन बुनियादी संरचना में उक्त निवेश विनियमित तथा गैर विनियमित दोनों उत्पादों को सम्मिलित करता है (एटीएफ, ल्यूवस तथा उत्पाद पाइपलाईन बिछाने पर निवेश अधिकतम गैर विनियमित उत्पादों पर होता है)। ओएमसीज को गैर विनियमित उत्पादों पर विपणन निवेश सहित निवेशों पर उचित प्रतिफल सृजित करने की स्वतंत्रता है। विनियमि, त उत्पादों हेतु मूल्य निर्धारण फार्मूले विपणन मार्जिन के रूप में खुदरा खण्ड में निवेश पर एक प्रतिफल तथा खुदरा केन्द्र पर मार्जिन के रूप में खुदरा केन्द्र में निवेश पर एक प्रतिफल की अनुमति देते हैं। विनियमित उत्पादों पर विपणन लागत की भी मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाती है।

विपणन लागत में विपणन सेटअप से संबंधित मूल्यह्रास सहित प्रचालन स्थानों में कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी, प्रशासनिक व्यय तथा बुनियादी संरचना सुपुर्दगी तथा अनुरक्षण लागत शामिल है। विपणन मार्जिन ओएमसीज द्वारा विभिन्न उत्पादों के विपणन में परिनियोजित निवल अचल परिसम्पत्ति पर प्रतिफल से संबंधित है। विपणन मार्जिन पूर्व किए गए निवेशों तथा आगामी निवेशों हेतु भी तथा संग्रहण हैंडलिंग तथा विपणन हेतु बुनियादी संरचना के प्रतिस्थापन पर एक प्रतिफल के रूप में प्रदान किया जाता है। खुदरा आउटलेट प्रभारों पर मार्जिन विशेष रूप से खुदरा पम्प हेतु परिनियोजित परिसम्पत्ति के प्रति निवेश पर प्रतिफल है (आउटलेट केवल एमएस तथा एसएसडी हेतु प्रतिबंधित) ।

उपरोक्त पैरा 3.1.6 में वर्णित अनुसार, वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित एमएस तथा एचएसडी के मूल्य निर्धारण की जांच करने हेतु गठित दल ने विपणन लागत निर्धारण, विपणन मार्जिन तथा खुदरा आउटलेट प्रभारों पर मार्जिन हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की:

- ओएमसीज, की प्रत्येक वर्ष 4 प्रतिशत वृद्धि के साथ एमएस तथा एचएसडी की बिक्री मात्रा पर ₹425/केएल पर विपणन लागत के लिए मुआवजा दिया जाना था। इस दर को ओएमसीज द्वारा व्यय वास्तविक लागत तथा 2005-06 के दौरान विभिन्न विपणन लागत तत्वों में औसत वृद्धि के आधार पर निर्धारित किया गया था। ग्रुप ने सिफारिश की कि ओएमसीज को अपना व्यय रोकना चाहिए ताकि उनके खर्च सीमा से बाहर वृद्धि न हुई।
- विपणन मार्जिन की एमएस तथा एचएसडी हेतु 2005-06 में (खुदरा पम्प आउटलेट परिसम्पत्ति को छोड़कर) परिनियोजित निवल अचल परिसम्पत्ति पर 18.09 प्रतिशत पश्च कर प्रतिदाय को अनुमत कर गणना की गई थी तथा उसके पश्चात ₹162 प्रति केएल पर लिए गए नाममात्र मूल्य पर

निर्धारित किया गया। ग्रुप ने इस दर की इस आधार पर सिफारिश की कि परिसम्पत्तियों में सम्पूर्ण निवेश 'स्वयं के धन' में से है। प्रतिदाय परिसम्पत्तियों के उत्पादक परिनियोजन पर बल देने तथा अक्षमताओं से बचने के लिए परिसम्पत्तियों से जुड़ा था।

- खुदरा आउटलेट प्रभारों पर मार्जिन की 2005-06 में (एमएस तथा एचएसडी हेतु) खुदरा पम्प आउटलेट पर विशेष रूप से परिनियोजित निवल अचल परिसम्पत्ति पर 18.09 प्रतिशत पश्च कर प्रतिदाय को अनुमत करके गणना की गई तथा इसके पश्चात ₹263 प्रति केएल पर लिए गए नाममात्र मूल्य पर निर्धारित किया गया।

पीडीएस कैरोसीन तथा घरेलू एलपीजी हेतु, विपणन लागत को क्रमश: ₹250/केएल तथा ₹391/एमटी स्तर पर जारी रखा गया तथा विपणन मार्जिन को क्रमश: ₹97.59 प्रति केएल तथा ₹173.22 प्रति एमटी (अनुदान योजना 2002 में निर्धारण रूप में) पर जारी रखा गया।

विनियमित उत्पादों के मूल्य निर्धारण में कारक उक्त तीन तत्वों की लेखापरीक्षा की जांच के परिणामों को निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) विपणन लागत

ओएमसीज से विनियमित उत्पादों (उत्पाद क्रमानुसार) की वास्तविक विपणन लागत पर सूचना मांगी गई थी। जैसाकि ओएमसीज में उत्पादवार विपणन लागत का पता लगाने के लिए व्यवस्था नहीं है अत: उन्होंने कुल विपणन लागत के आंकड़ों तथा एमएस, एचएसडी तथा कैरोसीन के लिए विपणन लागत निकालने हेतु एलपीजी, एटीएफ, ल्यूनस आदि जैसे उत्पादों हेतु पहचान योग्य लागत को प्रस्तुत किया। 'वास्तविक' विपणन लागत पर ओएमसीज द्वारा प्रस्तुत आंकडे तथा 2007-12 के दौरान उनके द्वारा (मूल्य निर्माण के घटक के रूप में) दावा की गई राशि की जांच से तालिका 13 में दर्शाई स्थिति का पता चला।

तालिका 13

मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार व्यय की गई/प्राप्त की गई वास्तविक विपणन लागत (एलपीजी भरने की लागत सहित)

(₹करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12#
आईओसीएल					
व्यय की गई वास्तविक विपणन लागत	2,705.16	3,286.66	3,445.38	3,363.91	3,158.67
स्वीकार्यता के अनुसार प्राप्त	2,425.60	2,692.79	2,973.38	2,894.62	3,052.90
मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार मात्रता से अधिक भारग्रहण	279.56	593.87	472.00	469.29	105.77
बीपीसीएल					
व्यय की गई वास्तविक विपणन लागत	1,465.37	1,552.40	1,780.38	1,725.50	1,959.92
स्वीकार्यता के अनुसार प्राप्त	1,178.52	1,279.74	1,396.02	1,358.43	1,466.44
मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार मात्रता से अधिक भारग्रहण	286.85	272.66	384.36	367.07	493.48
एचपीसीएल					
व्यय की गई वास्तविक विपणन लागत	1,235.26	1,479.18	1,895.15	1,944.83	2,247.63
स्वीकार्यता के अनुसार प्राप्त	997.61	1,127.17	1,261.48	1,229.16	1,333.3
मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार पात्रता से अधिक	237.65	352.01	633.67	715.67	914.33

*** एमएस जून 2010 में अविनियमित तथापि एमएस पर विपणन लागत उस वर्ष की केवल प्रथम तिमाही के लिए है;**

2011-12 के दौरान केवल तीन उत्पाद

हालांकि प्रति केएल पर निर्धारित विपणन लागत को संशोधित नहीं किया गया है, अत: बिक्री में वृद्धि (एमएस तथा एचएसडी हेतु अनुमत 4 प्रतिशत वृद्धि के साथ) सामान्यत: विपणन खर्चों में वृद्धि का ध्यान रखेगी।सभी ओएमसीज ने सभी पांच वर्षों में मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार स्वीकार्य राशि से अधिक विपणन व्यय किए। आईओसीएल विपणन खर्चों को नियंत्रित कर सकती थी जिन्होंने वर्ष विशेष रूप से वर्ष 2011-12 में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी। सभी ओएमसीज के संदर्भ में, विपणन लागत के प्रति प्राप्त मुआवजा पीडीएस (कैरोसीन) हेतु वास्तविक लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह पीडीएस (कैरोसीन) हेतु मानदण्डों (विपणन लागत प्राप्त करने हेतु) के संशोधन न होने के कारण है जिसे बिक्री मात्रा में कमी करने के साथ-साथ 2002 में निर्धारित किया गया था।

व्यय की गई विपणन लागत तथा प्राप्त कम वसूली दावो के बीच कमी ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान एमएस तथा एचएसडी के संदर्भ में एक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी तथा 2011-12 में,आईओसीएल पर ₹250.40 करोड की राशि का अधिशेष था।

बीपीसीएल तथा एचपीसीएल के संबंध में, विपणन लागत ने वर्ष भर में एक वृद्धि प्रवृत्ति दर्शायी। इन दोनों ओएमसीज ने सभी वर्षों में सभी उत्पादों पर अतिरिक्त विपणन लागत व्यय की। यह मुख्यत: अधिक मूल्यह्रास लागत की वजह से बुनियादी विपणन सुविधाओं को बढ़ाने के कारण था।

इस प्रकार, मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार स्वीकार्य दर पर अधिक विपणन लागत ने समीक्षा अवधि में ओएमसीज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

(ii) विपणन मार्जिन

उपरोक्त पैरा 3.1.7 में वर्णित अनुसार, विपणन मार्जिन विनियमित उत्पादों (खुदरा पम्प आउटलेट परिसम्पत्तियों को छोड़कर) के विपणन हेतु परिनियोजित परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित है। निवल अचल परिसम्पत्तियों की 18.09 प्रतिशत अपेक्षित प्रतिदाय के साथ कम वसूली दावे (मूल्य निर्धारण फार्मूले के आधार पर) के अनुसार विपणन मार्जिन की तुलना तालिका 14 में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार संबंधित वर्षों (2007-08 से 2011-12) में विनियमित उत्पादों के विपणन से सम्बन्धित थी।

तालिका 14

मूल्य निर्धारण फार्मूले में प्राप्त बनाम वांछित विपणन मार्जिन

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आईओसीएल			(₹ करोड़ में)		
परिनियोजन निवल अचल परिसम्पत्ति पर 18.09 प्रतिशत विपणन मार्जिन	1,014.08	880.36	859.50	810.30	866.82
लागू दर पर प्राप्त विपणन मार्जिन	1,106.25	1,183.55	1,268.49	1,232.95	1,275.58
मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार (कमी)/अधिशेष	92.17	303.19	408.99	422.65	408.76
बीपीसीएल					
परिनियोजन निवल अचल परिसम्पत्ति पर 18.09 प्रतिशत विपणन मार्जिन	493.34	500.02	585.78	535.23	573.84
लागू दर पर प्राप्त विपणन मार्जिन	534.03	570.66	604.35	591.25	626.82
मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार (कमी)/अधिशेष	40.69	70.64	18.57	56.02	52.98
एचपीसीएल					
परिनियोजन निवल अचल परिसम्पत्ति पर 18.09 प्रतिशत विपणन मार्जिन	407.01	434.92	519.29	523.49	565.69
लागू दर पर प्राप्त विपणन मार्जिन	302.74	336.37	366.50	337.50	355.22
मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार (कमी)/अधिशेष	(104.27)	(98.55)	(152.79)	(185.99)	(210.47)

विपणन मार्जिन की वजह से मूल्य ढांचा के माध्यम से आईओसीएल को अधिक मुआवजा दिया गया है जो निम्नलिखित कारणों से था:

- एमएस तथा एचएसडी विपणन हेतु निवल निर्धारित परिसम्पत्ति (एनएफए) 2007-08 में ₹4,120.42 करोड़ से 2011-12 में ₹3,590.40 करोड़ तक कम हुई है। इस प्रकार, मूल्य निर्माण में एमएस/एचएसडी हेतु ₹ 162 प्रति केएल के नाममात्र मूल्य पर विपणन मार्जिन का निर्धारण के कारण एनएफए की अपेक्षित 18.09 प्रतिशत से उस पर अधिक मुआवजा हुआ है।

- एमएस, एचएसजडी तथा घरेलू एलपीजी की बिक्री मात्रा में वृद्धि ने अधिक विपणन मार्जिन में भी सहयोग दिया है।

तथापि, एचपीसीएल के मामले में, मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार प्राप्त विपणन मार्जिन सभी वर्षों में खुदरा खण्ड पर परिनियोजित अचल परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित प्रतिदाय (18.09 प्रतिशत) से कम था। इस प्रकार, विपणन खण्ड पर किया गया निवेश अपेक्षित प्रतिदाय प्राप्त नहीं कर सका।

(iii) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मार्जिन

खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मार्जिन को ₹263 प्रति केएल निर्धारित किया गया था जिसमें खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए तैनात सकल निर्धारित परिसम्पत्तियों पर 18.09 प्रतिशत के निवेश पर प्रतिफल अभिप्रेतथा। 2007-10 (तीन वर्ष) की अवधि के लिए सकल निर्धारित परिसम्पत्तियों के 18.09 प्रतिशत की वांछित प्रतिफल के साथ कम वसूली के दावों (कीमत निर्धारण फार्मूला के आधार पर ₹263 प्रति केएल) के अनुसार प्राप्त मार्जिन की तुलना तालिका 15 में दर्शाई गई है। डाटा का विश्लेषण तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबांधित था क्योंकि एमएस को जून 2010 में नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था और ओएमसीज द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों में किए निवेश को एमएस एवं एचएसडी के लिए पृथक नहीं किया जा सकता था।

तालिका 15

मूल्य निर्धारण फार्मूला में अपेक्षित (18.09 प्रतिशत पर) के साथ-साथ प्राप्त खुदरा बिक्री केन्द्र निवेश पर मार्जिन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10
आईओसीएल			
खुदरा बिक्री केन्द्रों पर प्रयुक्त निवल स्थाई परिसम्पत्तियों पर 18.09 प्रतिशत पर मार्जिन	869.76	953.02	996.09
लागू दर पर प्राप्ति मार्जिन	900.81	1003.65	1,093.35
मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार (घाटा)/अधिशेष मार्जिन	31.05	50.63	97.26
बीपीसीएल			
खुदरा बिक्री केन्द्रों पर प्रयुक्त निवल स्थाई परिसम्पत्तियों पर 18.09 प्रतिशत पर मार्जिन	567.81	641.31	677.84
लागू दर पर प्राप्ति मार्जिन	456.75	504.42	534.44
मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार (घाटा)/अधिशेष मार्जिन	(111.06)	(136.89)	(143.40)
एचपीसीएल			
खुदरा बिक्री केन्द्रों पर प्रयुक्त निवल स्थाई परिसम्पत्तियों पर 18.09 प्रतिशत पर मार्जिन	495.26	560.91	623.06
लागू दर पर प्राप्ति मार्जिन	377.44	428.14	467.75
मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार (घाटा)/अधिशेष मार्जिन	(117.82)	(132.77)	(155.31)

आईओसीएल सभी तीन वर्षों में 18.09 प्रतिशत से अधिक निवेश पर प्रतिफल उत्पन्न कर सकता था। तथापि, बीपीसीएल और एचपीसीएल के संबंध में खुदरा बिक्री केन्द्रों से बिक्रियों की मात्रा में बढ़ोत्तरी 18.09 प्रतिशत पर वांछित आरओएल को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह मुख्यत: समीक्षाधीन तीन वर्ष की अवधि के दौरान बिक्री राजस्व में आनुपातिक वृद्धि के बिना खुदरा बिक्री केन्द्रों में उच्चतर निवेश के कारण था।

मार्केटिंग खंड में निवेश के संबंध में एमओपीएनजी ने बताया (जनवरी 2014) कि वर्तमान तंत्र लागत जोड़ आधार पर आधारित नहीं है और वार्षिक आधार पर संशोधित नहीं किया जा सकता और विपणन लागत और मार्जिन पर किसी अधिक/कम वसूली को ओएमसीज द्वारा समाहित किया जाना है। आईओसीएल ने बताया (जून 2013) कि कई मार्किटिंग विपणन भंडारण स्थानों /सुविधाओं को निकट भविष्य में प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी और आईओसीएल को इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त निधियों की आवश्यकता है।

विपणन भाग में शामिल लागतों को अद्यतन न करने के लिए मंत्रालय के स्पष्टीकरण के मद्देनजर ओएमसीज को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी लागतें और उनकी बिक्रीयो की मात्रा को पर्याप्त प्रतिफल को उचित सिद्ध करने के लिए इष्टतम स्तर पर अनुरक्षित किया गया है। तथापि, लागतों के वास्तविक भार और वांछित प्रतिफल के स्तर की भी एमओपीएनजी द्वारा आवधिक समीक्षा की जाए।

पैरा 3.1.1 के अनुसार, यद्यपि ओएमसीज को कम वसूली के रूप में ₹ 28,680 करोड़ समाहित करने के लिए कहा गया था, यह एमओपीएनजी के साथ प्रतिवर्ष हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के अनुसार उनकी प्रतिबद्धता के तुलना में काफी कम था। ओएमसीज ने ₹ 89,426 करोड की कम वसूलियों को समाहित करने की प्रतिबद्धता की थी।

एमओपीएनजी ने बताया (जनवरी 2014) कि समझौता ज्ञापन की आंकडों को एमओएफ से मुआवजा प्राप्ति की अनिश्चितता के मद्देनजर माना गया था और यह कि ओएमसीज ने पुष्टि की है कि इसका आशय उनसे प्रतिबद्धता प्राप्त करना नहीं था।

ओएमसीज को अक्तूबर 2003 में सरकार द्वारा अनुमोदित भार शेयरिंग तंत्र के अनुसार एलपीजी और एसकेओ पर कम वसूली भार के एक तिहाई हिस्से के लिए अधिदेशित किया गया था। यद्यपि, 2007-12 के दौरान एलपीजी और एसकेओ पर कम वसूली भार ₹ 2,10,676 करोड़ था ओर एलपीजी और एसकेओ पर कम वसूली का एक तिहाई ₹ 69,523 करोड़ था, ओएमसीज ने सभी नियंत्रित उत्पादों के लिए इस अवधि के दौरान

केवल ₹ 28,680 करोड़ समाहित किए थे। इस प्रकार, ओएमसीज ने कम वसूली तंत्र के अधिदेश के साथ-साथ अपनी स्वयं की प्रतिबद्धता की तुलना में कम समाहित किया था। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि ओएमसीज की उच्चतर दक्षता उनके द्वारा कम वसूली भार के उच्चतर समावेश को सक्षम बनाएगी।

3.1.8 घरेलू एलपीजी लाभान्वित ओएमसीज के मूल्य ढांचा में स्टॉक हानि का शामिल होना

घरेलू एलपीजी के लिए वांछित कीमत (डीएसपी) की मूल्य वृद्धि में 0.25 प्रतिशत पर स्टॉक हानि को शामिल किया गया था और ओएमसीज ने तदनुसार कम वसूली का दावा किया था। ओएमसीज के 2007-08 से 2011-12 के दौरान घरेलू एलपीजी के वितरण पर कोई स्टॉक हानि नहीं हुई थी। इसके बजाय समीक्षाधीन अवधि पर ओएमसीज के पास स्टॉक लाभ मौजूद थे। तालिका 16 में इन कम्पनियों द्वारा पांच वर्ष की अवधि के दौरान सूचित स्टॉक हानि और वास्तविक लाभ तथा ओएमसीज के कम वसूली दावों की राशि को दर्शाती है।

तालिका 16

मूल्य ढांचे में घरेलू एलपीजी की स्टॉक हानि के शामिल करने का प्रभाव

वर्ष	आईओसीएल		बीपीसीएल		एचपीसीएल		कुल लाभ (एमटी)	यू/आर दावों में दर्शाई गई कुल स्टॉक
	यू/आर दावों में दर्शाई गई स्टॉक हानि (₹ करोड में)	स्टॉक लाभ (एमटी)	यू/आर दावों में दर्शाई गई स्टॉक हानि (₹ करोड में)	स्टॉक लाभ (एमटी)	यू/आर दावों में दर्शाई गई स्टॉक हानि	स्टॉक लाभ (एमटी)		
2007-08	41	3,196	21	1,237	20	8,051	12,484	82
2008-09	48	4,142	24	1,446	24	6,523	12,111	96
2009-10	44	3,716	22	6,195	22	8,790	18,701	88
2010-11	58	9,337	30	7,768	30	4,762	21,867	118
2011-12	74	11,500	39	8,415	39	8,722	28,637	152
कुल	**265**	**31,891**	**136**	**25,061**	**135**	**36,848**	**93,800**	**536**

इस प्रकार, ओएमसी ने स्टॉक हानि के प्रति 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 536 करोड़ की राशि का दावा किया यद्यपि उन्होंने वास्तव में उसी अवधि के दौरान ₹ 219 करोड़ मूल्य के 93,800 एमटी के स्टॉक लाभ अर्जित किये है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने यह सराहना करता है कि 2012-13 से घरेलू एलपीजी के कीमत निर्धारण सूत्र में स्टॉक हानि को छोड़ने के लिए एमओपीएनजी द्वारा ओएमसीज़ को सलाह दी गई है। (अप्रैल 2013)।

3.1.9 एचएसडी बिक्री में कम वसूली बढ़ाने के लिए एचएफएचएसडी का शामिल करना

हाईफलेश हाई स्पीड डीजल (एचएफएचएसडी) एचएसडी को रूपान्तर है और इसका उपयोग नौसेना अनुप्रयोगों और व्यापारी बेडा, अपतट पोतों एवं फिशिंग ट्रेलरस के लिए डीजल इंजनों में किया जाता है। एचएफएचएसडी ओएमसी द्वारा एचएसडी को लागू विनियमित दर पर भी बेचा जाता है। शिपिंग क्षेत्र (और शिपिंग कम्पनियों द्वारा उपयोग किया गया) के लिए मात्र एक उत्पाद स्फीति सूचकांक के लिए महत्वपूर्ण योगदान सहित अधिक खपत के लिए अभिप्रेत विनियमित दरों पर आपूर्ति के लिए योग्य नहीं है। विनियमित दरों पर एचएफएचएसडी की बिक्री के कारण 2007-12 के दौरान ₹ 1,376 करोड़ तक कम वसूली भार में वृद्धि हुई जिसे **अनुबन्ध IV** में दिखाया गया है।

एमओपीएनजी ने बताया (जून 2013) कि एचएसडी (बीएस-III एवं बीएस IV) के अन्य ग्रेडों की तुलना में इसके सल्फर घटक के कारण एचएफएचएसडी एक न्यून्तर विनिर्देशन उत्पाद है। एमओपीएनजी ने आगे बताया कि कोई भी कम वसूली 18 जनवरी 2013 से थोक उपभोक्ताओं (बन्करिंग के लिए एचएफएचडी की थोक बिक्री सहित) से डीजल की बिक्री पर उठाई नहीं जाएगी।

लेखापरीक्षा ने थोक उपभोक्ताओं से बिक्री पर कम वसूली हटाने के लिए जनवरी 2013 में की गई कार्रवाई की सराहना की। यदि उत्पाद (एचएफएचएसडी) के विनियमित करने की कार्रवाई पहले की गई होती तो 2007-12 से कम वसूली ₹ 1,376 करोड़ तक कम हुई होती।

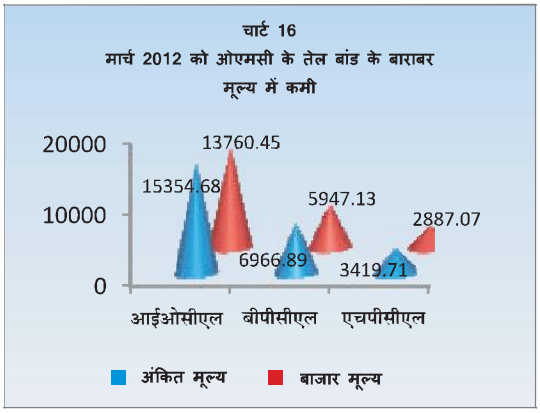
3.1.10 ओएमसीज द्वारा प्राप्त मुआवजा

ओएमसीज, जीओआई द्वारा कम वसूली की प्रतिपूर्ति और अन्तिम ग्राहक से अंत में वसूली गई जमा कीमत (डीपी) के माध्यम से उनके डीएसपी की प्रतिपूर्ति की जाती है। कम वसूली अपस्ट्रीम कम्पनियों, ओएमसीज़ और सरकार के बीच शेयर किया जाना अभिप्रेत था तथापि अधिकतर इसे सरकार और अपस्ट्रीम कम्पनियों द्वारा वहन किया जाता है। तथापि सुस्पष्ट तथा अनुकूल नीति के अभाव में, प्रत्येक पणधारक-सरकार, अपस्ट्रीम तेल कम्पनियां और ओएमसीज द्वारा वहन की गई कम वसूली का भाग

अनिश्चित रहा। इसके अलावा, मुआवजा देर से प्राप्त किया गया जिसने ओएमसीज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इन मामलों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

क. ओएमसीज द्वारा तेल बांड की बिक्री के कारण हानि

सरकार ने कम वसूलियों के प्रति मुआवजे के कारण 2005-06 से 2008-09 की अवधि हेतु ओएमसीज को ₹ 145385 करोड़[12] कीमत का विशिष्ट तेल बांड जारी किया था। इन बांडो की वर्ष 2012 से 2026 में भुगतान तिथि से 3 से 17 वर्षों के बीच दीर्घ मोचन अवधि होती है।



भारत सरकार द्वारा कम वसूली हेतु मुआवजे के प्रमुख भाग का केवल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही भुगतान किया जाता है, जिसके कारण ओएमसीज ने प्रचालनों में नकदी की कमी का सामना किया। यह ओएमसीज के उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार के साथ-साथ बट्टे पर तेल बांड बेचकर उधार लेना पड़ा। जैसाकि एक प्रमुख तेल बांड का सांविधिक द्रवता अनुपात (एसएलआर) का दर्जा नहीं था अत: बैंक ऐसे बांड को खरीदने का इच्छुक नहीं था तथा इसका बाजार केवल भविष्य निधि तथा बीमा कम्पनियों तक सीमित था। ओएमसीज ने तेल बांड को छूट पर बेचा तथा 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 3994 करोड़ की हानि उठाई (आईओसीएल: ₹ 2275 करोड़; बीपीसीएल: ₹ 1,165 करोड़; तथा एचपीसीएल: ₹ 554 करोड़)। इसके अलावा, ओएमसीज ने अपने द्वारा रखे बांड के मूल्य हेतु मार्क टू मार्केट (एमटीएम) आधार पर अपने खाते में 31 मार्च 2013 तक ₹ 1751 करोड़ का प्रावधान किया। तथापि, भारत सरकार को समूल्य पर इन बांडो को चुकाना पड़ा। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस स्थायी समिति (2011-12) ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में तेल बांड के लिए एसएलआर दर्जे की सिफारिश की थी। तथापि, इसे प्राप्त करना शेष था।

एमओपीएनजी ने कहा (जून 2013) कि:

- ओएमसीज को केवल 2005-06 से 2008-09 के दौरान बांड जारी करने के माध्यम से कम वसूलियों हेतु मुआवजा दिया गया तथा उनके पास कूपन दर,

[12] *स्रोत: पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस स्थायी समिति (दिसम्बर 2011) की IX रिपोर्ट*

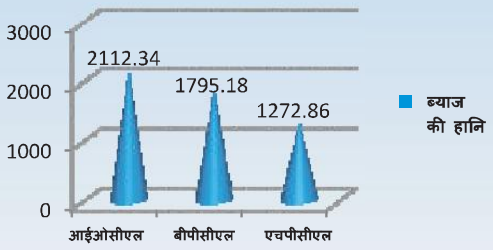
कार्यकाल, तथा एसएलआर दर्जे की परवाह किए बिना एमओएफ द्वारा जारी तेल बांड को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

- इसने जून 2008 में राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) के लिए बाजार से जुड़ी ब्याज दरों के साथ बांड को एसएलआर दर्जा प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव रखा था जिस पर निर्णय नहीं लिया गया।
- एमओएफ ने सूचित किया (अप्रैल 2012) कि तेल बांड भारत सरकार की बाजार ऋण कार्यक्रम अथवा बाजार स्थिरता योजना के भाग नहीं है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के अनुसार एसएलआर दर्जे को मंजूरी नहीं दे सकता।
- भारत सरकार ने ओएमसीज को 2009-10 से नकद मुआवजा प्रदान किया था तथा तेल बांड जारी करना बन्द कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा इसकी सराहना करती है कि 2009-10 से तेल बांड बंद कर दिया गया है। तथापि, ओएमसीज द्वारा पहले ही वहन की गई ₹ 3,994 करोड़ की हानि के संदर्भ में उत्तर की समीक्षा की जानी है जिसने 31 मार्च 2012 तक ₹ 25741 करोड़ मूल्य के बांड को जारी रखा तथा जिन्होंने ओएमसीज की उनकी कार्यशील पूंजी पर सहज दबाव में मदद नहीं की। तथापि, जैसाकि पहले कहा गया कि भारत सरकार को समूल्य पर बांड को चुकाना पड़ा।

ख. कम-वसूली के मुआवजे में विलम्ब के कारण कार्यशील पूंजी पर प्रभाव

चार्ट 17
2007-12 के दौरान कम-वसूली दावों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि



ओएमसीज निपटान हेतु वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त में पीपीएसी के माध्यम से एमओपीएनजी को लेखापरीक्षित कम वसूली के दावों को प्रस्तुत करता है। पीपीएसी, ओएमसीज से प्राप्त दावों की नमूना जांच करता है तथा एमओपीएनजी को स्वीकार्य दावे अग्रेषित करता है। कम वसूली मुआवजे की समय पर प्राप्ति ओएमसीज की प्रभावी तरीके से अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकता को प्रबंधित करने तथा ऋणों पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। दावे की प्राप्ति की तिथि से एक माह तक की निपटान अवधि के प्रति ('पीडीएस कैरोसीन तथा डोमेस्टिक एलपीजी अनुदान योजना 2002' के लिए एमओपीएनजी अधिसूचना में अनुबंधित रूप में), ओएमसीज के दावों के निपटान में लिया गया वास्तविक समय को 2007-08 से 2011-12 की पांच

वर्ष की अवधि के दौरान 34 दिनों तथा 310 दिनों (आईओसीएल: 38 दिन से 166 दिन, बीपीसीएल: 34 दिन से 254 दिन तथा एचपीसीएल:42 दिन से 310 दिन) के बीच अलग-अलग देखा गया। इस विलम्ब ने ओएमसीज की नकदी अवस्था को प्रभावित किया। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (2011-12) स्थायी समिति ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में यह भी देखा कि ओएमसीज द्वारा समय पर मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया जिसके कारण उनके त्रैमासिक वित्तीय परिणामों ने बहुत असंगत परिणाम दर्शाए।

तीन ओएमसीज ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान कार्यशील पूंजी उधार पर ब्याज के प्रति ₹ 22802 करोड़ व्यय किए (आईओसीएल द्वारा ₹ 11151 करोड़, बीपीसीएल द्वारा ₹ 5285 करोड़ तथा एचपीसीएल द्वारा ₹ 6366 करोड़)। इसी अवधि के दौरान, मुआवजे (दावे की प्रस्तुति से एक माह अधिक) में विलम्ब ने ₹ 5180 करोड़ की ब्याज हानि में सहयोग दिया (अर्थात् वहन की गई विनिमय वृद्धि/हानि पर विचार करने के पश्चात् कार्यशील पूंजी ब्याज की वास्तविक लागत के आधार पर आईओसीएल - ₹ 2,112 करोड़, बीपीसीएल - ₹ 1,273 करोड़, एचपीसीएल - ₹ 1,795 करोड़)।

एचपीसीएल (2010-11) के साथ हस्ताक्षरित हुए सहमति ज्ञापनों में भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं में से एक कम वसूली के निपटान में विलम्ब के मामले में मुआवजे/ब्याज का भुगतान करना था। आईओसीएल ने 2012-13 के लिए एमओयू के इन वित्तीय लक्ष्यों हेतु मूल पूर्वानुमान को भी शामिल किया था कि भारत सरकार से मुआवजे की विलम्बित प्राप्ति के कारण ऋण पर अतिरिक्त ब्याज के भार की वजह से समायोजन को अनुमति दी जाएगी। तथापि, भारत सरकार ने कम वसूली के कारण ओएमसीज की क्षतिपूर्ति करते समय ब्याज हानि पर ध्यान नहीं दिया। एमओपीएनजी ने कहा (जून 2013/जनवरी 2014) कि ओएमसीज की अनुमानित कम वसूली राशि को अंतिम रूप देना तथा विभिन्न कारकों की वजह से भारत सरकार द्वारा देय नकद मुआवजे की राशि को परिमाणित करना फर्म के लिए संभव नहीं था। एमओएफ को 2011-12 के दौरान मुआवजे में विलम्ब के कारण ब्याज लागत के प्रति ₹ 4588 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे हेतु तथा मासिक आधार पर ओएमसीज को नकद मुआवजे के लिए एक तंत्र की स्थापना हेतु अनुरोध किया गया जिसके लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

एमओएफ ने प्री-एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान कहा (जुलाई 2013) कि मुआवजे में विलम्ब नकदी समस्याओं, प्रतिस्पर्धा दबाव तथा ओएमसीज की बर्डन शेयरिंग क्षमता के कारण हुआ।

तथ्य यह है कि ओएमसीज के कम वसूली के दावों के निपटान में विलम्ब ने अधिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में सहयोग दिया है तथा ओएमसीज पर ब्याज का भार बढ़ाया है।

ग. नकद मुआवजे की घोषणा में विलम्ब के परिणामस्वरूप ओएमसीज द्वारा अग्रिम आयकर के कम भुगतान पर ब्याज का भुगतान हुआ

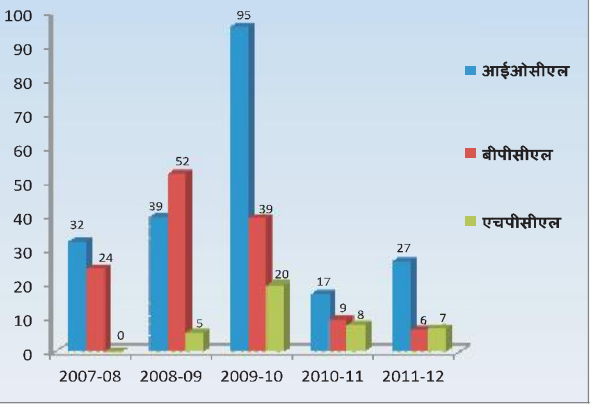
आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 208 इसे ₹ 5,000 से अधिक देय कर के मामलें में वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम कर का भुगतान करने हेतु ओएमसीज के भाग पर अनिवार्य बनाती है।

अधिनियम की धारा 209 के तहत संगणित रूप में वर्तमान आय पर अग्रिम कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष जून तथा मार्च के बीच चार किश्तो में देय है, ओएमसीज को अधिनियम की धारा 234बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक हेतु तथा अधिनियम की धारा 234सी के तहत अग्रिम कर के स्थगन हेतु साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

ओएमसीज अपने त्रैमासिक वित्तीय परिणामों पर आधारित अग्रिम आयकर की सगंणना तथा उसका भुगतान करता है। चूंकि कम वसूली भार की शेयरिंग के तंत्र से संबंधित निर्णय को समय पर घोषित नहीं किया गया अत: ओएमसीज ने प्रत्येक तिमाही में अग्रिम कर का कम भुगतान किया। ओएमसीज ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान अग्रिम आयकर के कम भुगतान पर ₹ 381.29 करोड़ ब्याज का भुगतान किया जैसाकि चार्ट 18 में दर्शाया गया।

''*आईओसीएल तथा बीपीसीएल से संबंधित अग्रिम कर के परिहार्य भुगतान*'' पर एक पैराग्राफ को 2007 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 (वाणिज्यिक) में सम्मिलित किया गया था (पैरा संख्या 13.6.1) जिसमें 2000-01 से 2005-06 के दौरान ₹ 161.02 करोड़ ब्याज के परिहार्य भुगतान पर टिप्पणी की गई थी। आईओसीएल तथा बीपीसीएल ने समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए जा रहे मुआवजे/दावे की राशि में अनिश्चितता के लिए तथा अग्रिम कर की अदायगी की नियत तिथि के पश्चात अधिसूचना जारी करने में इसकी विशेषता बताई।

चार्ट 18
अग्रिम कर के भुगतान में विलम्ब के कारण भुगतान किया गया पैनल ब्याज (₹ करोड़ में)



पेट्रोलियम तथा प्राकृति गैस स्थाई समिति (2011-12) ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में ओएमसीज, अपस्ट्रीम तेल कम्पनियों तथा सरकार के बीच कम वसूली शेयरिंग की तदर्थ प्रचलित व्यवस्था पर समीक्षात्मक टिप्पणी की। इसने सिफारिश की कि सरकार ओएमसीज की कम वसूली के लिए निधि देने हेतु एक स्पष्ट तथा निर्धारित नीति विकसित करे जो इन सूचीबद्ध कम्पनियों के लाभ उचित आकलन सुनिश्चित करेगी तथा कर प्राधिकारियों द्वारा ब्याज तथा जुर्माना लगाने के लिए प्रमुख समस्याओं को दूर करने में ओएमसीज की सहायता भी करेगी।

एमओपीएनजी ने कहा (जून 2013) कि:

(i) मुआवजे अथवा उससे प्रतिबद्धता को एक विशेष तिमाही के अन्दर एमओएफ से हमेशा प्राप्त नहीं किया गया। जैसाकि, यह अग्रिम आयकर के आकलन हेतु ओएमसीज के लिए संभव नहीं था तथा उन्हें वास्तविक आधार पर तिमाही वित्तीय परिणामों को सूचित करना था।

(ii) ओएमसीज द्वारा की गई कम वसूलियां विभिन्न कारकों अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में परिवर्तन, विनिमय दर भिन्नता, खुदरा बिक्री मूल्यों में संशोधन तथा संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि पर आधारित थी। वर्ष के आरम्भ में भारत सरकार द्वारा देय नकद मुआवजे को निधारित करना संभव नहीं था।

(iii) कम वसूली के लिए धन देने हेतु एक निर्धारित नीति विकसित करना कठिन है क्योंकि यह एक विशेष वर्ष में भी तिमाही से तिमाही के लिए बदलता रहता है।

(iv) इसने अध्यक्ष, सीबीडीटी को ओएससीज के ब्याज की माफी हेतु लंबित आवेदनों के तेजी से निपटान के लिए मुख्य आयुक्त आयकर, मुम्बई को सलाह देने का अनुरोध (फरवरी 2011) किया है। एमओएफ ने एमओपीएनजी को सूचित किया था कि मुख्य आयुक्त क्षेत्राधिकार को एक पूर्व मामले पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु ध्यान दिलाया गया है।

एमओएफ से सम्मिलित कार्रवाई करते समय, एमओपीएनजी तथा ओएमसीज को कम वसूली के संवितरण अथवा प्रतिपूर्ति को अंतिम रूप देने में विलम्ब के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना अपेक्षित होगा। ओएमसीज द्वारा लिया गया कम वसूली भार कभी भी 21 प्रतिशत से अधिक नहीं था तथा वास्तव में 2008-09 में 'शून्य' और 2011-12 में 0.3 प्रतिशत था। अग्रिम कर देयता के आकलन को प्ररिष्कृत करने में ओएमसीज द्वारा

समय पर उपयुक्त कार्रवाई से कम से कम उपरोक्त दो वर्षों में अग्रिम आयकर के कम भुगतान पर ब्याज का भार कम होगा।

प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का वर्तमान मूल्य निर्धारण तंत्र उसके परिष्कारक को अधिक मुआवजे का प्रावधान करता है। इसने अपेक्षित स्तर तक विशिष्ट पीएसयू रिफाइनरियों को तकनीकी प्रगति तथा दक्षता में परिवर्तित नहीं किया है। मूल्य निर्धारण नीति ने भी निजी/स्थाई रिफाइनरियों को अपने निर्यात कार्यान्वयन से अधिक दर पर ओएमसीज को घरेलू आपूर्तियो हेतु मुआवजे के रूप में लाभ दिया। ओएमसीज लाभप्रदत्ता को प्रभावित करने वाले लाभकारी स्तरों के लिए अपने विपणन व्यय को नियंत्रित करने में असमर्थ है। तथापि, पद्धति तथा समय सीमा जिसमें कम वसूलियों से संबंधित मुआवजा प्रतिकूल रूप से प्राप्त किया जा रहा था, ने ऊपर वर्णित रूप में संबंधित दुष्परिणामों के साथ संलग्न ओएमसीज को नकद प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

3.2 उपभोक्ताओं पर प्रभाव

उपभोक्ता के स्तर पर विनियमित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य को भारत सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा देय खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) का 'ढांचा' निम्नानुसार है:

डिपो मूल्य अथवा डीपी (ओएमसीज द्वारा डीलरों को प्रभारित मूल्य)

जोड़े: उत्पाद शुल्क

जोड़े: डीलर का कमीशन, आरपीओ अधिभार

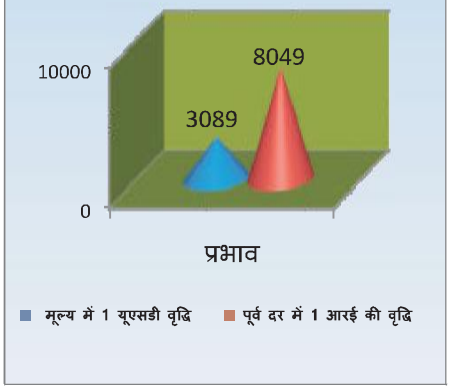
जोड़े: वैट/बिक्री कर/अन्य कर

उपभोक्ता को प्रभारित **खुदरा बिक्री मूल्य अथवा आरएसपी**

3.2.1 डिपो मूल्य

डिपो मूल्य को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा समय-समय पर संशोधित किया जाता है। यह काफी हद तक यूएस डॉलर के प्रति उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय एफओबी मूल्यों तथा/अथवा भारतीय रूपये की विनिमय दर भिन्नता में अन्तर पर आधारित है। एक डॉलर एफओबी मूल्य की वृद्धि के कारण उत्पाद मूल्य/कम वसूली पर प्रभाव ₹3089 करोड़ तक अनुमानित है, जबकि एक डॉलर के प्रति भारतीय रूपये का अवमूल्यन (विनिमय दर में एक रूपये की गिरावट) 2011-12 में एचएसडी, एसकेओ तथा एलपीजी की बिक्री मात्रा को ध्यान में रखते हुए ₹8049 करोड़ के प्रभाव पर अनुमानित है जैसाकि चार्ट 19 में दर्शाया गया।

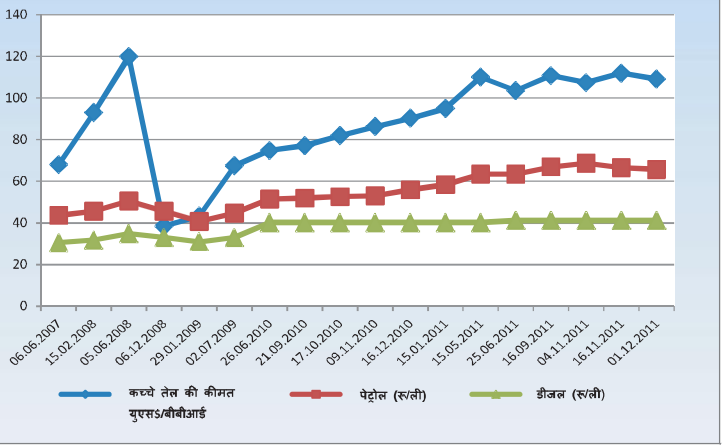
चार्ट 19
उत्पाद मूल्यों/कम-वसूलियों मे कीमत वृद्धि से विनिमय दर तथा कच्चे तेल के मूल्य का प्रभाव
(₹ करोड़ में)



ये भिन्नता उपभोक्ता स्तर पर एक बढ़े हुए आरएसपी की वजह से उत्पादों के डीपी के संशोधन के माध्यम से उपभोक्ता को दी जा सकती है। असंशोधन के मामलें में, यह कम

वसूली भार को बढ़ाती है। लेखापरीक्षा अवधि (2007-12) पर एमएस तथा एचएसडी के आरएमपी की तुलना में कच्चे तेल के मूल्यों में किए गए संशोधन को चार्ट 20 में दर्शाया गया है। घरेलू एलपीजी तथा पीडीएस कैरोसीन के डीपी/आरएसपी का कम संशोधन हुआ जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को दिए बिना कम वसूली के माध्यम से भार वहन किया गया।

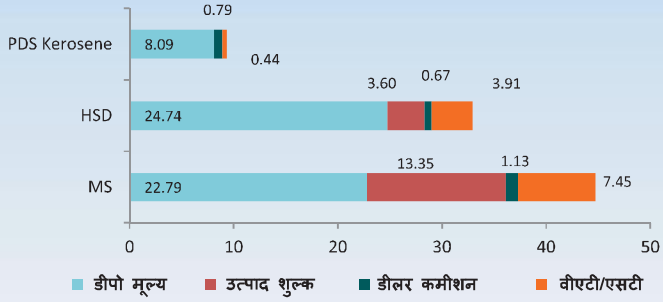
चार्ट 20
कच्चे तेल की कीमत बनाम एमएस तथा एचएसडी मूल्यों में संशोधन की वृद्धि



3.2.2 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की कराधान संरचना

केन्द्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाए गए कर तथा शुल्क विनियमित पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् एमएस (जून 2010 तक), एचएसडी तथा पीडीएस कैरोसीन के आरएसपी के प्रमुख घटकों का गठन करते है जैसाकि चार्ट 21 में दर्शाया गया है।

चार्ट 21
जनवरी 2010 तक आरएसपी (दिल्ली) में केन्द्र तथा राज्य कर, ₹/लीटर

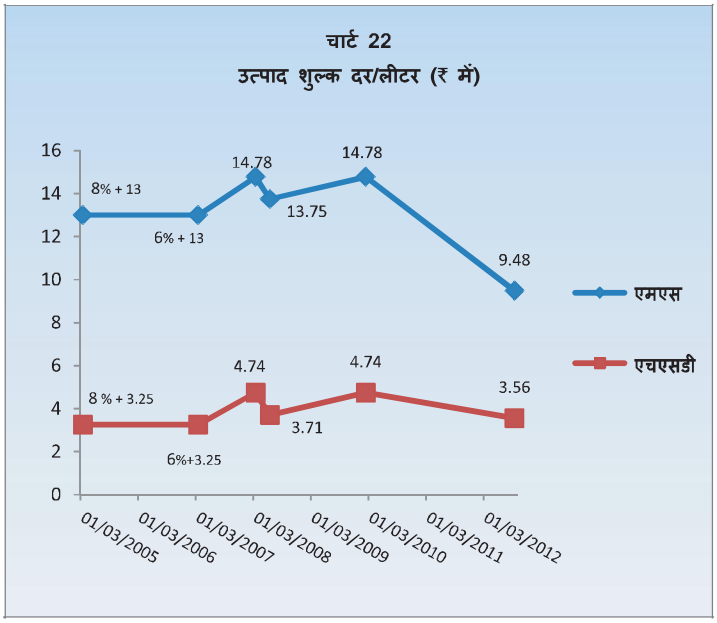


दिल्ली में उत्पाद शुल्क जनवरी 2010 में एमएस मूल्य के आरएसपी के 30 प्रतिशत तथा एचएसडी मूल्य के 11 प्रतिशत दर्ज किया गया तथा पीडीएस कैरोसीन और घरेलू एलपीजी पर शून्य था। उसी समय (जनवरी 2010) दिल्ली में एमएस, एचएसडी, पीडीएस कैरोसीन पर राज्य नामित कर बिक्री कर/वैट पर क्रमश: 17 प्रतिशत, 12 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत दर्ज किया गया।

क. केन्द्रीय कर

भारत सरकार ने पिछले कई सालों में कच्चे तेल तथा विनियमित उत्पादों पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया। 2002-11 के दौरान सीमा शुल्क दरों को **अनुबंध V** में दिखाया गया है। रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने पिछले दशक में उत्तरोत्तर एमएस तथा एचएसडी पर उत्पाद शुल्क को कम किया जिसे कि चार्ट 22 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, विशिष्ट उत्पाद शुल्क दरों को मार्च 2008 से प्रभावी सहित अधिसूचित किया गया है जो यथामूल्य दर की तुलना में उपभोक्ताओं की (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि की स्थिति में कर तत्वों में घातीय वृद्धि से बचने के द्वारा) सुरक्षता करती है। जनवरी 2002 से 2011-12 तक सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क के आवधिक संशोधन को **अनुबंध V तथा VI** में दिया गया है।

चार्ट 22
उत्पाद शुल्क दर/लीटर (₹ में)



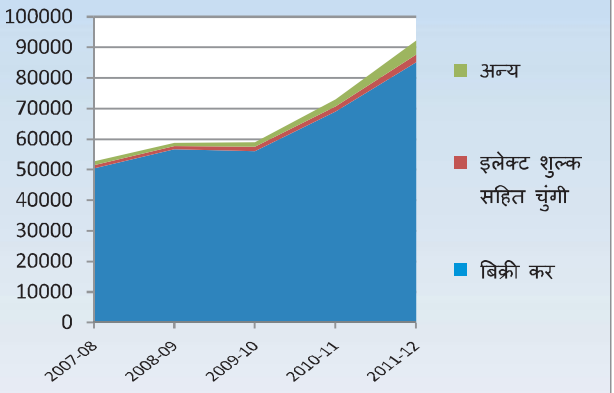
ख. पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य तथा स्थानीय कर

राज्य बिक्री कर/मूल्य सवंर्धित कर (वैट) का उद्धगृहण करते है। कुछ राज्य एक अतिरिक्त प्रविष्टि कर का उद्धग्रहण करते है। इसके अलावा कुछ मामलो में स्थानीय सरकार चुंगी उदग्रहण करती है। यद्यपि बिक्री कर/वैट को पारम्परिक रूप से उपभोक्ताओं पर डाला गया है तथापि 25 जुलाई 2012 तक ओएमसीज द्वारा प्रवेश कर तथा चुंगी को आंशिक रूप से अवशोषित किया गया। वर्तमान में, ओएमसीज को उपभोक्ताओं पर थोड़ी अधिक खुदरा कीमतो में परिणत होने वाले इन करो को पारित करने की अनुमति दी गई है।

(i) बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर तथा प्रवेश कर: राज्य सरकारों ने बिक्री कर/वैट तथा प्रवेश कर की यथामूल्य दरों को अपनाया है इसके परिणामस्वरूप विनियमित उत्पादों के मूल्य में प्रत्येक वृद्धि सहित उपभोक्ता के स्तर पर अधिक खुदरा मूल्य हुआ। सभी

राज्यों में करो की दरों में व्यापक असमानता है। दिसम्बर 2012 में एचएसडी के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा 9.63 से 25 प्रतिशत तक बिक्री कर का उद्ग्रहण हुआ (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में 'शून्य')। पीडीएस कैरोसीन पर वैट/बिक्री कर (दिसम्बर 2012) 'शून्य' तथा 5 प्रतिशत के बीच था (35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में से 13 मे पीडीएस कैरोसीन पर वैट/बिक्रीकर 'शून्य' है)। घरेलू एलपीजी के मामलें में भी, वैट/बिक्रीकर (दिसम्बर 2012) 'शून्य' तथा 5 प्रतिशत के बीच था (35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में से 15 में घरेलू एलपीजी पर वैट/बिक्रीकर 'शून्य' है)। चार राज्यों अर्थात कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश में, 1 तथा 5 प्रतिशत के बीच प्रवेश कर का अतिरिक्त उद्ग्रहण है। दिसम्बर 2012 तक विभिन्न राज्यों में लागू बिक्री कर/वैट की स्थिति को **अनुबंध VII** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, राज्यों ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों से कर तथा शुल्कों से ₹3,35,552 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त किया जैसाकि **चार्ट 23** में दर्शाया गया है।

चार्ट 23
ओएमसी द्वारा राज्य राजकोष को आबंटित राजस्व (₹ करोड़ में)



किरीट पारिख समिति (फरवरी 2010) ने सिफारिश की कि राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति {माल तथा सेवा कर (जीएसटी) के प्रारम्भ हेतु एक रोड़मैप पर चर्चा} को राज्य करो को युक्तिसंगत बनाने का कार्य दिया जाना चाहिए। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस स्थाई समिति (2011-12) ने भी अपनी 9वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि भारत सरकार को उपयुक्त स्तर के राज्य प्राधिकारियों के साथ गंभीरता से अनुकरण करना चाहिए तथा एकसमान स्तर तक बिक्री कर को कम करने में मतैक्य लाना चाहिए।

एमओपीएनजी ने कहा (जून 2013/जनवरी 2014) कि भारत सरकार को समय-समय पर राज्य सरकारों से संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादो पर उनके कर को युक्तिसंगत बनाने तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यथामूल्य दरों से विशिष्ट कर घटक के विस्थापन हेतु अनुरोध किया जा रहा था और वैट पर लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए उस मामले को राज्य सरकारों के साथ पुन: लिया जाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा करों को युक्तिसंगत बनाने के अभाव मे, ग्राहकों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ना जारी रहेगा। उत्पादन, आबंटन तथा विपणन के प्रत्येक स्तर में मूल्य संवर्धन पर देय कर से पेट्रोलियम उत्पादों हेतु एक एकीकृत कर व्यवस्था की विलम्ब के बिना स्थापना की आवश्यकता होगी।

ii) राज्य विशिष्ट लागत

जबकि उत्पाद कीमतों पर केन्द्रीय कर/राज्य बिक्री कर/वैट को मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किया जाता है तथा ग्राहको से वसूली की जाती है, कुछ राज्यों द्वारा कच्चे तेल पर उद्ग्रहीत स्थानीय कर अर्थात् चुंगी तथा प्रवेश कर जैसाकि निर्मित आईपीपी/टीपीपी उत्पाद कीमतों पर आधारित है तथा करों को उत्पाद कीमतो पर कर से उद्ग्रहित किया जाता है।

एपीएम अवधि के दौरान, राज्य अधिप्रभार दरों की संबंधित राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्य के माध्यम से वसूल किया जाता था तथा परिणामस्वरूप कम/अधिक वसूलियों को ऑयल पूल खाता के माध्यम से समायोजित किया गया।

एपीएम के विखण्डन के बाद, भारत सरकार ने वर्ष 2002-03 के लिए अप्राप्य राज्य करो हेतु तेल कम्पनियों को मुआवजा देने के लिए ''अप्राप्य कर मुआवजा योजना, 2002'' को अधिसूचित किया था। बाद में योजना को बढ़ाया नहीं गया तथा ओएमसीज को 2003-04 के बाद से अप्राप्य राज्य करो का भार वहन करना पड़ रहा है।

कच्चे तेल पर नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहीत स्थानीय कर (जैसे मुम्बई बीएमसी - 3%) तथा कुछ राज्यों द्वारा उद्ग्रहीत प्रवेश कर (उदाहरणार्थ कर्नाटक - 1%, उत्तर प्रदेश - 5%, बिहार - 2%, असम - 2% तथा हरियाणा - 2%) के लिए ओएमसीज को पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। 2007-08 से 2011-12 के दौरान, ओएमसीज को कच्चे तेल पर चुंगी तथा प्रवेश कर की वजह से ₹10,887 करोड़ अवशोषित करने पड़े थे। तथापि, 25 जुलाई 2012 से प्रभावी, चुंगी सहित सभी करो को उपभोक्ता को पारित किए जाने की अनुमति दी गई है। यह उपभोक्ताओं पर भार को बढ़ाएगा।

एमओपीएनजी ने यह भी निर्देश दिए है कि राज्य/नगर-निगम लेवी/कर आदि के मामलें के परिणामस्वरूप एसएससी की राशि में आगामी परिवर्तन संबंधित राज्य/नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर तुरन्त प्रभाव डालेंगे।

उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में कच्चे तेल पर प्रवेश कर के संदर्भ में, एमओपीएनजी ने तीन वर्षों (2014-17) के दौरान अतिरिक्त राज्य विशिष्ट लागत के

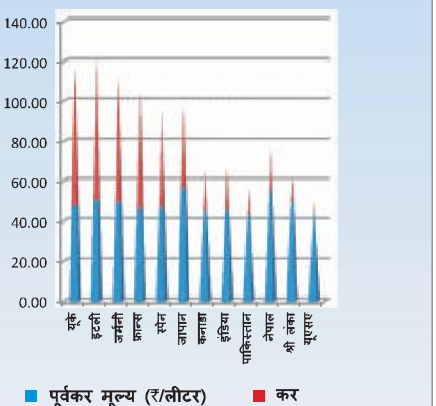
रूप में पिछले बकाया की वसूली के लिए ओएमसीज को अनुमति संबंधि आदेश जारी किए।

3.2.3 एमएस, एचएसडी, एलपीजी तथा एसकेओ पर कराधान का अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य

विभिन्न देशों में विनियमित उत्पादों के लिए उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमतों तथा करो की तुलना की गई। जैसाकि नीचे दर्शाया गया है डीजल, पीडीएस एसकेओ तथा घरेलू एलपीजी के लिए भारत में उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए मूल्यों को मूल्य नियंत्रण के माध्यम से कम स्तर पर बनाए रखा गया है। नवम्बर 2012 की विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में एमएस तथा एचएसडी पर कराधान को **चार्ट 24 एवं 25** में दर्शाया गया है:

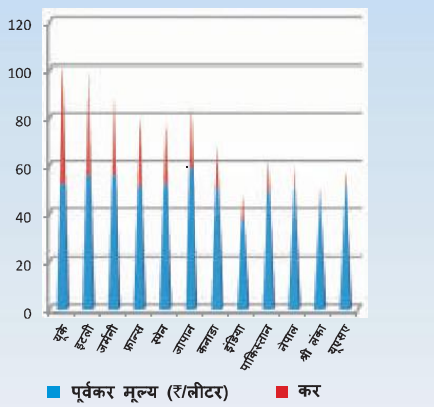
चार्ट 24

₹ में पेट्रोल कीमत तथा करो का अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य



चार्ट 25

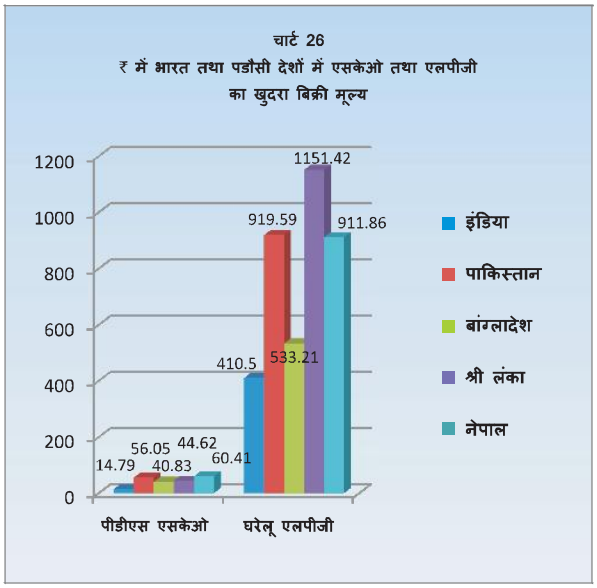
₹ में डीजल कीमत तथा करो का अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य



स्रोत: सहायको हेतु टिप्पणियां - पीपीएसी (जनवरी 2013)

एमएस प्रति लीटर पर पूर्व-कर मूल्य तथा कर यूके में सबसे अधिक है जो क्रमश: ₹47.74 तथा ₹70.39 हैं (₹118.13/लीटर कुल मूल्य)। भारत ₹67.24 प्रति लीटर पर एमएस के कुल मूल्य के संबंध में 5$^{वें}$ निम्नतम स्तर पर है। भारत में करो (उत्पाद शुल्क तथा राज्य बिक्री कर/वैट सहित) जो 32 प्रतिशत है, की तुलना में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली तथा स्पेन में एमएस पर कर प्रतिशतता काफी ज्यादा है (51 से 60 प्रतिशत)। तथापि, भारत में एमएस पर कर पड़ोसी देशों अर्थात् पाकिस्तान, श्रीलंका तथा नेपाल जिनमें 21 तथा 30 प्रतिशत के बीच है, की तुलना में अधिक है।

एचएसडी के संबंध में, यूके में मूल्य/लीटर अधिकतम अर्थात् ₹103.35 है (पूर्व कर मूल्य - ₹52.64 तथा कर - ₹50.71)। भारत बांग्लादेश जिसका ₹40.82 का खुदरा बिक्री मूल्य है, के बाद ₹47.15 प्रति लीटर (पूर्व कर मूल्य - ₹37.21 तथा कर ₹9.94) सहित दूसरे स्थान पर है। ग्यारह देशों में एचएसडी पर लगाए गए कर की तुलना की गई जिसमें भारत में 21 प्रतिशत सहित 9 प्रतिशत (श्रीलंका) तथा 49 प्रतिशत (यूके) के बीच था। एचएसडी पर कर भारत में अपने पड़ोसी देशों अर्थात् श्रीलंका (9 प्रतिशत) तथा नेपाल (16 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था।



भारत तथा पड़ोसी देशों में पीडीएस कैरोसीन तथा घरेलू एलपीजी के आरएसपी को **चार्ट 26** में दर्शाया गया है। पीडीएस कैरोसीन तथा घरेलू एलपीजी की दरें अपने पड़ोसी देशों की तुलना में कम थी।

3.2.4 ओएमसीज को लाभान्वित एमएस तथा एचएसडी के आरएसपी में खुदरा पम्प केन्द्र (आरपीओ) अधिभार का समावेशन

एमएस तथा एचएसडी के आरएसपी में उपभोक्ता स्तर द्वारा भुगतान किए गए आरपीओ अधिभार का एक तत्व सम्मिलित है। यह अधिभार ओएमसीज से खरीदे उत्पादों हेतु उनके लिए मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से भुगतानों को प्रेषित करते समय खुदरा पम्प डीलरों द्वारा किए गए मांग ड्राफ्ट प्रभारों की वसूली करने तथा प्रतिपूर्ति करने में ओएमसीज की सहायता करने हेतु अभिप्रेत है। चूंकि उपरोक्त प्रभारों को डीलरों के कमीशन का भाग नहीं बनाया अत: इसे डीलरों को प्रतिपूर्ति के लिए पृथक रूप से सम्मिलित किया गया। आरपीओ अधिभारों को ग्रुप जिसने एमएस/एचएसडी की विपणन लागतों पर अध्ययन (नवम्बर 2006) किया था, द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर एमएस हेतु ₹35 प्रति केएल तथा एचएसडी हेतु ₹20 प्रति केएल की दर पर अनुमति दी गई। डीलरों आरपीओ अधिभार को ओएससीज़ को स्थानांतरित करते है जो वास्तविक व्यय के आधार पर उनकी प्रतिपूर्ति करते है।

2007-08 से 2011-12 के दौरान ओएमसीज द्वारा डीलरों को आरएसपी तथा वास्तविक प्रतिपूर्ति के माध्यम से डीलरों द्वारा संग्रहित तथा ओएमसीज को हस्तांतरित आरपीओ अधिभार से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि वास्तविक व्यय संग्रहित अधिभार राशि से काफी कम था। इसके परिणामस्वरूप ओएमसीज को ₹659 करोड़ के अनुचित लाभ की वजह से उपभोक्ताओं से अधिक वसूली हुई जैसाकि तालिका 17 में दर्शाया गया है।

तालिका 17

आरपीओ अधिभार का अधिक संग्रहण

(₹ करोड़ में)

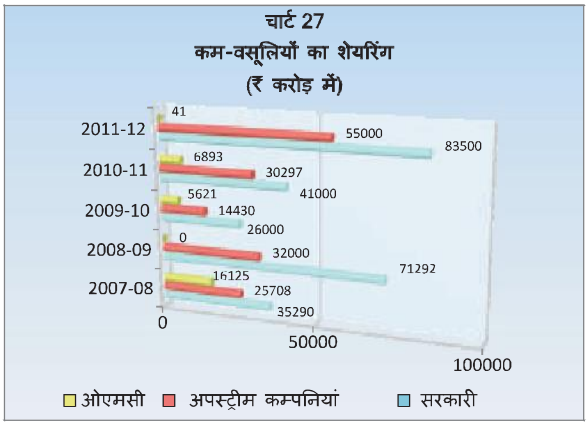
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	जोड़
आरएसपी में ओएससीज द्वारा संग्रहित आरपीओ अधिप्भार	394	218	175	**787**
घटाए : डिलरों को प्रतिपूर्ति किया गया वास्तविक डीडी प्रभार	57	27	44	**128**
ओएमसी द्वारा रखी गई निवल राशि	**337**	**191**	**131**	**659**

एमओपीएनजी ने कहा (जून 2013) कि ओएमसीज ने निधियों के ई-ट्रांसफर हेतु डीडी/पीओ से भुगतान के परिवर्तित तरीके के लिए लागत व्यय की तथा उन्होंने 2007-08 से 2011-12 के दौरान अपनी लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली ₹ 28,680 करोड़ की संचित कम वसूली राशि को अवशोषित किया। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि आरपीओ अधिभार आरएसपी निमार्ण का भाग है जो कम वसूली सगंणना में शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही यह कहा गया कि ओएमसीज को वि.व. 2012-13 के बाद से एचएसडी पर व्यय की गई कम/अधिक वसूली से एचएसडी के आरएसपी में वसूली किए गए आरपीओ अधिभार को कम करने की सलाह (अप्रैल 2013) दी गई है।

लेखापरीक्षा ने बताए गए मामले पर एमओपीएनजी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की है। यद्यपि आरपीओ अधिभार का तत्त्व कम वसूलियों से प्रभावित नहीं होता, यह उपभोक्ता स्तर पर खुदरा मूल्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

3.3 सरकार और अपस्ट्रीम कम्पनियों पर प्रभाव

3.3.1 विनियमित उत्पादों की बिक्री पर कम वसूलियों का निधीयन



विनियमित उत्पादों की बिक्री पर कम वसूलियों का निधीयन एलपीजी (घरेलू) और एसकेओ (पीडीएस कैरोसीन) सब्सिडी योजना 2002 के माध्यम से एलपीजी अज़ैर एसकेओ के लिए बजट आबंटन द्वारा आंशिक रूप से किया जा रहा हे, शेष को विभिन्न पणधारकों अर्थात सरकार, अपस्ट्रीम ऑयल कम्पनियों और ओएमसीज़ के बीच शेयर किया जा रहा है। निम्नलिखित तालिका 18, 2007-08 से 2011-12 के दौरान एलपीजी और एसकेओ की बिक्री पर वास्तविक कम वसूली और सब्सिडी योजना 2002 के प्रति बजट में आबंटित राशि को दर्शाती है:

तालिका 18

2007-08 से 2011-12 के दौरान एलपीजी और एसकेओ की बिक्री पर वास्तविक कम वसूली और सब्सिडी योजना 2002 के प्रति बजट में आबंटित राशि को दर्शाती है

वर्ष	कम वसूली(एलपीजी और एसकेओ पर) (₹ करोड़ में)	सब्सिडी योजना के तहत दी गई राशि (₹ करोड़ में)	सब्सिडी योजना से कुल कम वसूली में प्रावधान का प्रतिशत
2007-08	34,625	2,669	7.7
2008-09	45,825	2,710	5.9
2009-10	31,621	2,792	8.8
2010-11	41,256	2,927	7.1
2011-12	57,349	3,023	5.3

उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि एलपीजी (घरेलू) और एसकेओ (पीडीएस) की बिक्री पर कम वसूली को पूरा करने के लिए आबंटन 2007-08 से 2011-12 की अवधि में 5.3 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत के न्यूनतम रेंज में है । मुख्य रूप

से 'एलपीजी (घरेलू) और एसकेओ (पीडीएस कैरोसीन) सब्सिडी योजना 2002 के गैर संशोधन के कारण है जिस पर इसके शुरूआत से दुबारा गौर नहीं किया गया।

एलपीजी और एसकेओ के लिए कम वसूली/सब्सिडी आवश्यकताओं की अधिक सटीकता बताने तथा ऐसी राशियों को संबंधित वर्षों के बजट में शामिल करने के लिए परियाजना में सुधार की आवश्यकता है।

एमओपीएनजी ने निर्णय लिया (अक्टूबर 2003) कि अन्य खुदरे उत्पादों की बिक्री पर सृजित अधिशेष से पीडीएस केरोसीन तथा घरेलू एलपीजी पर ओएमसीज़ एक तिहाई हानि वहन करेगी जबकि शेष हानियों को अपस्ट्रीम कम्पनियों (यथा ओएनजीसी, ओआईएल एवं गेल) तथा भारत सरकार के बीच समान रूप से बांट दिया जाएगा। हालांकि , इस निर्णय को एक समान अथवा निरंतर लागू नहीं किया गया और ओएमसीज़ की कम वसूलियों के भार शेयर करने का तंत्र 2007-08 से 2011-12 के दौरान व्यवहारिक रूप में वर्ष दर वर्ष बदल गया। तालिका 19, वर्ष 2007-08 से 2011-12 में भारत सरकार, अपस्ट्रीम कम्पनियों और ओएमसीज़ का वास्तविक शेयर दर्शाती है।

तालिका 19

तालिका 19: पणधारकों के बीच विनियमित उत्पादों की बिक्री पर कम वसूलियों का सहयोजन

वर्ष	वहन कम वसूलियों का शेयर (प्रतिशत में)		
	सरकार	अपस्ट्रीम कम्पनियां	ओएमसीज़
2007-08	46	33	21
2008-09	69	31	0
2009-10	57	31	12
2010-11	52	39	9
2011-12	60	39.7	0.3

इस प्रकार, भारत सरकार ने हितधारकों के बीच कम वसूलियों को शेयर करने में निरंतर और एक समान प्रणाली नहीं अपनाया। ओएमसीज़ ने 2008-09 के दौरान किसी कम वसूलियों को अवशोषित नहीं किया था और 2011-12 में उनका शेयर 0.3 प्रतिशत था।

विशेषज्ञ समितियों अर्थात रंगराजन समिति (फरवरी 2006), किरिट पारिख समिति (फरवरी 2010) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसदीय स्थायी समिति (2011-12) ने अपनी नवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ ओएमसीज़ की कम-वसूलियों के निधीयन के लिए एक सुस्पष्ट और पारदर्शी नीति की सिफारिश की (फरवरी 2014)।

3.3.2 कम-वसूलियों को व्यवस्थित करने के प्रयास

कम वसूलियों में भारत सरकार का राजकोषीय भार भी जुड़ जाता है। विशेष रूप से अधिक राजकोषीय घाटे को देखते हुए विनियमित पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर कम वसूलियों में कटौती वांछित है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चलता है:

क. बीपीएल परिवारों को पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी का गैर लक्ष्यीकरण:

एमओपीएनजी ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के माध्यम से पीडीएस कैरोसीन की वास्तविक मॉग और आवश्यकता जानने के लिए 2005 में एक विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला कि 2004 में बिक्री की गई 38.6 प्रतिशत पीडीएस केरोसीन को वास्तव में दूसरे काम में लगाया गया था । एनसीएईआर की रिपोर्ट (अक्टूबर 2005) में सिफारिश की गई कि सब्सिडी वाली पीडीएस केरोसीन केा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड धारकों तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, भारत सरकार ने केवल बीपीएल परिवारों को सब्सिडी वाली केरोसीन की आपूर्ति करने की रंगराजन समिति की सिफारिश मान लिया (जून 2006)। समिति ने यह भी सिफारिश किया कि घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी को 'गरीब' लोगों तक सीमित कर दिया जाए।

बाद में फरवरी 2010 में, किरिट पारिख ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यदि बायोमिट्रिक पहचान के साथ स्मार्ट कार्डस की प्रणाली के माध्यम से बीपीएल घरों में पीडीएस केरोसीन प्रदान किया जाता तो पीडीएस केरोसीन की मांग एक तिहाई कम हो जाती। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि बीपीएल ग्रामीण घरों जैसे लक्षित समूह को एलपीजी पर सब्सिडी हकदारी अथवा सीधे नकदी स्थानान्तरण के माध्यम से दिया जा सकता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस स्थायी संसदीय समिति (2010-11) ने भी अपनी 8वीं रिपोर्ट में धनी और संपन्न लोग जैसे संवैधानिक पदों वाले व्यक्तियों, सार्वजनिक

प्रतिनिधियों जैसे एमपीज़, एमएलएज़/एमएलसीज़ को सब्सिडी वाले घरेलू एमपीजी सिलेण्डरों के लिए पात्रता समाप्त करने की सिफारिश की।

एमओपीएनजी ने जनवरी 2013 में ग्राहकों को सब्सिडी वाले 9 सिलेण्डरों (14.2 किग्रा के) तक की आपूर्ति सीमित करने की कार्रवाई शुरू की है (जिसे फरवरी 2014 में बढ़ाकर 12 सिलेण्डर प्रति उपभोक्ता कर दिया गया)। इस दिशा में प्रगति हालंकि धीमी रही जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

- एमओपीएनजी ने 2007 में तीन राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखण्ड में स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू करने की कार्रवाई की थी। बाद में राज्य सरकारों के विरोध पर इस प्रस्ताव को रोक दिया गया। राज्य यह कहते हुए स्मार्ट कार्ड योजना को लागू करने के पक्ष में नहीं थे कि इसे अन्य की तुलना में पीडीएस केरोसीन पर आश्रित रहने और एलपीजी कनेक्शन न लेने वाले परिवारों में असमानता उत्पन्न होगी।

- एमओपीएनजी ने जनवरी 2009 में स्मार्ट कार्ड योजना को दुबारा लाने का कदम उठाया। पायलट योजना के रूप में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी के लिए स्मार्ट कार्ड पर आधारित वितरण परियोजना केा लागू करने हेतु ओएमसीज़/पीपीएसी द्वारा जून 2009 में एक परियोजना रिपोर्ट बनाई गई थी। एमओपीएनजी ने बाद में ओएमसीज़ को रोकने का सुझाव दिया (जनवरी 2010) क्योंकि परियोजना को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॅरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) परियोजना के साथ जोड़ा जाना था।

- भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से बीपीएल कार्डधारकों को सीधे सब्सिडी देने हेतु सुझाव देने और समाधान लागू करने के लिए पीडीएस केरोसीन, एलपीजी और उर्वरक पर सीधे सब्सिडी देने के लिए एक कार्यदल गठित किया (फरवरी 2011) । कार्य दल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश किया(जून 2011) कि चरण-1 के दौरान नकदी स्थानान्तरण राज्य सरकारों द्वारा दिया जाए और चरण-।। में लाभार्थियों को बैंक खाते के माध्यम से सब्सिडी दिया जाए। भारत सरकार ने कार्यदल की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी(अगस्त 2011)।

- भारत सरकार ने निर्णय दिया (नवम्बर 2012) कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को लाभ देने से जुड़े सभी विभाग आधार पेमेंट ब्रिज पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यक्ष नकदी स्थानान्तरण प्रणाली अपनाएं।

एमओपीएनजी के कहा (जून 2013/जनवरी 2014) कि:

- केरोसीन (डीटीसीके) पर नकद सब्सिडी के प्रत्यक्ष स्थानान्तरण का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन प्रतिभागी राज्यों से कार्रवाई के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि उनको राशनकार्ड धारकों के बैंक खाते में केरोसीन सब्सिडी का सीधे नकदी स्थानान्तरण करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की आवश्यकता है। योजना पायलट चरण के बाद धीरे धीरे राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा में बढ़ रही है जिससे 2013-14 में जिला चुनने में डीटीसीके कार्यान्यन की पुष्टि हुई ।

- बेहतर तकनीक अपनाने और प्रत्यक्ष सब्सिडी स्थानान्तरण के लिए प्रमाणिक सुपुर्दगी की धारणा में परिवर्तन के कारण एलपीजी सब्सिडी प्रशासन के लिए एमओपीएनजी को तौर- तरीकों में परिवर्तन करना था।

- एलपीजी सिलेण्डर केवल बीपीएल परिवारों को लक्षित करने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता था जब ऐसे ग्राहकों की पहचान करने के लिए एक मतबूत ढांचा उपलब्ध हो । आधार पर अधारित प्रत्यक्ष लाभ स्थांनान्तरण योजना को अंतिम रूप दिया गया है और देश के अन्य भागों में आगे विस्तार किए जाने वाले 73 लाख ग्राहकों सहित जून 2013 से 18 जिलों में शुरू किया गया है।

- विभिन्न राज्य/सघं राज्यों के संबंध में पीडीएस केरोसीन के कोटे में उल्लेखनीय कमी हुई है जो कि 2009-10 में 11,699 टीकेएल से घटाकर 2013-14 में 9,087 टीकेएल हो गया था। जब राजस्थान के एक जिले में पीडीएस केरोसीन की नकद सब्सिडी के प्रत्यक्ष स्थानान्तरण की पायलट परियोजना शुरू की गई तो केरोसीन की खपत पैटर्न में 40 प्रतिशत की कमी आई थी। इसके अलावा भारत सरकार ने देश के 291 जिलों में 9.54 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 'एलपीजी हेतु सीधा नकदी स्थानान्तरण' शुरू किया।

बीपीएल परिवारों को सब्सिडी लक्षित करने में देरी के कारण कम वसूलियों में वृद्धि होती है।

सुपात्र उपभोक्ताओं को लाभ लक्षित करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों की स्वीकार्यता के सात वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम अभी भी प्राप्त करना शेष था। देरी के बावजूद, कार्यान्वयन माध्यम में लगातार परिवर्तन किए गए। यद्यपि

सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेण्डरों की पात्रता पर पटाक्षेप हो गया है और एलपीजी सिलेण्डरों के लाभ की प्रत्यक्ष स्थानांतरण योजना शुरू की गई है, पीडीएस कैरोसीन लक्षित करने में अधिक प्रगति नहीं हुई थी।

ख. अविनियमन के बाद भी एमएस मूल्य का संशोधन न होना

भारत सरकार ने जून 2010 में एमएस का मूल्य विनियमन इस उम्मीद के साथ किया कि एमएस के बाजार निर्धारित मूल्य से :

(i) एमएस पर ओएमसीज़ की कम वसूलियॉ समाप्त हो जाएंगी,

(ii) ओएमसीज़ की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, और

(iii) लागत कम करने, दक्षता और सेवा मानकों में सुधार करने के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा को बढावा देकर कर ईंधन खुदरा क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित होगा।

हालांकि ओएमसीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में परिवतर्नों के अनुरूप मूल्य में संशोधन न करने के कारण जून 2010 से मार्च 2012 के दौरान एमएस पर लगभग ₹ 7109 करोड़ (आईओसीएल ₹ 3253 करोड़, बीपीसीएल ₹ 1992 करोड़ और एचपीसीएल ₹ 1864 करोड़) तक की कम वसूली को जारी रखा। ओएमसीज़ ने कहा (फरवरी 2013) कि जून 2010 में अविनियम के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एमएस और क्रूड के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई थी और उपभेक्ताओं की तरफ ऐसी तेजी छोड़ देने से बाजार में गम्भीर निहितार्थ हो सकता था इसलिए मूल्यवृद्धि में नरम रूख का निर्णय लिया गया।

एमओपीएनजी ने कहा (जून 2013) कि 2011-12 के दौरान एमएस और क्रूड के मूल्यों में तेजी से वृद्धि और मई 2012 तक इसी तरह बढ़ते रहने के कारण ओएमसीज़ ने मूल्य बढ़ाने में नरम रूख का निर्णय लिया इसलिए मूल्यों पर परिणाम के पूरे प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि ओएमसीज़ ने मई 2012 में पेट्रोल का दाम ₹ 7.54 प्रति लीटर बढ़ा दिया और वर्तमान में (जून 2013), एमएस की बिक्री पर कोई कम वसूली नहीं है।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि एमओपीएनजी ने एमएस को एक विनियमित उत्पाद मानते हुए जून 2010 से मार्च 2011 के दौरान की गई कम वसूली के लिए ओएमसीज़ का प्रतिपूर्ति करने हेतु वित्त मंत्रालय को भी अभिवेदन किया था।

ग. ओएमसीज़ की कम वसूलियों को शेयर करने के कारण अपस्ट्रीम कम्पनियों पर प्रभाव

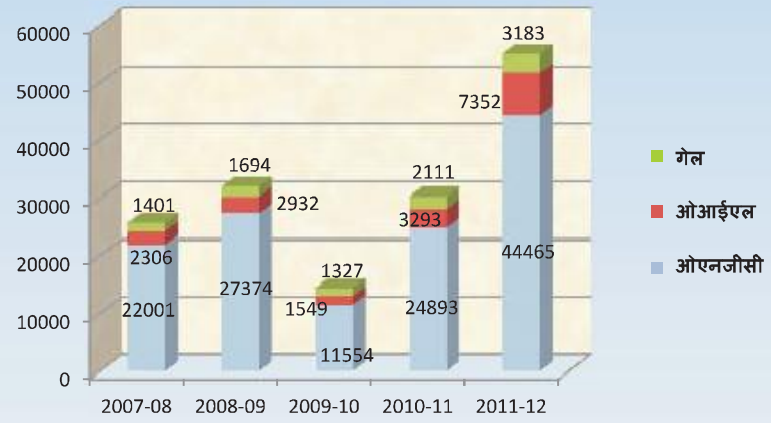
पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी की बिक्री (अक्टूबर 2003) पर कम वसूलियों के लिए ओएमसीज़ को प्रतिपूर्ति योजना के अनुसार, अपस्ट्रीम कम्पनियों ओएनजीसी, ओआईएल और गेल को प्रतिपूर्ति की पूर्व निर्धारित मात्रा को वहन करना था।

ओएमसीज को आपूर्त क्रूड, घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरासीन के मूल्य पर उचित छूट के माध्यम से प्रतिपूर्ति किया जाता है। 2007-08 से 2011-12 तक ओएमसीज़ की कुल कम-वसूली ₹ 4,43,197 करोड़ थी जिसमें से अपस्ट्रीम कम्पनियों को आबंटित कम-वसूलियां ₹ 1,57,435 करोड़ (ओएनजीसी: ₹ 1,30,287 करोड़, ओआईएल: ₹ 17,432 करोड़ और गेल: ₹ 9,716 करोड़) थी। अपस्ट्रीम कम्पनियों का शेयर 2007-08 में 33 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2011-12 में 40 प्रतिशत हो गया।

नामांकन ब्लाकों से राष्ट्रीय तेल कम्पनियों (एनओसी) द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की आपूर्ति पर छूट वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एनओसीज़ अपने द्वारा लिए गए नामांकन ब्लाकों के लिए ₹4500 प्रति मी.टन कच्चे तेल का अधिभार अदा करती हैं। इसके विपरीत पूर्व नेल्प और नेल्प ब्लाकों से पीएससी प्रावधानों के अनुसार कच्चे तेल के उत्पादन पर 'शून्य' से ₹ 927 प्रति मी.टन के भिन्न दरों से अधिभार का भुगतान कर रहा है। छूट और अधिभार का प्रभाव एनओसीज़ के नामांकन ब्लाकों से प्रति बैरेल मार्जिन नेल्प/पूर्व नेल्प ब्लाकों की अपेक्षा बहुत ही कम है। जबकि ओएनजीसी के नामांकन ब्लाकों से कच्चे तेल हेतु प्रति बैरेल मार्जिन 16.57 अमेरिकी डालर से 17.05 अमेरिकी डालर के रेंज में था, पेट्रोलियम लाभ पर भारत सरकार के शेयर को ध्यान में रखते हुए (2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए) पीएमटी जेवी में इसका रेंज 46 अमेरिकी डॉलर से 80 अमेरिकी डालर के बीच है। वास्तव में ओएनजीसी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में उनका उत्पादन लागत 47 अमेरिकी डालर प्रति बैरेल था। चूंकि कच्चे तेल का भारतीय बास्किट लगभग 98-99 अमेरिकी डालर प्रति डालर के बीच था, ओएमसीज़ को अनुमत 56 अमेरिकी डालर प्रति बैरेल की छूट से 2011-12 में ओएनजीसी अपने मार्जिन पर हानि की स्थिति में होगी।

चार्ट 28

अपस्ट्रीम कम्पनियों द्वारा कम-वसूलियों का शेयरिंग



अपस्ट्रीम पीएसयू कम्पनियों ने चिंता व्यक्त किया कि अन्वेषण और उत्पादन एक उच्च जोखिम उद्योग होने के कारण इसमें बहुत अधिक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है और नामांकन ब्लाकों से बहुत कम प्राप्ति होती है जो उनके कैपेक्स योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा, कम वसूलियों का शेयरिंग तंत्र तदर्थ है, अपस्ट्रीम शेयर की मात्रा के संबंध में अनिश्चितता है। ओएनजीसी के विनिवेश का अनुसरण करते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईज़) और खुदरा पणधारकों सहित अल्पसंख्यक पणधारकों ने भी शेयरिंग तंत्र पर विशेष अधिकार व्यक्त किया था।

उत्तर में एमओपीएनजी ने बताया (जून 2013/जनवरी 2014) कि अपस्ट्रीम कम्पनियों द्वारा अंतिम भार शेयरिंग अपस्ट्रीम कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल की कीमत वसूली, कम वसूलियों की राशि और कम वसूलियों को वहन करने की ओएमसीज़ की क्षमता के आधार एमओपीएनजी से सलाह पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है। आगे कहा गया कि विशेषज्ञ समूह ने ओएमसीज़ की कम वसूली के प्रति अपस्ट्रीम अंशदान हेतु मौजूदा प्रतिपूर्ति तंत्र की जॉच की है और इसकी सिफारिशों की जॉच की जा रही थी।

वित्त मंत्रालय ने प्री एक्जिट बैठक में दर्शाया (24 जुलाई 2013) कि कच्चे तेल के उच्च अंतराष्ट्रीय मूल्यों के माध्यम से अपस्ट्रीम कम्पनियों को लाभ पहुँचाया गया और इस प्रकार वे भार वहन करने में समर्थ थे। इसके अलावा, कम वसूलियॉ नामांकन ब्लाकों से उत्पादित कच्चे तेल पर सृजित होती हैं जो भारत सरकार द्वारा आंबंटित की जाती है। यह भी दर्शाया गया कि अपस्ट्रीम कम्पनियों का लाभ बहुत अधिक था और वे भार वहन कर सकती थीं।

उत्तरों को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि अपस्ट्रीम कम्पनियों को अन्य निजी निकायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है और कम-वसूलियों के निधीयन के तंत्र में अनिश्चितता उनको संबंधित रूप से अलाभकारी स्थिति में पहुँचा देगी।

3.3.3 विनियमित उत्पादों की मूल्य नीति पर वर्तमान विकास

राजकोषीय समेकन का खाका तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित डा. विजय केलकर समिति ने सिफारिशें प्रस्तुत किया (सितम्बर 2012) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निहित था :

- यथासंम्भव एचएसडी का पूरा अविनियमन, लघु सफल चरणों में मूल्य समायोजन।
- मार्च 2013 तक आधी एचएसडी सब्सिडी तथा 2013-14 तक बाकी को समाप्त करना ।
- 2014-15 तक एलपीजी सब्सिडी समाप्त करना, मार्च 2013 तक 25 प्रतिशत कम करना तथा बाकी 75 प्रतिशत अगले दो वर्षों में कम करना।
- 2014-15 तक एक तिहाई पीडीएस केरोसीन सब्सिडी की कटौती।
- ओएमसीज़ के निर्देश पर कम और लगातार मूल्य संशोधन।
- सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेण्डरों की संख्या पर रोक करना।

समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 18 जनवरी 2013 से निम्नलिखित को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2013):

- आगामी आदेशों तक ओएमसीज़ को 40-50 पैसा प्रति लीटर प्रतिमाह की रेंज तक एचएसडी की आरएसपी बढ़ाने की अनुमति।
- तत्काल प्रभाव से ओएमसीज़ की स्थापनाओं से एचएसडी आपूर्तियां लेने वाले बहुत सारे उपभोक्ताओं को गैर-सब्सिडी वाले बाजार निर्धारित मूल्य तथा सीधे उपभोक्ताओं को एचएसडी की बिक्री पर ओएमसीज़ को कोई सब्सिडी नहीं।
- एक वर्ष में सब्सिडी वाले नौ सिलेण्डरों (बाद में फरवरी 2014 में बढ़ाकर 12 कर दिया गया) की संख्या में वृद्धि।

उपरोक्त को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि जबकि अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए एचएसडी का अविनियमन अगस्त 2008 में ओएमसीज़ द्वारा पहले ही चर्चा की गई थी, कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ और फलस्वरूप कम वसूली का भार बहुत बढ़ा।

जबकि बाजार में एचएसडी के अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए मूल्य निर्धारित करना एक स्वागतयोग्य कदम है, इसके वास्तविक कार्यान्वयन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। पीपीएसी की मासिक उद्योग बिक्री समीक्षा रिपोर्ट (अगस्त 2013) में बताया गया कि कुल एचएसडी बिक्री से थोक एचएसडी बिक्री का शेयर 2011-12 के दौरान 18 प्रतिशत वार्षिक औसत के प्रति अगस्त 2013 में लगभग 10 प्रतिशत तक गिर गया था।

पीपीएसी के अनुसार, थोक एचएसडी के शेयर में गिरावट मुख्य रूप से राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयूज) और उद्योगों जैसे -सिविल निर्माण, सीमेंट, खनन, इस्पात आदि के द्वारा कम उन्नयन के कारण था जिन्होंने खुदरा बिक्री केन्द्र या वैकल्पिक सस्ते इंधन का विकल्प चुन लिया था। इस प्रवृत्ति के जारी रहने से कम वसूलियों पर अधिकांश ग्राहकों के लिए बाजार मूल्य तय करने का सकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

हालांकि यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के दोहरे मूल्य निर्णय के प्रति राज्य सरकारों द्वारा दायर मामले में बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय दिया गया (सितम्बर 2013)।

एमओपीएनजी ने कहा (जून 2013) कि थोक डीजल की बिक्री दिसम्बर 2012 में 17 प्रतिशत से मार्च 2013 में 10 प्रतिशत तक घट गई और मार्च 2012 की तुलना में एसटीयूज़ को प्रत्यक्ष बिक्रियों पर 89.6 प्रतिशत तक घट गई। खुदरे बिक्री केन्द्रों में बिके एचएसडी के आरएसपी में धीरे-धीरे वृद्धि के साथ खुदरा और थोक मूल्यों के बीच अंतर कम होगा और खुदरे बिक्री केन्द्रों से अधिकांश उपभोक्ताओं की ओर विचलन समाप्त होगा। ओएमसीज़ ने अपने आरओज़ से सब्सिडी वाले एचएसडी का विचलन रोकने के पर्याप्त उपाय करने का निर्देश दे दिया है।

प्रतिपूर्ति योजना से एचएसडी के थोक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को हटाने में लंबी लंबित कार्रवाई की पहल की प्रशंसा करते हुए लेखापरीक्षा ने दोहरी मूल्य योजना के अंतर्निहित विशेषताओं को देखते हुए गैर पात्रता उद्देश्यों के लिए सस्ते विनियमित इंधन के बाधित विचलन के लिए ओएमसीज़ और राज्य सरकारों के सूक्ष्म समन्वय में एमओपीएनजी से आवश्यक जॉच स्थापित करने का अनुरोध किया।

अध्याय 4 निष्कर्ष और सिफारिशें

क. निष्कर्ष

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र कोस्ट प्लस मॉड (शासित मूल्य तंत्र) से आयात समता मूल्य की ओर तथा अब आयात समता मूल्य और व्यापार समता मूल्य के सम्मिश्रण से विकसित हुआ है। मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार, रिफाइनरी गेट पर चुने हुए गंतव्य पर उत्पाद के एफओबी मूल्य से अधिक निर्धारित किया जाता है जो रिफाइनरियों को उच्च प्रतिफल अनुमत करता है। यह लाभ निजी और एक मात्र रिफाइनरियों सहित सभी रिफाइनरियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि ओएमसी रिफाइनरियों को अंर्तनिहित कमियों जैसे पुरानी होने, अमितव्ययी आकार और उनके प्रतिस्थापन के स्थान के कारण इन रिफाइनरियों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

रिफाइनरी गेट पर मूल्य निर्धारण तंत्र का उद्देश्य एक प्रोत्साहन के रूप में मौजूदा रिफाइनरियों की तकनीक को उन्नत करना तथा दक्षताओं में सुधार हेतु रिफाइनरी खण्ड में निवेश आकर्षित करना था। जबकि ओएमसीज़ ने तकनीकी उन्नत करने के लिए अपनी मौजूदा रिफाइनरियों में कुछ निवेश किया है, एक नमूने के अध्ययन से पता चलता है कि इन रिफाइनरियों के निष्पादन में अभी भी बहुत अधिक कमी है और आगे तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है। मूल्य के ढ़ांचे में सम्मिलित मार्केटिंग से जुड़े व्यय भी ओएमसीज़ द्वारा किए गए वास्तविक व्यय नहीं दर्शाते हैं।

मूल्य ढ़ांचे से ओएमसीज़ की कम-वसूलियों बढ़ती हैं जो आंशिक रूप से भारत सरकार और अपस्ट्रीम कम्पनियों द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं। कम-वसूलियों के वित्तपोषण ने अपस्ट्रीम कम्पनियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है जो एक तिहाई कम-वसूली भार को वहन करती हैं, जबकि बदले में कम-वसूली दावों के निपटान के माध्यम और देरी से ओएमसीज़ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कम-वसूलियों ने भारत सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाने में भी योगदान किया। इसके अलावा कम-वसूलियों को बांटने हेतु एक औपचारिक एवं सुपरिभाषित तंत्र के अभाव में अपस्ट्रीम कम्पनियों और ओएमसीज़ दोनों के हितों में हानिकारक अनिश्चितता के हद तक योगदान दिया।

अंतिम उपभोक्ता द्वारा उत्पादों के प्रति भुगतान किए गए खुदरा बिक्री मुल्य में कराधान महत्वपूर्ण योगदान देता है। केन्द्रीय और राज्य कर दोनों, दिल्ली में एचएसडी के खुदरा बिक्री मूल्य का 19 प्रतिशत था (अगस्त 2012)। जबकि केन्द्रीय करों का आवधिक रूप से यौक्तिकीकरण किया जाता है, राज्य सरकारों के कर व्यापक रूप में और मूल्य

अनुसार भिन्न थे जो उत्पाद के दाम बढ़ाने के साथ उपभोक्ताओं पर अत्यधिक भार डालते थे। संचालन के प्रत्येक स्तर पर मूल्यवर्धन पर देय कर के साथ एकीकृत कर व्यवस्था के लिए परिवर्तन के साथ-साथ राज्य के करों का यौक्तिकीकरण अभी भी पूरा किया जाना है।

जून 2010 में एमएस के अविनियमन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों पर कम-वसूली की राशि 2007-08 में ₹ 77,123 करोड़ से 2011-12 में लगभग दोगुनी अर्थात ₹ 1,38,541 करोड़ हो गई। भारत सरकार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए कुछ कदम उठाये है। थोक ग्राहकों को अदा किए जाने वाले पूरे बाजार मूल्य के साथ एचएसडी के दोहरे मूल्य निर्धारण की एक प्रणाली जनवरी 2013 से कार्यान्वित की गई है। हालांकि इसके कारण थोक ग्राहकों को बिक्री में कमी होती है। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेण्डरों को नौ तक सीमित कर दिया गया (जिसे फरवरी 2014 में बढ़ाकर 12 कर दिया गया)। 'आधार' माध्यम का प्रयोग करते हुए उपभोक्ताओं को सीधे लाभ का स्थानान्तरण, चयनित जिलों में एक पायलट आधार पर लागू किया जा रहा है। इन वर्तमान गतिविधियों का प्रभाव पूरी तरह से स्थापित होने में समय लगेगा।

ख. सिफारिशें

1. प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण तंत्र की सुरक्षा में निरंतरता का उद्देश्य पीएसयू रिफाइनरियों में तकनीकी उन्नयन में उपयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना तथा दक्षताओं में सुधार करना था जिसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है। यद्यपि एमओपीएनजी ने मूल्य निर्धारण पद्धति के माध्यम से अपनी रिफाइनरियों को निरंतर सहयोग देने की वकालत की है, रिफाइनरियों (लेखापरीक्षा नमूना जाँच से साक्ष्य के अनुसार) की दक्षताओं के सुधार में सीमित प्रगति को देखते हुए इस तंत्र की समीक्षा करने और खराब निष्पादन करने वाली रिफाइनरियों के मामले में एक वैकल्पिक पारदर्शी लक्ष्योन्मुख तंत्र बनाए जाने का एक मजबूत मामला बनता है।

2. इस दौरान भारत सरकार कम-वसूलियों की प्रतिपूर्ति के मौजूदा अस्थाई प्रणाली के स्थान पर सभी पणधारकों (अपस्ट्रीम कम्पनियों, ओएमसीज़ और भारत सरकार) के बीच भार बांटने वाला एक औपचारिक और पारदर्शी तंत्र स्थापित करे ताकि प्रतिपूर्ति समय पर प्राप्त हो और ओएमसीज़ को कार्यशील पूंजी में कटौती न करना पड़े।

3. भारत सरकार सुनिश्चित करे कि मूल्य निर्धारण तंत्र के अधीन निर्यात वसूली से अधिक दरों पर ओएमसीज़ को घरेलू आपूर्तियों के लिए क्षतिपूर्ति की मौजूदा प्रथा के माध्यम से निजी/एक मात्र रिफाइनरियों को अनुचित लाभ न मिले।

4. एलपीजी और एसकेओ के लिए कम-वसूली/सब्सिडी आवश्यकताओं को ज्यादा सटीक ढंग से दर्शाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी राशियों को संबंधित वर्षों के बजट में शामिल किया जाए, भारत सरकार 'एलपीजी (घरेलू) और एसकेओ (पीडीएस केरोसीन) सब्सिडी योजना 2002' पर फिर से गौर करें।

5. भारत सरकार समयबद्ध तरीके से प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य करों के युक्तिकरण की उपलब्धि तथा परिचालन के प्रत्येक स्तर पर संवर्धित मूल्य पर देय कर के साथ एक एकीकृत कर पद्धति की और परिवर्तन करने का अनुसरण करें।

नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई 2014

(उषा शंकर)
उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध I

(पैरा 1.1.1 में दिया गया है)

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

('000 मी.टन)

उत्पाद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
एलपीजी	12010	12191	13135	14331	15350
एसकेओ	9365	9303	9304	8928	8229
एचएसडी	47669	51710	56242	60071	64750
उपजोड़	**69043**	**73204**	**78682**	**83330**	**88328**
एमएस	10332	11258	12818	14194	14992
नेप्था + एनजीएल	13294	13911	10134	10676	11222
एटीएफ	4543	4423	4627	5078	5536
एलडीओ	667	552	457	455	415
लुब्रिकेंट्स और ग्रीसेज	2290	2000	2539	2429	2633
एफओ एण्ड एलएसएचएस	12717	12588	11629	10789	9307
बिटुमिन	4506	4747	4934	4536	4638
उप जोड़	48349	49479	47139	48158	48742
पेट्रोलियम कोक	5950	6166	6586	4982	6138
अन्य	5604	4750	5400	4569	4924
उपजोड़	11554	10916	11987	9552	11062
कुल	**128946**	**133599**	**137808**	**141040**	**148132**

स्रोत:पीपीएसी

अनुबंध II

(पैरा 1.1.1 एवं 3.1.1 देखें)

प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

प्रमुख उत्पाद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
					('000 मी.टन)
एलपीजी	8868	9335	10345	9624	9554
नेप्था	17983	16797	18782	19309	18707
एमएस	14174	16367	22554	25802	27207
एटीएफ	8915	8356	9304	9817	10061
एसकेओ	8027	8461	8833	7898	8019
एचएसडी	58482	64139	73249	77684	82929
एलडीओ	713	609	472	597	502
ल्यूब्स	855	870	950	941	1027
एफओ	12642	14714	15257	18672	17722
एलएसएचएस	3315	3046	2627	1985	1711
बिटुमिन	4450	4620	4873	4446	4599
अन्य	11455	10124	17755	19010	21955
कुल	149879	157436	185000	195786	203994

स्रोत:पीपीएसी

अनुबंध III

(पैरा 1.1.1 एवं 3.1.1 में दिया गया है)

क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात/निर्यात

('000 मी.टन में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
					आयात
क्रूड	**1,21,672**	**1,32,775**	**1,59,259**	**1,63,595**	**1,71,729**
उत्पाद					
एलपीजी	2,833	2,423	2,718	4,502	5084
नेप्था	5,983	5,023	1,734	2,074	1974
पेट्रोल	328	397	385	1,702	654
केरोसीन	2,489	1,448	985	1,381	564
डीजल	2,951	2,742	2,531	2,073	1051
ल्यूब्स	1,253	986	1,419	1,214	1546
ईंधन तेल	3,659	2,760	896	925	1128
बिटुमिन	35	105	69	69	67
अन्य	2,931	2,702	3,928	2,875	2928
कुल उत्पाद आयात	**22,462**	**18,586**	**14,665**	**16,815**	**14,997**
कुल आयात	**1,44,134**	**1,51,361**	**1,73,924**	**1,80,410**	**1,86,726**
निर्यात					
एलपीजी	99	109	131	154	174
नेप्था	9,297	7601	9911	10655	10139
पेट्रोल	4,258	5440	9771	13578	14524
विमान टर्बाइन ईंधन	4,486	3701	4588	4478	4561
केरोसीन	137	77	46	33	34
डीजल	14,308	14720	18451	20335	20407
एलडीओ	0	0.4	41	98.0	84
ल्यूब्स	311	139	28	29	27
ईंधन तेल	4,718	6207	5155	6734	7895
बिटुमिन	43	45	31	56	5
अन्य	3,122	905	2870	2927	2988
कुल निर्यात	**40,779**	**38,944**	**51,023**	**59,077**	**60,837**
निवल आयात	**1,03,355**	**1,12,417**	**1,22,901**	**1,21,333**	**1,25,889**
निवल उत्पाद निर्यात	**18,317**	**20,358**	**36,358**	**42,262**	**45,840**

अनुबंध IV

(पैरा 3.1.9 देखें)

विनियमित कीमत पर एचएफएचएसडी की बिक्री

आईओसीएल	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
निजी पार्टियों (केएल) को एचएफएचएसडी की कुल बिक्री	2,21,178	3,23,405	2,60,548	2,46,938	2,22,637
एचएसडी हेतु प्रति केएल औसत कम वसूली	6,301	8,574	1,395	4,888	10,390
राजकोष हानि (₹ करोड़ में)	139	277	37	121	231
				(क)	**805**
बीपीसीएल					
निजी पार्टियों (केएल) को एचएफएचएसडी की कुल बिक्री	1,54,411	1,25,741	95,049	1,47,962	1,65,457
एचएसडी हेतु प्रति केएल औसत कम वसूली	6,304	8,460	1,406	4,914	10,393
राजकोष हानि (₹ करोड़ में)	97	107	13	73	172
				(ख)	**462**
एचपीसीएल					
निजी पार्टियों (केएल) को एचएफएचएसडी की कुल बिक्री	27,087	40,159	97,665	36,012	25,835
एचएसडी हेतु प्रति केएल औसत कम वसूली	6,339	8,276	1421	4946	10,399
राजकोष हानि (₹ करोड़ में)	17	33	14	18	27
				(ग)	**109**
(क) + (ख) + (ग)				**₹ करोड़ में**	**1,376**

अनुबंध V

(पैरा 3.2.2 (क) देखें)

1 अप्रैल 2012 से सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन

तारिख	कच्चा तेल	एमएस	एचएसडी	पीडीएस केरोसीन	घरेलू एलपीजी
					(प्रतिशतता में)
01/4/2002	10	20	20	10	10
19/08/2004	10	15	15	5	5
01/03/2005	5	10	10	शून्य	शून्य
14/06/2006	5	7.5	7.5	शून्य	शून्य
05/06/2008	शून्य	2.5	2.5	शून्य	शून्य
27/02/2010	5	7.5	7.5	शून्य	शून्य
25/06/2011	शून्य	2.5	2.5	शून्य	शून्य

अनुबंध VI

(पैरा 3.2.2 क देखें)

1 अप्रैल 2002 से उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन

तारीख (निम्नलिखित से प्रभावी)	कच्चा तेल	पेट्रोल			डीजल			पीडीएस केरोसीन	घरेलू एलपीजी
	सैस (₹ एमटी)	यथा मूल्य %	विशेष (₹/लीटर)	दिल्ली मे कुल (₹/लीटर)	यथा मूल्य %	विशेष (₹/लीटर)	दिल्ली मे कुल (₹/लीटर)		
14/4/2002	1800	32.00	7.00	10.53	16.00	1.00	2.85	16.00	16.00
4/6/2002	1800	30.00	7.00	10.82	14.00	1.00	2.80	16.00	16.00
1/3/2003	1800	30.00	7.00	11.81	14.00	1.50	3.59	16.00	16.00
16/6/2004	1800	26.00	7.50	11.97	11.00	1.50	3.32	16.00	8.00
19/8/2004	1800	23.00	7.50	11.90	8.00	1.50	3.01	12.00	8.00
1/3/2005	1800	8.00	13.00	14.59	8.00	3.25	4.80	शून्य	शून्य
1/3/2006	2500	8.00	13.00	14.59	8.00	3.25	4.80	शून्य	शून्य
1/3/2007	2500	6.00	13.00	14.66	6.00	3.25	4.69	शून्य	शून्य
1/3/2008	2500	शून्य	14.35	14.78	शून्य	4.60	4.74	शून्य	शून्य
5/6/2008	2500	शून्य	14.35	13.75	शून्य	3.60	3.71	शून्य	शून्य
27/2/10	2500	शून्य	13.35	14.78	शून्य	4.60	4.74	शून्य	शून्य
25/6/11	2500	शून्य	14.35	14.78	शून्य	2.00	2.06	शून्य	शून्य
14/3/12	4500	शून्य	14.35	14.78	शून्य	2.00	2.06	शून्य	शून्य
14/9/12	4500	शून्य	9.20	9.48	शून्य	3.46	3.56	शून्य	शून्य

टिप्पणी: 1/3/2003 से 50/प्रति एमटी की दर पर एनसीसीडी कच्चे तेल पर लगाई गई थी

स्रोत: जनवरी 2013 के पीपीएसी के सहायकों के लिए टिप्पणियां

अनुबंध VII

(पैरा 3.2.2 ख (i) में संदर्भित)

01.12.2012 को विभिन्न राज्यों/यूटी द्वारा उद्ग्रहीत बिक्री कर/बैठ की वास्तविक दरों का विवरण

	राज्य	पेट्रोल	डीजल	पीडीएस केरोसीन	घरेलु एलपीजी
1	आध्र प्रदेश	31%	22.25%	5%	5%
2	अरूणाचल प्रदेश	20%	12.50%	4%	4%
3	असम	27.50%	16.50%	5%	4% वैट-₹14/सीले(वैट छूट)
4	बिहार	24.50%	16%	5%	1%
5	छत्तीसगड़	25%	25%	4%	शून्श्
6	दिल्ली एनसीटी	20% -. 29.06.2012 से 0.26/ली. की छूट	₹ 250/केएल (एयर एम्बिएंस प्रभार) + 12.5वैट	5%	शून्य
7	गुजरात	23% वैट+ शहर दर पर 2% उपकर + वैट	21%वैट + 3% उपकर +वैट	शून्य	शून्य
8	गोवा	0.10%	20%	5%	शून्य
9	हिमाचल प्रदेश	25%	9.60%	शून्य	4%
10	हरियाणा	20% वैट + वैट पर 5% अतरिक्त कर	8.8% + वैट + वैट पर 5% अतरिक्त कर	शून्य	शून्य
11	झारखण्ड	20%	18%	5%	5%
12	जम्मू एवं कश्मीर	20% एमएसटी + ₹ 3000/केएल (नियोजन उपकर)	12% एमएसटी + ₹ 1000/केएल (नियोजन उपकर)	5%	0%
13	केरल	25.68 बिक्री कर + एसटी पर 1% सामाजिक सुरक्षा उपकर	19.8% बिक्री कर + बिक्री कर पर 1% सामाजिक सुरक्षा उपकर	4%वैट+वैट पर 1% सामाजिक सुरक्षा उपकर	5%
14	कर्नाटक	5% एन्ट्री कर+25%एसटी	5% एन्ट्री कर +16.75%एसटी	5%	1%
15	मध्य प्रदेश	1% एन्ट्री कर +27%एसटी	1% एन्ट्री कर+ 23%एसटी	5%	6.47% एन्ट्री कर +5%एसटी
16	महाराष्ट्र	25% वैट + ₹ 1/ली. (अतिरिक्त अधिभार)	21%	3%	3%
17	मणिपुर	20%	13.50%	0%	4%
18	मेघालय	20%+ 2% अधिभार - ₹ 1.13/लीटर की छूट	12.5% +2% अधिभार -₹ 0.50/लीटर की छूट	0%	0%
19	मिजोरम	20%	12%	शून्य	4%

20	नागालैण्ड	20% + 5% अधिभार	12% + 5% अधिभार	5% +5% एससी	4% +5% एससी
21	ओडिशा	1% एन्ट्री कर +18% वैट	1% एन्ट्री कर + 18% वैट	1% एन्ट्री कर	1% एन्ट्री कर
22	पंजाब	₹ 1000/केएल(उपकर) +28% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर	8.75% वैट वैट पर 10% अतिरिक्त कर	5% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर	4% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर
23	राजस्थान	26% वैट +₹500/केएल (उपकर)	18% वैट + ₹ 500/केएल (उपकर);0.54/लीटर . (छूट)	शून्य	शून्य (₹25/सीले की (सहयता)
24	सिक्कीम	15% + उपकर ₹ 3000/केएल	7.5% + उपकर ₹ 2000/केएल	0%	4%
25	तमिलनाडु	27%	21.43%	5%	शून्य
26	त्रिपुरा	20%	13.50%	0%	1.5%
27	पश्चिम बंगाल	25% बिक्री कर + 1000/ केएल (उपकर)	17% बिक्री कर + ₹ 1000/केएल(उपकर)-₹ 290/केएल(बिक्री कर छूट)	शून्य	शून्य
28	उत्तर प्रदेश	26.55%	17.23%	4% वैट +1% अतिरिक्त कर	शून्य
29	उत्तराखण्ड	25% वैट चूंगी ₹ 10/लीटर	21%वैट - ₹ 1.23/लीटर(वैट छूट) +चूंगि ₹ 10/लीटर	शून्य	शून्य
30	आण्उम्ज्ञन् एव निकोवार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31	चण्डीगढ	₹ 10/केएल (उपकर) + 20%वैट	₹ 10/केएल (उपकर) + 12.5% वैट	5%	शून्य
32	दादर एव नागर हवेली	20%	15%	4%	4%
33	दमन एवं द्विव	20%	15%	4%	4%
34	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35	पुदुचेरी	15%	14%	शून्य	1%